Page No. 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ६] तृतीय विधान सभा के नवम सत्र, १९६६ का ४६ वां दिवस [संख्या ३४

मंगलवार,
दिनांक १२ अप्रेल, १९६६

विधान सभा की बैठक म. पू. ११.१० बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[यातायात, निर्वाचन, विद्युत्, सहकारी, स्वायत्त शासन, पुनर्वास, समाज कल्याण एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न । श्री हनुमानसिंह !

मोटर एक्सीडेन्ट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल

७२१. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य भर में मोटर एक्सीडेन्ट्स क्लेम्स ट्रिब्यूनल केवल एक ही स्थान जयपुर में स्थापित किया गया है जिससे अन्य जिलों के लोगों को सस्ता व सुलभ न्याय प्राप्ति में अनेकानेक कठिनाइयां आ रही हैं ?

(२) राजस्थान मोटर विहिकल्स एक्ट की धारा ११० के अन्तर्गत हर जिला सत्र न्यायाधीश को इस तरह के अख्तियार प्रदत्त करने में सरकार को क्या कठिनाई महसूस होती है ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) सारे राज्य के लिए एक सदस्यीय मोटर एक्सीडेन्ट क्लेम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना जयपुर में की गई है और सदस्य ट्रान्सपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, राजस्थान को इस हेतु नियुक्त किया गया है । कार्य का सम्पादन यथाविधि चल रहा है ।

(२) यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में उच्च न्यायालय से परामर्श किया जा रहा है ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : यह काम डिस्ट्रिक्ट और सैशन्स कोर्ट के द्वारा क्यों नहीं करते ? दूसरे लोगों को यहां पर आने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है इसके लिये सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री भीमसिंह : इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए हमने उच्च न्यायालय को इस बारे में रेफर किया है । उनसे सलाह की जा रही है ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : दूसरी स्टेटों में किस तरह की व्यवस्था है ?

श्री भीमसिंह : दूसरी स्टेटों की जानकारी मुझे नहीं है । इस दिक्कत को महसूस

Page No. 2

(श्री भीमसिंह)

करते हुए हमने डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स कोर्ट में इसकी व्यवस्था हो सके, इसके लिये उच्च न्यायालय को रेफर किया है।

श्री अध्यक्ष : Next।

बारां नगरपालिका अध्यक्ष का चुनाव

७२२. **श्री दयाचंद सोन** (बारां सु०) : क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या आज के करीब छः माह पूर्व कोटा जिलाधीश ने बारां नगरपालिका के रिक्त हुए अध्यक्ष के चुनाव कराए जाने के आदेश जारी किए थे ?

(२) क्या यह सही है कि बारां नगरपालिका अध्यक्ष के चुनाव को मतदान के समय अचानक रिटर्निंग ऑफिसर बारां उप-जिलाधीश ने स्थगित कर दिया ?

(३) यदि हां, तो किस समय, किस कारण और किन परिस्थितियों में चुनाव स्थगित किया ?

(४) चुनाव के समय किस किस व्यक्ति ने अध्यक्ष पद के लिये मनोनयन पत्र भरे थे और वे दोनों व्यक्ति किस किस राजनैतिक पार्टी के थे ?

(५) बारां नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव अब कब तक हो जावेगा ?

चुनाव मंत्री (श्री हरिदेव जोशी) : (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) आकस्मिक सुरक्षा संबंधी सूचनायें जिन पर तुरन्त कार्यवाही करनी थीं, प्राप्त होने के कारण मतदान शुरू होने के पूर्व चुनाव स्थगित कर दिया गया।

(४) श्री कन्हैयालाल और श्री लालबहादुर के मनोनयन पत्र प्राप्त हुए थे। उनके राजनैतिक दलों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(५) बारां नगरपालिका के अध्यक्ष का उप-चुनाव तारीख १६ मार्च, १९६६ को सम्पन्न हो चुका है।

श्री दयाचन्द सोन : यह मतदान कब शुरू होने वाला था और किस समय चुनाव स्थगित कर दिये गये ?

श्री हरिदेव जोशी : १० बजे होने वाले थे, उससे पहले स्थगित कर दिये गये।

श्री दयाचन्द सोन : सभी माननीय सदस्य वोट देने के लिए इकट्ठे हो गये थे। सभी १२॥ बजे तक इन्तजार करते रहे। अगर वे चाहते तो १॥ या २ घन्टों में उसी दिन चुनाव हो जाता।

श्री हरिदेव जोशी : मुझे जो सूचना प्राप्त हुई है वह यही है।

श्री दयाचन्द सोन : आपने प्रश्न के भाग (३) के उत्तर में बताया कि आकस्मिक सुरक्षा संबंधी सूचनायें जिन पर तुरन्त कार्यवाही करनी थी, प्राप्त होने के कारण चुनाव स्थगित करने पड़े, वे क्या घटनाएं हुई थीं ?

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, इसमें यह था कि पाकिस्तान के साथ में युद्ध

Page No. 3

(श्री हरिदेव जोशी)

चल रहा था; एक सूचना मिली कि बारां के पास में पेराचूट से कुछ लोग उतरे हैं और वहां के स्टेशन मास्टर ने भी इस बात की सूचना दी। इसलिए कलेक्टर को सुरक्षा के लिए प्रबन्ध करना जरूरी था, इसलिये उन्होंने ऐसा आदेश दिया और उनकी सूचना और आॅर्डर का पालन किया गया।

श्री दयाचन्द सोन : क्या यह सूचना उस समय मिली जब चुनाव होने वाले थे कि वहां पर कुछ पेराचूट उतरे हैं।

श्री हरिदेव जोशी : इससे पहले मिली थी ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उस समय आप चुनाव करा सकते थे, मगर आपने नहीं कराये क्योंकि आपकी मेजोरिटी नहीं बनती थी।

श्री मथुरादास माथुर : (बैठे बैठे) यह प्रश्न नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : यह कहना ठीक नहीं है। इस चीज को गवर्नमेंट आॅफ इन्डिया के रेल्वे स्टेशन मास्टर ने कन्फर्म किया और कलेक्टर के लिये यह आवश्यक था कि वह सुरक्षा की दृष्टि से आदेश देकर प्रबन्ध करते।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : १०–१५ सदस्यों को उससे क्या फर्क पड़ने वाला था ? आपको अपनी पार्टी का चैअरमैन लाना था। उस समय आपने चुनाव नहीं होने दिये। दुबारा फिर भी यही हुआ कि आपकी पार्टी का आदमी नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : Next.

नदबई तहसील के गांवों में बिजली

७२३. श्री **नत्थीलाल** (नदबई) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नदबई तहसील के ६ गांवों में बिजली लगने की योजना १९६५–६६ के वर्ष के लिये राज्य सरकार द्वारा स्वीकार की गई थी ? यदि हां, तो किन किन गांवों में यह कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं कराया गया है तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त ६ गांवों में से कुछ गांवों को अब बिजली देने की योजना में से छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें। यह कटौती क्यों की गई है ?

उप-मंत्री, विद्युत (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी हां। परन्तु धनराशि के अभाव के कारण केवल बेलारा खेड़ी देवीसिंह और कबई का कार्य प्रारम्भ करके इन तीनों गांवों का विद्युतिकरण १०-३-६६ को कर दिया गया है।

(२) जी हां। करई, गोदली और पहरसर को छोड़ दिया गया है। यह कटौती धन-राशि के अभाव के कारण की गई है।

श्री अध्यक्ष : Next.

प्रश्न संख्या ७२४

श्री चन्द्रसिंह बर्फा !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

(श्री ध्यक्ष)

प्रश्न संख्या ७२५

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७२६

श्री मथुरेश विहारी ?

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७२७

श्री हरिराम धारू !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७२८

श्री हीराभाई !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हनुमानसिंह चौधरी।

कच्चे माल पर चुंगी

७२९. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार को विदित है कि राजस्थान लघु उद्योगों में काम आने वाले ऐसे कच्चे माल को जिनसे तैयार किया हुआ पक्का माल बिक्री हेतु राज्य के बाहर भेजा जाता है, नगरपालिका चुंगी से मुक्त किया जाना चाहिये ?

(२) क्या नगरपालिका आय को मद्दे-नजर रखते हुए सरकार ऐसे लघु उद्योगों को कलकत्ता, बम्बई में प्रचलित प्रणाली के आधार पर नगरपालिका ट्रेड लाइसेन्स देने की व्यवस्था नहीं कर सकती ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन (श्री दौलतराम सारण) : (१) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(२) इस मामले पर कलकत्ता व बम्बई नगर परिषदों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाकर विचार किया जायेगा।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : कब से विचाराधीन है और कब तक निर्णय की आशा की जा सकती है ?

श्री दौलतराम सारण : नगर परिषदों से उत्तर प्राप्त होने पर।

श्री अध्यक्ष : Next श्री मजलिस खां !

मेवों को मुआवजा

७३०. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अलवर भरतपुर जिलों में मेव व दीगर मेव मुसलमानों के पुख्ता मकानों का कस्टोडियन विभाग द्वारा वेल्यूएशन कराया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितने क्लेमेन्ट्स का मुआवजा अदा कर दिया गया है और कितनों को चुकाना बाकी है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री अमृतलाल यादव) : जी हां, अब तक १६ क्लेमेन्ट्स को मुआवजा दिया जा चुका है। १०८ क्लेमेन्ट्स को मुआवजा देना अभी शेष है।

श्री मजलिस खां : कितनी धन-राशि बकाया है ?

श्री अमृतलाल यादव : ये आंकड़े तो मेरे पास नहीं हैं । आपने जो पूछा उसका मैंने उत्तर दिया है ।

श्री मजलिस खां : ये कब तक दे दिये जावेंगे ?

श्री अमृतलाल यादव : जल्दी कोशिश की जावेगी ।

श्री मजलिस खां : जल्दी कितने दिनों में ? साल में या दो साल में ?

श्री अमृतलाल यादव : गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के सेटलमेंट ऑफिसर देते हैं । उनको जल्दी करेंगे ।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया !

छात्रावासों के खुलने का समय

७३१. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सच है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के छात्रावास चलाये जाते हैं वे कॉलेजों व स्कूलों के खुल जाने के एक माह बाद खुलते हैं जिस से छात्र कॉलेजों व स्कूलों में भर्ती होकर ठहरने के स्थान के अभाव में इधर-उधर भटकते फिरते हैं ? यदि हां, तो छात्रावास स्कूलों के खुलते ही क्यों नहीं खोले जाते हैं ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रेभा मिश्रा) : नहीं, यह सत्य नहीं है कि छात्रावास कॉलेजों व स्कूलों के खुलने के एक माह बाद खुलते हैं । समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति व जन-जाति के छात्रावास चलाये जा रहे हैं, वे संभवत: जुलाई से ही प्रारम्भ हो जाते हैं । नियमानुसार जब छात्र स्कूल अथवा कॉलेज में प्रवेश लेकर छात्रावास प्रवेश फॉर्म प्रधानाध्यापक अथवा प्रिन्सिपल से प्राप्त कर संबंधित व्यवस्थापक को पेश करते हैं तदुपरान्त उन्हें छात्रावास में प्रवेश दिया जाता है और सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या आप यह बतायेंगे कि जयपुर में जो छात्रावास खुले हैं वे ठीक समय पर खुलते हैं और कौन कौनसी तारीखों पर खुले हैं ? मैं यह कहता हूँ कि यह आपका उत्तर गलत है । छात्रावास एक महीने बाद खुलते हैं और कॉलेजेज़ एक महीने पहले खुल जाते हैं । छात्रावास एक महीने बाद खोलने का क्या कारण है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ऐसा नहीं है । छात्रावास पहले खुल जाते हैं । जहां तक पहले पुराने छात्रों का प्रश्न है वे तो उसी वक्त भर्ती कर लिये जाते हैं । इसलिये छात्रावास तो जारी हो जाते हैं । कॉलेज में आने वाले जो लोग हैं उनकी देरी से भर्ती होती है ।

श्री जयनारायण सालोदिया : जयपुर में छात्रावास एक महीने देरी से खुलते हैं और कई छात्र अपने पास से पैसे खर्च करके खाना खाते हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : यदि माननीय सदस्य इस प्रकार की बात कहते हैं तो इसकी जांच करा ली जावेगी ।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है; एक महीने का समय तो मामूली बात है। जब छात्र कॉलेज में अपना प्रवेश ले लेता है, उसके बाद में उसको दाखिल करते हैं। इस तरह से एक-डेढ़ महीना लग जाता है और लड़कों को परेशान होना पड़ता है। उधर कॉलेज से निकालने की बात आती है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि केवल जयपुर की ही बात नहीं है, यह सारे राजस्थान की बात है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इसकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप कहते हैं तो इसकी जांच करा ली जावेगी और भविष्य में इसके लिये प्रबन्ध कर दिया जावेगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या इन लोगों को छात्रवृत्तियां मिलती हैं, वे आदिवासी संघ की मार्फत दी जाती है?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जो एजेन्सी के द्वारा चलाये जाते हैं, उनकी मार्फत दी जाती है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : जो आदिम जातियों की मार्फत दिया जाता है उनको १२ महीनों के बाद दिया जाता हैं, जब कि वे १० महीने ही चलते हैं.........

श्री अमृतलाल यादव : दो तरह के छात्रावास हैं। एक डिपार्टमेंटल और दूसरे संस्थाओं द्वारा चलाये जाते हैं। इसमें आदिवासियों के भी छात्रावास हैं। जो अलग-अलग कालिजों को और एजेन्सीज़ को दी जाती है उसी तरह उनको भी दी जाती है। वॉलन्टियरी एजेन्सीज़ को १० महीने की देते हैं, जब कि १२ महीने रहते हैं इसलिये उनको १२ महीनों की दी जानी चाहिये। मैं समझता हूँ कि कोई एक संस्था को छूट करें, यह कोई उचित नहीं है। सबको दी जाती है उसके विपरीत देने का प्रश्न नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं यह जानकारी चाहता था कि आदिम जाति संघ ऐसी बीच की एजेंसी है कि छात्रों के लिये जो पैसा दिया जाता है वह आधे से ज्यादा इसके स्टाफ पर ही खर्च हो जाता है, छात्रों को जो लाभ पहुँचना चाहिये वह नहीं पहुँचता, १२–१२ महीने की तनख्वाह नहीं पहुँचती है, इसके लिये मैं लाखेरी का उदाहरण रख सकता हूं। सरकार जब पैसा देती है तो डाइरेक्ट ही पैसा क्यों नहीं दे देती, एजेंसीज़ के मार्फत क्यों देती है? यह एजेंसी बीच में रखने से क्या फायदा है?

श्री अमृतलाल यादव : आदिम जाति संघ की एजेंसी को बीच में रखने का प्रश्न नहीं है....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : स्टॉफ का खर्चा होता है, ऐसे ऐसे वर्कर्स लगे हुए हैं, जिन पर चार-चार सौ रुपया माहवार खर्च होता है....

श्री अमृतलाल यादव : मुझे पूरा सुनिये तो सही। इस प्रकार की वॉलंटियरी एजेंसीज़ हैं, उनको हम रखेंगे, हां इनके सम्बन्ध में कोई शिकायत हो तो आप शिकायत रखिये, उनकी जांच की जायगी और विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जायगी।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ४० रुपया एक लड़के पर आप इन एजेंसीज़ को मंथली देते हैं तो क्या वह पूरा रुपया एक लड़के पर खर्च हो जाता है ?

श्री अमृतलाल यादव : इसलिये देते हैं कि उन्होंने मांग की है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मेरा प्रश्न यह है कि ४० रुपया एक लड़के पर खर्च कर दिया जाता है क्या ? ये लोग एक लड़के पर २० रुपया भी खर्च नहीं करते, २० रुपयों का ये संस्थाएं गोलमाल कर देती है ।

श्री अमृतलाल यादव : इसके लिये एक स्केल बना हुआ है, उसके अनुसार ग्रान्ट-इन-एड देते हैं । अगर किसी प्रकार की शिकायत हो तो वह शिकायत हमारे पास रखिये, हम उसकी जांच करेंगे और उन शिकायतों को दूर किया जायगा ।

श्री दयाचन्द सोन (बारां-सु०) : शिकायत यह नहीं है कि मत दो, आप उनको दो । मेरी शिकायत यह है कि ४० रुपया एक छात्र पर एक महीने के हिसाब से देते हैं पर ये एक लड़के पर १५ रुपया भी खर्च नहीं करती हैं । ४० में से २५ रुपया तो होस्टल की व्यवस्था, स्टाफ आदि पर ही खर्च कर देते हैं, लड़कों पर तो १५ रुपया ही खर्च किया जाता है । लड़कों को अच्छा खाना नहीं मिले, कपड़े नहीं मिलें, किसी प्रकार की अच्छी व्यवस्था नहीं है, तो इनको देने से क्या फायदा ?

श्री अमृतलाल यादव : ऐसी शिकायतें जब भी आई हैं तो जांच की गई है और समुचित व्यवस्था की गई है, अब भी शिकायत हो तो हमें जांच करने से क्या एतराज हो सकता है ।

श्री दयाचन्द सोन : आप स्वयं यह मानते थे पहले ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि ये एजेंसीज समय पर ऑडिटेड अकाउन्ट पेश नहीं करती हैं और समय पर ऑडिटेड अकाउन्ट पेश नहीं करने के कारण इनको समय पर रकम का भुगतान नहीं किया जाता है जिससे कि ये छात्रावास देरी से खुलते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : छात्रावास तो खुले ही रहते हैं । जब तक ये संस्थाएं ऑडिटेड अकाउन्ट्स पेश नहीं करें तब तक ग्रान्ट-इन-एड की रकम का भुगतान करमा अनियमितता होती है, इसलिये ग्रान्ट-इन-एड बिना हिसाबात के पेश किये नहीं दे सकते । उसकी वजह से छात्रावासों को किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसको देखते हैं, जांच करते हैं और विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, उसको देखते हैं । जो एजेंसीज़ ठीक नहीं चलती हैं तो छात्रावास उनसे छीन लेते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : ऑडिटेड अकाउन्ट्स पेश नहीं होने की वजह से आप इन एजेंसीज़ को एडहॉक बेसिस पर ग्रान्ट देते हैं, क्या यह नियमों के खिलाफ है ?

श्री अमृतलाल यादव : नियमों के अनुसार ही देते हैं । जब देखते हैं कि काम अड़ा हुआ है तो एडहॉक ग्रान्ट देते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट के द्वारा जो नियम बने हुए हैं,

(श्री भैरोंसिह)

जो नियम प्रकाशित हुए हैं उनके अन्दर एड-हॉक बेसिस पर देने का कोई प्रावधान नहीं है, क्या यह सही है ?

श्री अमृतलाल यादव : ऐसे कोई हार्ड एण्ड फास्ट रूल्स नहीं हैं । फिर भी हम इसको जनरली प्रोत्साहित नहीं करते ।

श्री भैरोंसिह : प्रश्न यह नहीं है । मैं तो यह पूछता हूं कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से जो नियम प्रकाशित किये गये हैं उनके अनुसार ग्रान्ट नहीं दी जा सकती जब तक कि ऑडिटेड अकाउन्ट्स पेश नहीं किये जायं और एडहॉक बेसिस पर तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती ।

श्री अमृतलाल यादव : नियम हैं, पर नियमों के अलावा गवर्नमेंट समझे कि स्पेशल तौर पर देना चाहिये तो अलग तरीका है ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह अलग तरीका सरकार का नियमों के अनुसार नहीं है ?

श्री अमृतलाल यादव : सब काम नियमानुसार होते हैं, कोई स्पेशल केस होता है, बाकी जनरली नियमों के अनुसार दिया जाता है ।

श्री भैरोंसिह : मेरा प्रश्न सीधा सा है, नियमों के अनुसार एडहॉक ग्रान्ट दी जा सकती है या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव : ऐसा कोई केस बतायें । मैं यह कहता हूँ कि नियमानुसार ही दिया जाता है ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सही है कि नियमानुसार दलित वर्ग संघ ने तीन बार ऑडिटेड अकाउन्ट्स पेश नहीं किये और उनको लगातार तीन-बार ग्रान्ट दी गई ?

श्री अमृतलाल यादव : यह आपका भ्रम है । जिनको भी ग्रान्ट—इन-एड दी गई है उनके सारे ऑडिटेड अकाउन्ट्स थे ?

श्री भैरोंसिह : मेरा प्रश्न यह है कि बिना ऑडिटेड अकाउन्ट्स के दलित वर्ग संघ को ग्रान्ट—इन-एड दी गई या नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव : बिना ऑडिटेड अकाउन्ट्स के किसी को भी ग्रान्ट—इन-एड नहीं दी गई ।

प्रश्न संख्या ७३२

श्री अध्यक्ष :

श्री मोहरसिंह !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७३३

श्री भीमसेन !

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री हनुमानसिंह !

मींडा नदी पर पुल

७३४. **श्री हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कुचामन—सांभर सड़क पर मींडा नदी (१२।० माइल

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

पर) पर पुल बनाने हेतु गत वर्ष के बजट में १,८०,०००) की धनराशि का प्रावधान रखा गया ?

(२) उक्त पुल का कार्य अभी तक शुरू नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या सरकार यह महसूस नहीं करती है कि बसों का रास्ता इस सड़क के टूट जाने से व नदी की बाढ़ के कारण वर्षा व गर्मी के दिनों में बन्द सा हो जाता है और यात्री अत्यन्त परेशान होते हैं ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : (१) यह सही नहीं है। रिवाइज्ड एस्टीमेट्स १९६४-६५ में ३०,०००) रु० मांगा था ।

(२) अर्थाभाव के कारण यह कार्य आरम्भ नहीं हो सका है ।

(३) सड़क की देख-रेख सदा रोड गेंग द्वारा की जाती है, केवल अधिक वर्षा या बाढ़ का पानी आने पर यातायात को कठिनाई होती है ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : गत वर्ष के बजट में १,३०,००० का कल्वर्ट के लिये प्रावधान रखा जा चुका है, फिर यह धनराशि खर्च क्यों नहीं की ?

श्री हरिश्चन्द्र : क्योंकि धनराशि कम मिली इसलिये खर्च नहीं हो पाई ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : साल भर होने आया, यह मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कल्वर्ट है, जयपुर से नागौर जाने का इम्पोर्टेन्ट रास्ता है, इसकी मरम्मत पर एक भी पैसा खर्च नहीं किया, अब इसे कब बनाने का इरादा है ?

श्री हरिश्चन्द्र : इस साल तो परिस्थिति और भी खराब है ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : गत वर्ष फिर इसको प्रावधान में रखने का क्या मकसद था ?

श्री हरिश्चन्द्र प्रावधान हो सकता है, पर इस साल पैसा नहीं मिलेगा तो पुलिया आधा रह जायगा, इतना पैसा नहीं मिले कि इसे पूरा करा पायें, इसलिये इसको शुरू नहीं करवाया गया ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : गत वर्ष भी कुछ नहीं किया गया, इस साल भी एक पैसा इसकी मरम्मत के लिये खर्च नहीं किया, फिर प्रावधान रखने का क्या मकसद था ?

श्री हरिश्चन्द्र : आप फरमा रहे हैं, सही है। इस साल पैसा कम मिलेगा, इसलिये खर्च नहीं किया । जब हम देखते हैं कि पूरा पैसा मिल जायगा तब शुरू करते हैं । पूरा पैसा आगे मिलने वाला नहीं हो तो उस काम को शुरू नहीं करवाते क्योंकि वह अधूरा रह जाता है ।

श्री हनुमानसिंह चौधरी : मेरा नम्र निवेदन है कि यह मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कल्वर्ट है। जयपुर से नागौर जाने का यही एक मात्र रास्ता है। इस पर बसें चलती हैं। बरसात और गर्मी की ऋतु में तो यह रास्ता बिल्कुल नहीं के बराबर है; सड़क टूटी पड़ी है। क्या इसकी जांच करवायेंगे ?

Page No. 10

श्री हरिश्चन्द्र : जांच किस बात की कराऊं ?

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या टोकन प्रोविज़न है ?

श्री हरिश्चन्द्र : कई जगह टोकन प्रोविजन्स भी होते हैं ।

श्री भैरोंसिंह : इस प्रश्न का पूछ रहा हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र : इस पुलिया के लिये गत वर्ष ३०-४० हजार रुपया रखा है । जब देखते हैं कि इतना ही फिर मिल जायगा तो काम शुरू करा देते हैं पर इस साल कम पैसा मिला है, इसलिये इसे नहीं करवा सकते ।

श्री भैरोंसिंह : इस पर्टीक्यूलर पुलिया के लिये पैसा मिला है या नहीं मिला है ?

श्री हरिश्चन्द्र : ओवर ऑल मेरा कमिटेड वर्क १८० लाख का था । इस वर्ष ८०-६० लाख के करीब मिला । ५० पर्सेंट रिडक्शन जैसे ही हो गया । काम शुरू कर देते तो वह काम अधूरा पड़ा रहता ।

श्री भैरोंसिंह : आपने पहले ही अन्दाज कैसे लगा लिया कि रुपया नहीं मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा कि आज जो काम शुरू किये हुए हैं १८० लाख के हैं । इन शुरू किये हुए कामों को करने पर कुल १८० लाख लगेंगे ।

श्री भैरोंसिंह : आपने यह फरमाया कि अगले साल मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसलिये नहीं लगा पाये, हालांकि प्रोविज़न मंजूर था ।

प्रश्न संख्या ७३५

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जयनारायण सालोदिया !

रोडवेज के कर्मचारियों के खिलाफ मामले

७३६. श्री **जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे —

(१) स्टेट रोडवेज के कर्मचारियों के खिलाफ कितने केस १९६४ में लेबर कोर्ट में चलाये गये थे ?

(२) क्या यह सत्य है कि लेबर कोर्ट ने आम तौर पर फैसले कर्मचारियों के पक्ष में किये व जिससे हजारों रुपया रोडवेज को कर्मचारियों को घर बैठे देने पड़े ? यदि हां, तो ऐसे झूठे केस कर्मचारियों पर किस ऑफिसर द्वारा बनाये गये और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) सन् १९६४ में लेबर कोर्ट में केवल एक मामला चलाया गया था ।

(२) जी नहीं ।

प्रश्न संख्या ७३७

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

(श्री अध्यक्ष)

श्री जयनारायण सालोदिया !

टोंक जिले के लिए दी गई रकम !

७३८. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) टोंक जिले के लिए सन् १९६४-६५ में किस किस प्रकार के कार्यों के लिए कितनी रकम समाज कल्याण विभाग ने दी थी ?

(२) क्या जिन कार्यों के लिए राशि दी गई थी वह उन कार्यों पर खर्च कर दी गई ? यदि नहीं, तो किन कार्यों की राशि खर्च नहीं की जा सकी ?

उप-मंत्री, समाज कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : (१) टोंक जिले के लिए सन् १९६४–६५ में जिस प्रकार के कार्यों के लिए जितनी रकम समाज कल्याण विभाग ने दी उसकी सूची नं० १ व २ सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) जिन कार्यों के लिए राशि दी गई थी उन कार्यों पर खर्च हुई राशि के विवरण की सूची संलग्न प्रेषित है।

(सूची विस्तृत होने से विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने जो राशि दी है जिन जिन कार्यों के लिए वे पूरे हो गए हैं, इनके प्रमाण-पत्र मिल गए विभाग को ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जहां पूरे हो गए हैं वहां के मिले हैं, जहां पूरे नहीं हुए हैं वहां नहीं मिले हैं। यह काम पंचायत समितियों में होता है, वहां से इसका पूरा विवरण अभी नहीं मिल सका है।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या पंचायत समितियों की तरफ से प्रमाण-पत्र मिल गए कि अमुक रकम इस काम के लिए दी गई, या इस काम में खर्च हो गई है ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : इस प्रकार का पूरा विवरण नहीं मिल पाया है।

श्री जयनारायण सालोदिया : तो आपको कैसे पता लगेगा कि आप जो रकम दे देते हैं, खर्च होती है, उन आदमियों को मिलती है या नहीं ? यह सब देखने की चीज है।

श्रीमती प्रभा मिश्रा : जहां खर्च नहीं हो रही है वहां विकास विभाग को भी लिखते हैं कि विकास अधिकारियों को आदेश दिया जाय कि जो राशि समाज कल्याण के लिए दी गई है वह समय पर खर्च हो जाय और उनको समय की मयाद बढ़ा कर भी खर्च करने के आदेश दिये गए हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : जो रकम आप जिलों को देते हैं वह वितरित कैसे की जाती है, जिला करता है या आप वितरित करते हैं ?

समाज कल्याण मन्त्री (श्री अमृतलाल यादव) : यह सवाल विचाराधीन है, कि आम तौर से अधिकांश पंचायत समितियों को जो समाज कल्याण से वेलफेयर के कामों के लिए रकम मिलती है वह खर्च नहीं होती है और हम लोग तकाजा करके हैरान हो जाते हैं। इस सवाल पर हाई लेवल पर सोच रहे हैं कि रकम कम होती है, काम ज्यादा

(श्री अमृतलाल यादव)

होता है और सब की इच्छा रहती है कि काम जल्दी हो, कुएं खुदवाने का काम, मकान और शिक्षा का काम तो हम खास तौर से देख रहे हैं। यह सही है कि पंचायत समितियों को जितना रुपया दिया जाता है, अधिकांश समितियां खर्च नहीं करती हैं। अब हमारी स्थिति यह है कि हम उनको रुपया दे देते हैं और उनसे तकाजा करते रहते हैं उसके बावजूद भी खर्चा नहीं करते हैं तो जवाब हमको विधान सभा में देना पड़ता है। तो हम सोच रहे हैं कि क्या रास्ता निकले और लोगों को राहत पहुंचे।

श्री अध्यक्ष : कुओं और मकान की रकम तो खर्च हो जाती है। लेकिन शिक्षा में कई कई जगह तो दो—दो रुपए, तीन—तीन रुपए देते हैं, वह कम रहता है इसलिए कोई फॉर्म ही नहीं भरता है। मैंने भी जानकारी की। आप सोचिए कि क्यों नहीं वे खर्च कर पाते हैं अपने इलाकों की बहबूदी के लिए। उनकी समस्याओं को आप जानने की कोशिश करें।

श्री अमृतलाल यादव : कम की बात मैं मानता हूं कि कम रकम से जहां तक स्कोलर-शिप का सवाल है लेकिन जो रकम किसी पर्टीक्यूलर पंचायत को दी तो भी वह उन्होंने पूरी नहीं खर्च की है। इसके आंकड़े हैं। तो वे खर्च करें और लड़कों को कितना अधिक से अधिक दिया जा सकता है, इस बात को भी सोचा जा रहा है।

श्री **अध्यक्ष** : श्री मोहरसिंह !

हनुमानगढ़ सरदारशहर मार्ग का राष्ट्रीयकरण

७३९. **श्री मोहरसिंह** : (चूरू) [श्री रावत राम (सादूलपुर) द्वारा पूछा गया] : क्या यातायात एवं परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(१) हनुमानगढ़ से सरदार शहर मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब तक किया जायगा ?

(२) क्या इस विषय में सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं है, तो क्यों ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) अभी सन् १९६७ तक इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण करने की कोई योजना नहीं है।

(२) भविष्य में राष्ट्रीयकृत किये जाने वाले मार्गों की सूची निगम तैयार कर रहा है। सूची तैयार होने पर ही आगे की योजना के बारे में यह बताया जाना सम्भव हो सकेगा।

श्री रावतराम : क्या यह सड़क १९६८ की सूची में है ?

श्री भीमसिंह : सूची तैयार हो रही है।

श्री रावतराम : आप इसको भी शामिल करें, यह बहुत जरूरी सड़क है।

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी !

ग्राम पलाड़ा को चम्बल की बिजली

७४०. श्री **हनुमानसिंह चौधरी** (नावां) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

Page No. 13

(श्री हनुमानसिंह चौधरी)

(१) क्या यह सही है कि ग्राम पलाड़ा (तहसील नावां) को चम्बल-विद्युत देने हेतु विद्युत मंडल द्वारा मंडावरा से पलाड़ा ग्राम तक खम्भे गाड़ दिए गये और ५-६ माह बाद उखाड़ लिए गये ? यदि हां, तो ऐसी कार्यवाही किस मकसद अथवा योजनान्तर्गत की गई ?

(२) क्या यह भी सही है सि ग्राम पलाड़ा के किसान कई दिनों से कृषि प्रयोजनार्थ विद्युत की मांग करते आ रहे हैं, और मंडावर (विद्युत लाइन से) केवल ३-४ माइल की दूरी पर होते हुए भी इनकी मांग पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है ? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-मन्त्री, विद्युत (श्री चंदनमल वैद) (१) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(२) जी हां। तारीख १४-३-६६ को प्रार्थना-पत्र आये थे। ये विचाराधीन हैं

श्री हनुमानसिंह चौधरी : कब निर्णय हो जायगा ?

श्री चंदनमल वैद : इस साल की जब स्कीम बन जायगी, रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन की, तब इस पर ध्यान दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती गौरी पूनिया !

स्थगित प्रश्न

२९-३-६६

७४१. **श्रीमती गौरी पूनिया** (डेगाना) क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राज्य सरकार ने सुरक्षा सैनिकों को आवास सुविधा देने के लिए अब तक कितने जिलों में भू-खंड सुरक्षित किए हैं ?

(२) १९६२ से आज तक भिन्न भिन्न जिलों में कितने सैनिकों को प्लाट दिए जा चुके हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(३) १९६२ से अब तक जयपुर व जोधपुर में कितने प्रार्थना पत्र आ चुके हैं ?

स्वायत शासन मन्त्री (श्री बरकतुल्ला खां) : (१) ६ जिलों में।

(२) ५० भू-खंड। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) ३३१ जयपुर में व ५९ जोधपुर में।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्रीमती गौरी पूनिया : उन ६ जिलों में नागौर का नाम भी है क्या ?

श्री बरकतुल्ला खां : जी नहीं। जहां जहां इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट हैं-अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। इसके अलावा नगर पालिकाओं को भी हिदायतें दे दी गई हैं कि वे प्लॉट्स एलॉट करें। उसके साथ साथ सरकार नया प्रपोजल बना रही है कि पंचायत समितियों और नगर पालिकाओं सबको आदेश दे दिए जायं और भारत सरकार की तरफ से सजेशन आया है कि १५ प्रतिशत प्लॉट्स रिजर्व्ड होने चाहिए, उस पर सरकार जल्दी विचार करेगी।

श्रीमती गौरी पूनिया : ऐसा कोई प्रतिबन्ध है क्या कि जिस जिले का रहने वाला है उसी जिले में मिलेगा ?

श्री बरकतुल्लाखां : जी हां।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : ६ जिले कौन से हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर व जोधपुर। जहां जहां इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स हैं उनसे कहा गया है। बाकी जहां नगरपालिकाएं हैं उनको आदेश दे दिए गए हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : कोटा में क्या व्यवस्था है ?

श्री बरकतुल्लाखां : वहां नगरपालिका है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आपने जो पाबंदी लगाई है कि जिस जिले का रहने वाला सैनिक है उस जिले के अन्दर ही प्लॉट्स ले सकते हैं। तो क्या यह माना जाय कि ६ जिलों के अलावा बाकी के जो सैनिक हैं उनको प्लॉट्स देने की व्यवस्था नहीं की गई है ?

श्री बरकतुल्लाखां : यह नहीं है। जहां जहां इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स हैं वहां बताया है। बाकी जहां नगरपालिकाएं हैं उनको आदेश हैं कि सैनिकों को जमीन एलॉट करें। तो नगरपालिकाओं को आदेश पहुंच रहे हैं। अब सरकार विचार कर रही है कि नगरपालिकाओं के साथ-साथ पंचायतों को भी आदेश दिए जायं ताकि सब जगह चाहे पंचायत में लेना चाहें, नगरपालिका में लेना चाहें या नगरपरिषद् में लेना चाहें तो ले सकें।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने इस संबंध में रेट्स निर्धारित किये हैं ?

श्री बरकतुल्लाखां : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : बताए।

श्रीमती गौरी पूनिया : सिपाहियों को जमीन देने के लिए सरकार ने इस प्रकार का प्रतिबन्ध क्यों लगाया है ?

श्री बरकतुल्लाखां : जिनकी तनख्वाह २५० रुपये तक है उनको दो रुपये गज के हिसाब से, जिनकी तनख्वाह २५० से ४००) है उनको कन्सेशनल रेट पर तीन रुपये गज के हिसाब से, जिनका वेतन ४००) रुपये से ऊपर है उनको साढ़े चार रुपये गज के हिसाब से। यह उन जगहों के लिए है जहां जमीन कम है। जहां जमीन ज्यादा है और लोग कम हैं वहां उनको कम कीमत पर जमीन दी जा सकती है।

श्री भैरोंसिंह : कोई कैटेगोराइज़शन तो नहीं किया है ? कोई भी भूतपूर्व सैनिक लाभ उठा सकता है ?

श्री बरकतुल्लाखां : हमने यह किया है कि "Armed personnels whose income...." तो जो आर्म्ड सोल्जर्स जो आलरेडी सर्विस में हैं...........

श्री अध्यक्ष : नियमों की कॉपी सदन की मेज पर रखें।

Page No. 15

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : क्या कारण है कि सरकार ने यह शर्त लगाई है कि उसी जिले में जमीन लेनी होगी ?

श्री बरकतुल्लाखां : एमर्जेन्सी के अन्दर यह एक्शन लिया था। अब सरकार विचार कर रही है कि अगर सैनिक जयपुर में मकान बनाना चाहें तो उनके लिए रिजर्व किया जाय और दिमाग इस तरह चल रहा है कि सर्टेन पर्सेन्टेज ऑफ प्लॉट्स रिजर्व किए जाय, आर्मी पर्सोनल के लिए बड़े-बड़े शहरों में।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि सैनिक सुविधाओं के बारे में घोषणा की है, उसके अनुसार जहां-जहां इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट्स हैं वहां सैनिक कॉलोनी बनाई जाय और जमीन रिजर्व की जाय, इस प्रकार का आदेश तीन वर्ष पहले जारी किया गया था ?

श्री बरकतुल्लाखां : गवर्नमेंट ने आदेश जारी किए थे उसके बाद यह तय हुआ कि ऑलरेडी जो स्कीम हैं उनके साथ ले लिया जाय।

श्री भैरोंसिंह : ये एप्लीकेशन्स आपने डिस्पोज ऑफ नहीं कीं या पेन्डिंग हैं और १९५० को प्लॉट्स अलॉट किए और बाकी को क्यों नहीं किए ?

श्री बरकतुल्लाखां : जब इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पास देते हैं तो वहां से होम डिपार्टमेंट के पास भेजते हैं। होम डिपार्टमेंट पहले सेटिस्फाई होता है कि यह आर्मी पर्सोनल है, उसके बाद ही प्रॉयोरिटी होम डिपार्टमेंट फिक्स करता है और इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट ऑर्डर देता है।

श्री भैरोंसिंह : जिन एप्लीकेशन्स पर निर्णय नहीं हुआ है उनकी प्रॉयोरिटी फिक्स हो चुकी है।

श्री बरकतुल्लाखां : काफी लोगों की हो चुकी है। ट्रस्ट को ऑर्डर दे दिए हैं कि जितनी स्कीम बनाएं उनमें उनके लिए प्लॉट्स रखें और उनकी एप्लीकेशन्स को डिस्पोज ऑफ करके उनको प्लॉट्स दें।

श्री भैरोंसिंह : क्या प्रॉयोरिटी फिक्स की अलॉटमेंट पर ? क्या आधार है कि इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कितने पर्सेन्ट तक प्रॉयोरिटी देकर प्लाट्स देंगे ?

श्री अध्यक्ष : नियम देख लें।

श्री भैरोंसिंह : नियमों में नहीं है, अध्यक्ष महोदय। आपने प्रॉयोरिटी की नयी बात कही है। ५० एप्लीकेशन्स भेज दीं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट जितने प्लॉट्स दे रहा है उनमें से एक्स-सोल्जर्स को कितने होंगे ? यह तय नहीं किया है तो सब बात इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट पर निर्भर है। आपने पर्सेन्टेज तय किया है या नहीं कि इतने पर्सेन्टेज प्लॉट्स इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट दे ?

श्री अध्यक्ष : उस पर विचार कर रहे हैं। भारत सरकार को लिखा है।

श्री भैरोंसिंह : "सैनिक सुविधाएं" नामक पुस्तक निकाली। कितने ही क्वेश्चन्स आये। रिजर्वेशन का सवाल आया। फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जल्दी से जल्दी दी जाय। आज के भारत सरकार के आदेश थोड़े ही हैं, बहुत पुराने आदेश हैं भारत सरकार के।

श्री बरकतुल्ला खां : श्री मेहरचन्द खन्ना की चिट्ठी है ८ दिसम्बर, १९६५, की जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि १५ पर्सेन्ट प्लॉट्स होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह !

श्री भैरोंसिंह : १५ पर्सेन्ट का रिज़र्वेशन कर दिया ?

श्री अध्यक्ष : विचार कर रहे हैं ।

श्री जुझारसिंह (चेचट) : कोटा से लास्ट वार में जो सोल्जर्स गए थे लड़ाई में, वे घर पर बैठे हुए हैं और उनके लिए कई बार कहा गया, लेकिन उनको प्लॉट्स एलॉट नहीं हुये । क्या भूतपूर्व रियासतों के जो एक्स-सोलजर्स हैं उनको भी दिए जावेंगे या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : यह समस्या एक गम्भीर समस्या है । इस पर विचार कर लीजिये ।

श्री जुझारसिंह : कोटा के लिए कहा गया ।

श्री अध्यक्ष : आपने नोटिस दिया है अब । वे जानकारी कर रहे हैं ।

श्रीमती गौरी पूनिया : जोधपुर में एक भी पलॉट नहीं दिया है ।

श्री बरकतुल्लाखां : ४९ प्लॉट अलॉट हो गए ।

प्रश्न संख्या ७२४

श्री अध्यक्ष : श्री चन्द्रसिंह बर्फा !

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७२५

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या ७२६

श्री मथुरेशबिहारी माथुर !

(अनुपस्थित)

श्री हरिराम धारू !

सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण

७२७. **श्री हरिराम धारू** (सिवाना—सु०) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं में कार्यरत सफाई मजदूरों की संख्या इतनी कम है कि शहरों और कस्बों की सफाई अच्छी प्रकार नहीं हो पाती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार नगरपालिकाओं की किस रूप में सहायता करना चाहती है ?

(२) क्या यह भी सही है कि सरकार सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य की ट्रेनिंग देने के लिए कोई केन्द्र स्थापित करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, स्वायत्त शासन, (श्री दौलतराम सारण) : (१) यह सही नहीं है । प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता है ।

(२) जी नहीं ।

श्री हरिराम धारू : माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान के भिन्न २ भागों की म्युनिसिपेलिटियों में मेहतरों की संख्या कम है। इससे सफाई पूरी नहीं हो पाती है, गंदगी फैलती है और बीमारी फैलती है। इसलिये म्युनिसिपैलिटी में नौकर बढ़ाने के लिये सरकार के द्वारा मदद की जाय, ताकि सफाई अच्छे ढंग से हो।

श्री दौलतराम सारण : राज्य सरकार की तरफ से द्वितीय श्रेणी से पंचम श्रेणी की नगरपालिकाओं के लिये कर्मचारियों की संख्या निर्धारित है। एक हजार की आबादी पर चार सफाई कर्मचारी निश्चित हैं।

श्री हरिराम धारू : माननीय अध्यक्ष, जयपुर के अन्दर पहले जितने सफाई करने वाले नौकर थे उनसे कोई दस–बीस बढ़ गये होंगे। जयपुर शहर काफी बढ़ गया है और जन-संख्या भी इसकी काफी बढ़ गयी है; जब कि नौकर उतने ही हैं, इसलिये उन पर काम का भार अधिक पड़ता है।

श्री बरकतुल्ला खां : यदि नगरपालिकायें अपने कर्मचारियों को बढ़ाना चाहती हैं तो राज्य सरकार को उसमें कोई आपत्ति नहीं है।

श्री हरिराम धारू : राज्य सरकार की ओर से नौकर रखना चाहिये। म्युनिसिपैलिटी में टैक्स आता है उसके अनुसार सड़कों, पानी और बिजली पर लगा देते हैं। सफाई में उतना इन्ट्रेस्ट नहीं है। इसलिये सफाई के बारे में राष्ट्रीयकरण कर लें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : कई म्युनिसिपैलिटियों में सफाई नहीं होती, यह पूछा गया। आपने जवाब दिया कि 'जी नहीं'। क्या आपने उन म्युनिसिपैलिटियों का निरीक्षण किया और निरीक्षण करके ही यह जवाब दिया है?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिकायें अपनी आवश्यकता और साधनों के अनुसार हरिजन कर्मचारी रखती हैं। प्रश्न यह था कि हरिजन कर्मचारी हैं उनकी संख्या निश्चित नहीं है। द्वितीय श्रेणी से पंचम श्रेणी की नगरपालिकाओं में १ हजार की जन-संख्या पर चार सफाई कर्मचारी नियुक्ति किये जाते हैं। इस प्रकार की नगरपालिकायें बिना स्वीकृति के यह कर सकती हैं। इससे अधिक आवश्यकता समझे तो राज्य सरकार की स्वीकृति से कर सकती हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : चार हरिजन हैं, इससे सफाई ठीक नहीं हो सकती।

श्री दौलतराम सारण : राजस्थान की अलग-अलग नगरपालिकाओं में अलग २ स्थिति है। एक नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : बारां को लीजिये। आपने किस प्रकार कह दिया कि सफाई होती है?

श्री दौलतराम सारण : बारां का सवाल नहीं है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : म्युनिसिपैलिटी के बजट आपके पास आते हैं। हरिजनों की नियुक्ति होती है, यह आप जानते हैं। जन-संख्या के आंकड़े आपके पास हैं। एक हजार पर चार कर्मचारी होने चाहिये तो कितनी नगरपालिकाओं में आपके रूल्स के

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

अनुसार सफाई कर्मचारी नहीं हैं और सफाई वहां नहीं होती है ?

श्री दौलतराम सारण : नगरपालिका एक निर्वाचित संस्था है और स्थानीय आवश्यकताओं को देख कर नियुक्ति करती है। उनको बाध्य नहीं कर सकते क्योंकि उनका वेतन नगरपालिकायें देती हैं। सफाई कर्मचारियों की संख्या निश्चित कर दी। वहां तक तो वे रखने के लिये स्वतन्त्र हैं। उससे अधिक की आवश्यकता है तो राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त कर लें ।

श्री हरिराम चारू : राज्य सरकार मेहतरों को सफाई के लिये ट्रेनिंग में भेजने के लिये क्या व्यवस्था कर रही है, ताकि वे अच्छे ढंग से सफाई करें और बेकारी न फैले। यह सरकार की ओर से होनी चाहिये।

श्री रावतराम (सादूलपुर) : नगरपालिकाओं में सफाई कर्मचारी हैं, उनकी सर्विस परमानेन्ट नही है। एक चेयरमैन आता है तो दस को निकाल देता है और दूसरा आता है तो दस को भर्ती कर लेता है और निकाल देता है। आपका प्रश्न यह है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आपने परमानेन्ट कर दिया है तो इनको परमानेन्ट करने में वर्षों क्यों निकाल दिये? इसलिये सरकार एक बहुत बड़ा न्याय करेगी उनके साथ यदि उनको परमानेन्ट कर दे ताकि जो चेयरमैन आवे वह उनको नहीं निकाल सके। इसके लिये सरकार क्या निर्णय कर रही है ?

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : जिन नगरपालिकाओं में........

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य यह बहुत अहम और जरूरी प्रश्न है, उसका उत्तर तो सुनिये ।

श्री बरकतुल्ला खां : सरकार इस बात को मानती है कि नये प्रेसीडेन्ट के आने से कर्मचारी न बदले जायं, उसके लिए कोशिश हो रही है। चौथी श्रेणी के जो कर्मचारी है लोकल लेवल पर उनको परमानेन्ट कर दिया जाय ताकि दूसरा चेयरमैन आये तो उनको निकाल न सके । इसलिए जो लोग सैक्शन्ड पोस्ट्स के अन्तर्गत हैं उनको परमानेन्ट कर दिया जाय, इस बात की सरकार कोशिश कर रही है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इसमें अव्यवस्था का कारण यह है कि म्युनिसिपल अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार को सर्विसेज़ कमीशन नियुक्त करने का था वह नहीं किया जा सका, इस कारण यह सब होता है ?

श्री बरकतुल्ला खां : सर्विसेज़ को इन्टीग्रेट करने के लिए एक कमेटी बना दी गई है, उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर को भी एसोशियेट किया, उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी थे। इनके द्वारा सेक्रेटरीज़ कमिश्नरों की और इन्सपेक्टर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स की सर्विसेज़ का इन्टीग्रेशन कर दिया है। फोर्थ क्लास सर्वेन्ट्स के लिए कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूं, कमीशन के नहीं होने से कोई तकलीफ नहीं हुई है, दूसरी तरह से कमिटी बना कर पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर को एसोशियेट कर

Page No. 19

(श्री बरकतुल्लाखां)

सिनियोरिटी फिक्सेशन कम्पलीट कर लिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : जब तक आप नगरपालिका अधिनियम के अन्तर्गत संशोधन नहीं करते उस समय तक राज्य सरकार सिवाय कमीशन के और कोई व्यवस्था फिक्सेशन के बारे में, सिलेक्शन के बारे मेंनहीं कर सकती?

श्री **बरकतुल्ला खां** : लीगल पॉइन्ट है, इसमें डिफरेन्स ऑफ ओपीनियन हो सकता है।

श्री भैरोंसिंह : क्या सरकार ने म्युनिसिपल सर्विसेज रूल्स अब प्रकाशित कर दिये हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : जी हां।

श्री भैरोंसिंह : रूल्स के अन्दर व्यवस्था की गई है जिसके अनुसार इसको डिस्प्यूटेड मान कर चल रहे हैं ?

श्री बरकतुल्ला खां : हमने कमेटी अपॉइन्ट की थी उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर को भी एसोशियेट किया गया था, वह इल्लीगल नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : एक्ट के मुताबिक कमिशन की नियुक्ति करनी चाहिए थी वह क्यों नहीं की ?

श्री हरिराम धारू : मैं मन्त्री जी को निवेदन करूंगा, वे जयपुर को ही देख लें जो सफाई करने वाले मेहतर हैं उनको इन्सपेक्टर और दरोगा जो होते हैं उनसे घर का काम लेते हैं, इसलिए सफाई नहीं हो पाती है ?

श्री **जयनारायण सालोदिया** : खाना भी पकवाते हैं।

श्री दौलतराम सारण : ऐसी शिकायत हो तो ध्यान में लानी चाहिए। नगरपालिका के चेयरमैन देखेंगे। हमारे ध्यान में लाई जायगी तो हम उनके ध्यान में लायेंगे।

श्री **जयनारायण सालोदिया** : जिन नगरपालिकाओं में कोटे के अनुसार हरिजन कर्मचारी रखने के लिए आपकी स्वीकृति मांगी है वह अभी तक आपके द्वारा नहीं मिली है ?

श्री दौलतराम सारण : कोटे के अनुसार कर्मचारी रखने के लिए स्वीकृति मांगने की जरूरत नहीं, वे स्वतः अधिकृत हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरा भाई !

(अनुपस्थित)

श्री मोहर सिंह !

(अनुपस्थित)

श्री भीमसेन !

(अनुपस्थित)

श्री लक्ष्मण प्रसाद पटेल !

कानूनी सहायता

७३५. श्री **लक्ष्मण प्रसाद पटेल** (सिकराय-सु.) [श्री श्रवणलाल (हिन्डौन

(श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल)

सु. द्वारा पूछा गया] : क्या समाज–कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राज्य सरकार से अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन–जाति के लोगों के लिए कानूनी सहायता दी जाती है ? यदि हां, तो किन-किन परिस्थितियों में और किन-किन कार्यों के लिये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) इस प्रकार की सहायता प्राप्त हो सकती है, इसका प्रचार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार किस प्रकार करती है ?

उपमंत्री, समाज-कल्याण (श्रीमती प्रभा मिश्रा) : जी हां, प्रार्थी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति का सदस्य होना चाहिये जिसकी कुल मासिक आय १०० रु० से अधिक न हो।

कानूनी सहायता निम्नलिखित मामलों में दी जा सकती है :—

(क) सिविल अथवा रेवेन्यू मामले, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स सहित, जिसमें प्रार्थी एक पार्टी हो।

(ख) फौजदारी मामले जिसमें प्रार्थी अभियुक्त हो।

(ग) फौजदारी मामले जो नॉन-कॉग्निजेबल हों, जिसमें प्रार्थी वादी हो।

(घ) किसी न्यायालय, पब्लिक ऑफीसर अथवा आर्बीट्रेटर की अन्य प्रोसीडिंग्ज़ जिसमें प्रार्थी एक पार्टी हो तथा जिसमें वकील की इजाजत हो।

नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है। २ ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की सहायता का प्रचार पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों, समाज-कल्याणविभाग के अधिकारियों एवं कार्य-कर्ताओं तहसीलदार तथा उप-खंड अधिकारी द्वारा किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तककालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : १९६५ में इसके लिये कितना प्रावधान रखा गया था ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : पांच हजार।

श्री हरि प्रसाद शर्मा (पाटन) : एक एक मन्त्री ११ हजार रूपया टी० ए०, डी० ए० में उठाते हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसमें से खर्च कितना हुआ ?

श्री श्रवण लाल : ६२–६३ में इस मद के अन्दर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ ?

श्री अमृतलाल यादव : दरअसल इस सम्बन्ध में कानूनी मदद कितनी मिले, कितना रुपया है, पांच हजार ही, क्या अगर पचास हजार भी रखें तो कम पड़ेगा, लेकिन अभी तक जितनी बजट में गुन्जाइश थी उसको देखते हुए अधिक से अधिक रखने की कोशिश की जाती है। इसमें जिन एजेन्सीज की मार्फत खर्च करने की बात है, एक्टिव नहीं होने से उसका लाभ नहीं मिल सका है। लॉ डिपार्टमेंट की सहायता से हम यह सोच रहे हैं कि इसका सीधा लाभ उनको किस प्रकार मिल सकता है ?

श्री भैरोंसिंह : अभी तक जितनी भी धनराशि का निर्धारण किया गया है, वह पूरी मात्रा में कभी भी खर्च नहीं हुई है ?

श्री अमृत लाल यादव : मेरी जानकारी में यह नहीं है कि किसी साल में पूरी की पूरी रकम खर्च हुई हो ।

श्री भैरोंसिंह : इस साल का बजट बनाने से पहले आपने यह भी देखा है क्या कि ६५ के साल की सेविंग क्यों रही ?

श्री अमृतलाल यादव : जी हां, सेविंग क्यों रहती है इसकी जांच ही नहीं की । इसके बारे में कमेटी बैठा कर हमने उससे कहा है कि वह सजेस्ट करे, किस प्रकार से इसमें अधिक से अधिक खर्च हो, जरूरत पड़े तो हम रकम को और बढ़ा सकें ।

श्री भैरोंसिंह : जिस सेविंग के बारे में आपने कमेटी बनाई, उसकी क्या राय रही ?

श्री अमृतलाल यादव : कोई सेविंग के लिये कमिटी नहीं बनी हुई है । जनरल तौर पर वह कमेटी यह देखे कि इसमें जो पैसा जाता है वह पूरा खर्च किस प्रकार से हो और जो नहीं हुआ है तो वह क्यों नहीं हुआ? उसको खर्च करने में क्या दिक्कत है ? इसमें कितना अधिक से अधिक खर्च हो सकता है यह बतायें ?

श्री मोती लाल चौधरी (डीडवाना) : विभाग को मालूम नहीं । राजस्थान में इस तरह के लोग कितने हैं जिनको मदद मिलनी चाहिये ?

श्री अमृतलाल यादव : इसमें मदद मिलने का सवाल नहीं है । प्रश्न के उत्तर में साफ बता दिया है कि किस-किस तरह के लोगों को क्यों सहायता मिलनी चाहिये, वे उस केटेगेरी में आते हैं उनको मिलती है ।

श्री मोती लाल चौधरी : विभाग को यह भी मालूम नहीं कि किनकी सहायता मिलनी चाहिये । विभाग के अधिकारी हैं, इन्सपेक्टर्स हैं, वे हर जिले के अन्दर इस प्रकार की सहायता पाने वाले कितने आदमी हैं उसकी भी जानकारी नहीं रखते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : जिनके आवेदन-पत्र आते हैं नियमानुसार विचार किया जाता है ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह जानकारी आप किस प्रकार देते हैं ?

श्रीमती प्रभा मिश्रा : तहसील पंचायतों को, पंचायत समितियों को यह जानकारी दे रखी है ।

श्री मोती लाल चौधरी : आपका एक अलग विभाग है, उसको यह पता नहीं कि इसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार करना चाहिये, यह आप विभाग की कमी नहीं मानते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : अध्यक्ष महोदय, इसमें विभाग की कमी का प्रश्न नहीं । जो आवेदन पत्र आते हैं उसको एग्जामिन किया जाता है ।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): शिड्यूल्ड कास्ट और शियूड्ल्ड ट्राइब्ज के लोगों को इस प्रकार की सहायता मिलती है, इसकी सूचना उन लोगों को किस प्रकार आप देते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : पंचायत लेवल तक जितने अधिकारी हैं सभी को यह बताया जा चुका है। सर्कुलर भेज चुके हैं, माननीय सदस्यों को भी बताया जा चुका है।

श्री श्रवण लाल : आपने जिला परिषदों पंचायत समितियों और विभागीय कार्यकर्ताओं को यह हिदायत दे रखी है कि वे प्रचार करें लेकिन वे आज तक नहीं कर पा रहे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : इसमें प्रचार की इतनी आवश्यता नहीं जिसको आवश्यकता होती है, जिसको दिक्कत होती है, वे प्रार्थना पत्र देते हैं, इसमें प्रचार की कोई खास बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह !

(अनुपस्थित)

प्रश्न समाप्त हुए।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बाड़मेर में सहायक रजिट्रार की नियुक्ति

७२४. श्री **चन्द्रसिंह बर्फा** (बिलाड़ा): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि सहायक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटीज की नियुक्ति बाड़मेर में दो साल के करीब नहीं रही जिससे बाड़मेर बैंक का करीब ५० हजार से १॥ लाख का ऋण डूबत खाते में है ? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। सहायक रजिस्ट्रार बाड़मेर का पद करीबन १४ माह रिक्त रहा। यह भी सच नहीं है कि बाड़मेर बैंक का ५० हजार से १॥ लाख का ऋण डूबत खाते में हो।

मनोहरथाना कस्बे को बिजली

७२५. श्री भैंवरलाल 'कालाबादल' (अकलेरा-सु०): क्या विद्युत मंत्री नीचे लिखे प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) मनोहर थाना, जिला झालावाड़ कस्बे को बिजली कब तक दी जाने की योजना है ?

(२) क्या यह सही है कि सन् १९६२ के चुनाव के दिनों में सम्बन्धित मंत्री महोदय ने वहां की जनता के बीच यह कहा था कि मध्य प्रदेश के चांचोड़ा में बिजली आजावेगी तब इस कस्बे को बिजली देदी जावेगी ?

(३) यदि हां, तो चांचोड़ा (मध्यप्रदेश) मनोहर थाने से कितने मील के फासले पर है और मनोहर थाना कस्बे को बिजली देने में देरी क्यों की जा रही है ?

उत्तर

१. अभी तक किसी भी योजना में शामिल नहीं है।

२. इस प्रकार की कोई सूचना इस कार्यालय में नहीं है।

३. चांचोड़ा और मनोहरथाना के बीच की दूरी १३ मील है।

जयपुर स्थित रोडवेज के वर्कशाप पर व्यय

७२६. श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

(१) जयपुर स्थित राजस्थान स्टेट रोडवेज के वर्कशाप पर वर्ष १९६५ में कितना व्यय हुआ ?

(२) इस वर्कशाप पर कुल कितना किस-किस पद का स्टाफ काम करता है ?

उत्तर

(१) जयपुर स्थित क्षेत्रीय तथा डीपो वर्कशाप पर क्रमशः रुपये १, ३७, ९२६.४० पैसे तथा रुपये १,३६, ७५८, १९ का व्यय हुआ है।

(२) जयपुर स्थित कर्मशालाओं में भिन्न भिन्न पदों पर काम करने वाले स्टाफ की सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कुशलगढ़ की श्रमिक ठेका सहकारी समितियां

७२८. श्री हीराभाई (कुशलगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) तहसील कुशलगढ़ में कौन-कौन सी श्रमिक ठेका सहकारी समितियां हैं ?

(२) सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) द्वारा कौन-कौन से भवन एवं पथ बनाने के कार्य का ठेका इन सहकारी समितियों को अब तक दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) तहसील कुशलगढ़ में निम्नलिखित ३ श्रमिक ठेका सहकारी समितियां रजिस्टर्ड हैं:-

(i) कुशलगढ़ सहकारी श्रमिक ठेका समिति लि०।

(ii) विश्वकर्मा सहकारी श्रमिक ठेका समिति लि०।

(iii) सज्जनगढ़ श्रमिक ठेका सहकारी समिति लि०।

(२) इन श्रमिक ठेका समितियों को सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) द्वारा जो ठेके दिये गये उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट संख्या २ देखिये)

बीकानेर से नागौर मार्ग का राष्ट्रीयकरण

७३२. श्री मोहरसिंह (चुरू) : क्या यातायात एवं परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) बीकानेर से नागौर मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब तक किया जावेगा ?

(२) क्या इस विषय में सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं हैं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) अभी सन् १९६७ तक इस मार्ग के राष्ट्रीयकरण करने की कोई योजना नहीं है।

(श्री यातायात एवं परिवहन मंत्री)

(२) अभी तक कोई योजना नहीं है। सन् १९६७ व उसके बाद राष्ट्रीयकृत किये जाने वाले मार्गों की सूची निगम द्वारा तैयार की जा रही है। सूची तैयार होने पर ही यह बताया जाना सम्भव हो सकेगा कि इस मार्ग का राष्ट्रीयकरण कब होगा।

आर. टी. ए. बीकानेर का कार्यालय

७३३. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या यातायात मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि आर.टी.ए., बीकानेर का कार्यालय समाप्त कर दिया गया है ?

(२) क्या यह सही है कि भू.पू. बीकानेर डिवीजन तथा जोधपुर डिवीजन क्षेत्रों से यातायात विभाग की आमदनी में मामूली फर्क होते हुए भी बीकानेर कार्यालय समाप्त कर दिया गया है जिससे जनता की दिक्कतें बढ़ेगीं ?

(३) क्या सरकार ए. आर. टी. ओ., बीकानेर को टेम्पोरेरी परमिट्स तथा परमिट्स के रिन्यूअल आदि के अधिकार देना उचित समझती है ताकी जनता की कुछ दिक्कतें दूर हो सकें ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

(३) ए० आर०टी०ओ०, (असिस्टेन्ट रीजनल ट्रांसपोर्ट आफीसर) बीकानेर द्वारा यथापूर्व कार्य सम्पादन हो रहा है फलस्वरूप जनता की दिक्कतों का प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

तहसील कुशलगढ़ में छात्रावास

१४४. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ़): क्या समाज-कल्याण मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) तहसील कुशलगढ़ में १९६४-६५ में जो छात्रावास खोला गया था वह किस तारीख से खोला गया ?

(२) जिस भवन में यह छात्रावास चल रहा है उसका मासिक किराया मकान मालिक को कितना देना पड़ता है ?

(३) क्या यह सही है कि इस भवन का किराया नये भवन के किराये के अनुसार चुकाया जा रहा है जब कि भवन बहुत पुराना है ? यदि हां, तो क्यों और इस भवन के किराये का निर्धारण किसके द्वारा किया गया है और किस हिसाब से ?

(४) यह मकान कब बना था ?

उत्तर

(१) यह छात्रावास दिनांक १-७-६४ से प्रारम्भ किया गया है।

(२) १९०.०० रुपये प्रति माह।

(३) इस भवन का किराया एक्जीक्यूटीव इंजीनियर पी० डब्लू० डी०, बी०

Page No. 25

(श्री हीरालाल)

एण्ड० आर०, डूंगरपुर द्वारा पत्र क्रमांक ६३५० दिनांक ६-३-६५ से निर्धारित किया गया है उसके अनुसार ही किराया चुकाने की कार्यवाही जारी है।

(४) भवन बनने की तिथि का रिकार्ड मकान मालिक के पास भी उपलब्ध नहीं है।

तहसील सरदारशहर के गांवों को बिजली

१४५. **श्री रावतराम** (सादूलपुर) : क्या विद्युत् मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

चालू वर्ष १९६५-६६ में तहसील सरदार शहर, जिला चुरू के किन-किन गांवों को बिजली दी गई है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्ष १९६५-६६ में तहसील सरदारशहर, जिला चूरू के निम्न गांवों को बिजली दी गई है, पुलासर, बरदंजसर, खीवानसर, उदासर, सारसर।

बड़ी सादड़ी से छोटी सादड़ी सड़क का कार्य

१४६. **श्री शंकरलाल** (सादड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी से छोटी सादड़ी सड़क का कार्य सन् १९५२ से प्रारम्भ हुआ था?

(२) क्या यह भी सही है कि अभी तक सड़क-निर्माण का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है?

(३) क्या यह सत्य है कि बड़ी सादड़ी-बोहेड़ा सड़क का कार्य बड़ी शिथिलता से चल रहा है? यदि हां, तो उपरोक्त सड़कों के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार क्या कदम उठायेगी और सड़क कब तक पूर्ण हो जायेगी?

(४) क्या यह सही है कि मंगलवाड़-निम्बाहेड़ा सड़क के कार्य की योजना फॉरमर राजस्थान के वक्त हाथ में ली गई थी? क्या यह सही है कि उक्त सड़क अभी तक यों ही पड़ी हुई है? और उस पर केवल धूला ही पड़ा था वह भी पानी से बह गया और खड्डे पड़ गये हैं?

यदि हां, तो उक्त सड़क का कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) सड़क पूर्ण हो चुकी है।

(३) जी नहीं तृतीय पंचवर्षीय योजनानुसार केवल ४॥ मील में कार्य कराया जाना था जो पूर्ण हो चुका है बाकी कार्य चतुर्थ योजना में पूर्ण हो सकेगा।

(४) जी नहीं मंगलवाड़ से निम्बाहेड़ा ग्रेवल रोड निर्माण का कार्य प्रथम पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत हुआ था जो पूर्ण करा दिया गया है। इस सड़क को पक्की रोड बनाया जाने का कार्य तृतीय योजना में

Page No. 26

(श्री सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

स्वीकृत नहीं है अतः कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

तरनाऊ-खाट्र सड़क

१४७. **श्री गंगासिंह** (जायल)—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि तरनाऊ-खाट्र सड़क स्टेट हाईवेज में सम्मिलित करली गई है ?

(२) अगर हां, तो यह सड़क कब तक पूरी हो जावेगी ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

उद्योगों को कोटा

१४८. **श्री भीमसेन** (लूणकरणसर): क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

राज्य में कन्ट्रोल्ड मेटीरियल बेस्ड कौन कौन से उद्योग हैं तथा उनको कितना २ कोटा इस वर्ष अलॉट किया गया है ?

उत्तर

राज्य में कन्ट्रोल्ड मेटेरियल बेस्ड उद्योगों की सूची संलग्न हैं। जिसके अनुसार इस वर्ष १९६५-६६ में कन्ट्रोल्ड मेटेरियल एलॉट किया गया है।

(सूची विस्तृत होने से विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

(११.५९ म.पू.)

ट्रक चालकों की हड़ताल के सम्बन्ध में शासकीय वक्तव्य

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है।

श्री **मथुरादास माथुर** (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, ट्रक चालकों की हड़ताल के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव आया था उसके सिलसिले में मुझे निवेदन करना है।

ट्रक चालकों की हड़ताल करने के बाद में उन्होंने जो मांगे रखी थीं वे तीन मांगे थीं।

(१२ मध्यान्ह)

एक मांग यह थी कि गंगानगर को अलग रीजन न बनाया जावे। दूसरा, किराए की दरों में वृद्धि की जावे। तीसरा, गुड्स टैक्स और वैहिकल टैक्स कम किये जावें।

ये तीन बड़े मुद्दे लेकर उन लोगों ने हड़ताल की थी। हड़ताल करने के समय में और जैसा सदन के सामने विधेयक रखा गया था उसके दौरान चर्चा में, मैंने सरकार का पूरा दृष्टिकोण और जो सरकार ने ट्रक चालकों को अपील की थी, उसके बारे में भी और दूसरी स्टेटों के अन्दर मोटर वैहिकल टैक्स के बारे में क्या-क्या किया चाहे गुड्स टक्स हो चाहे रोड टैक्स हो चाहे पैसेन्जर वैहिकल टैक्स हो, सदन में पूरी बात रखदी थी। इसलिए इन सबको

(श्री मथुरादास माथुर)

फिर दोहरा कर सदन का समय लेना नहीं चाहता।

जहां तक ये तीन बड़ी-बड़ी मांगें थीं उसमें राज्य सरकार ने जहां तक गंगानगर को अलग रीजन न बनाया जावे और अगर बनाया जावे तो विस्तार न किया जावे इसके बारे में सदन में दौराने बहस में इसको स्वीकार कर लिया था और यह कह दिया था कि राज्य सरकार विचार करके गंगानगर रीजन के बारेमें ७० मील ही पड़ता है इसलिए इसके बारे में पुनः विचार करेगी।

दूसरी बात किराये की वृद्धि के बारे में, मैंने सदन के सामने निवेदन कर दिया था कि बस चालकों के निवेदन पर कमेटी की स्थापना की थी और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर गजट में ४ अप्रेल को शाया कर दिया था। एक अप्रेल के बाद में पब्लिक ओपीनियन और ट्रक और बस चालकों के रिप्रेजिन्टिटिव्ज के आने पर पूरा निर्णय कर देंगे।

इस तरह से दो मांगें जो उन्होंने रक्खी थीं उनको राज्य सरकार ने सही समझ कर मन्जूर किया था।

तीसरी बात, जहां तक मोटर विहिकल टैक्स और गुड्स टैक्स कम करने की बात थी, मोटर विहिकल टैक्स के बारे में काफी निवेदन कर दिया था।

हड़ताल कानून पास होने के बाद भी अभी तक चालू है और राज्य सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि हड़ताल टूट जाय और इसके सम्बन्ध में हड़तालियों के प्रतिनिधि मुख्य मन्त्री जी से और मुझ से मिले थे और बराबर हमने उनको बहुत ही सद्भावना से और शान्ति से सुना है।

पंजाब के अन्दर, माननीय अध्यक्ष, परिचालकों की हड़ताल हुई थी। वह हड़ताल तोड़ दी गई है। हड़तालियों की तरफ से यह प्रार्थना पत्र दिया गया था कि पंजाब में समझौता हुआ है इसके आधार पर यहां पर भी कर दिया जाय। पंजाब में अभी कोई समझौता नहीं हुआ है। सिर्फ हड़ताल तोड़ दी गई है और राज्य सरकार उस पर विचार कर रही है।

यह भी आश्वासन कल दे दिया था कि पंजाब में तब्दीली होती है और उससे पंजाब के गुड्स टैक्स और मोटर विहिकल टैक्स मिलाकर राजस्थान से अगर वे कम पड़ते हैं तो इसके बारे में हम आश्वासन नहीं दे सकते। इस समय हम पुनः विचार करेंगे। इस तरह की बात भी कल हड़तालियों के प्रतिनिधियों से बातचीत होने के दौरान में बता दी गई थी। फिर भी उन लोगों ने, जहां तक हम समझ सके थे वादा किया था और कहा था कि और सब से बात करके हड़ताल खोल देंगे।

राज्य सरकार ने उनसे यह भी अपील की थी कि मुक्तलिफ जिलों में जो छुटपुट ला और आर्डर का प्रोब्लेम भी जो उनके द्वारा क्रीएट हो रहा है उस को भी राज्य सरकार गम्भीरता से देखती है। राज्य सरकार यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी कि ला और आर्डर की हालत खराब हो, और जो कोई अपनी वैहिकल चलाना चाहे तो उसे जबर्दस्ती रोका जावे। फिर भी

Page No. 28

(श्री मथुरादास माथुर)

हड़तालियों के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिलाया था कि ऐसी हरकतें नहीं होंगी ।

जनता को इस हड़ताल से कठिनाई हो रही है । साग सब्जी फ्रूट और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुओं तक को इधर उधर ले जाने में परेशानी हो रही है । इससे राज्य सरकार काफी चिन्तित है । इसलिये हड़तालियों के प्रतिनिधियों से, कल भी जब कि मैं और आज मुख्य मन्त्रीजी मिले थे, उससे मेरा ख्याल है हड़ताली पुनः इस पर विचार कर रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) आज सुबह ?

श्री मथुरादास माथुर : आज सुबह भी मिले थे । कुछ लोग कल मिल चुके थे । जो कल नहीं मिल सके थे आज सुबह मुख्य मन्त्री जी से ८॥ बजे उदयपुर उनके हवाई जहाज से रवाना होने से पहले मिले थे । वे पुनः विचार कर रहे हैं ।

मैं आशा लेकर चलता हूँ कि हम इस मामले को मिल जुलकर निपटा लेंगे । हड़ताल खुल जावेगी और सरकार की तरफ से सदन के जरिये से हड़ताल करने वाले सभी परिचालकों से मैं यह अपील करता हूं कि वे हड़ताल तोड़ दें ।

उनकी और भी जो तकलीफें हैं, उनके बारे में पहले भी कहा था और आज फिर मैं सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी और छोटी मोटी तकलीफों के बारे में राज्य सरकार पूरा ध्यान देगी । राज्य सरकार कभी भी यह नहीं चाहती कि उनको परेशानी हो । राज्य सरकार हमेशा से हमदर्दी से उनकी तकलीफों पर ध्यान देने के लिए तैयार है ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लगभग दस हजार ट्रक्स हैं । वे आज हड़ताल के अन्दर शामिल हैं और उसका स्वाभाविक रुप से माल के आवागमन पर कितना असर पड़ता है इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है । जयपुर शहर में आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का दिन पर दिन अभाव होता जा रहा है, वे मंहगी भी होती जा रही हैं ।

सरकार ने जिस प्रकार का रवैया इस हड़ताल के सम्बन्ध में अपनाया है वह बहुत ही अजीबोगरीब है । आज से कुछ दिन पहले जब इस प्रश्न को लेकर सदन में बहस हुई थी तो माननीय मुख्य मन्त्री महोदय ने इस टैक्स की कमी के सम्बन्ध में बहुत ही सख्त भाषा का प्रयोग किया था और उससे ऐसा लगता था कि हमारी राजस्थान सरकार इतने ट्रक परिचालकों की मांगों पर पुनर्विचार करने को तैयार नहीं हैं । मेरी जानकारी के अनुसार कल तक परिचालकों के प्रतिनिधि जो राजस्थान के मुख्यमन्त्रीजी से मिले थे उनको यह आश्वासन दिया गया था कि पंजाब में यदि टैक्सेज की कमी हो जाती है तो राजस्थान की सरकार भी टैक्सेज में उसी के अनुरूप कमी कर देगी । मुझे यह भी जानकारी मिली है कि पंजाब सरकार ने टैक्सों में कमी कर दी और नोटिफिकेशन भी प्रकाशित कर दिया गया है । इस स्थिति में यह कहकर राजस्थान सरकार चले कि पंजाब में अभी तक निर्णय लिया नहीं गया है, मैं समझता हूं, यह बहुत ही

(श्री भैरोंसिंह)

दुर्भाग्यपूर्ण है और इस हड़ताल को और ज्यादा जटिल स्थिति में लाने का प्रयास किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय मंत्री महोदय ने दो मांगों को लेकर तीसरी मांग के सम्बन्ध में किराये की वृद्धि के बारे में जो कहा उस सम्बन्ध में उस दिन भी माननीय मन्त्री महोदय बहुत ही होशियारी से बच निकलने का प्रयास कर रहे थे और आज भी ऐसा लगता है कि उसी होशियारी का परिचय इस सदन में वे दे रहे हैं।

उस दिन जब सदन में कई माननीय सदस्यों ने सरकार से केटेगेरिकली एश्योरेन्स चाहा था कि इन टैक्सेज को बनाये रखने के लिये सरकार इस प्रकार का तो उनको विश्वास नहीं दे सकती है कि हम किराया बढ़ा देंगे, और तुम बढ़े हुए टैक्स मन्जूर कर लो। ऐसा कैटेगेरिकली एश्योरेन्स नहीं दिया और मुझे भय है कि ऐसी व्यवस्था यह सरकार करके चल रही है कि एक तरफ किराया बढ़ा दिया जावे इसकी आड़ में परिचालकों को खुश कर लिया जावे कि तुम जिस प्रकार से राज्य सरकार ने टैक्स बढ़ाये हैं, उनको उसी प्रकार से स्वीकार कर लो।

मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूँ कि राजस्थान की हुकूमत के इस तरह के रवैये के कारण आज राजस्थान का व्यवसाय ठप्प हो रहा है। यह सरकार के इस रवैये से साफ जाहिर हो रहा है। जैसा रुख आज लेकर चल रही है अगर सरकार के मन्त्री महोदय इस प्रकार भाषा बोल रहे हैं या जो भाषा मुख्यमन्त्री ने पंजाब के प्रश्न को सामने रख कर आश्वासन दिया था वैसा रुख पहले होता तो ट्रक चालकों की हड़ताल नहीं होती। जो व्यवसाय को आघात आज तक पहुंचा वह नहीं पहुंचता। पर हमारी सरकार में तो इस तरह की समझ उस समय आती है जबकि उस पर दबाव पड़ता है। वह परेशानी और दबाव के कारण समझ में आती है।

मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह हड़ताल पंजाब के एश्योरेन्सेस के बेसिस पर पंजाब में जो निर्णय लिया गया उसके अनुसार राजस्थान में टैक्स कम करने के आश्वासन के ऊपर मैं समझता हूं कि परिचालक तोड़ेंगे लेकिन विधान सभा में इसको छिपाया जाये और बाहर ही इस प्रकार के आश्वासन दिये जायें, विधान सभा के बाहर ही इस प्रकार के निर्णय लिए जायें, यह भी मैं बहुत आपत्तिजनक समझता हूं। जब यह प्रश्न विधान सभा ने सीज कर लिया फिर चाहे मुख्यमन्त्री हों या हमारे यातायात मंत्री हों उनकी ड्यूटी थी कि इस प्रश्न के ऊपर हम किस प्रकार का आश्वासन दे रहे हैं वे सदन को बताते और यहां पर वे अपना वक्तव्य देते और जिस दिन बहस हो रही थी उस दिन भी कहा था कि पंजाब सरकार और उनके बीच में समझौते की बात चल रही हैं। पंजाब सरकार टैक्स कम करने वाली है उस रोज मंत्री महोदय इस प्रश्न पर मौन रहे और आज यह कह रहे हैं तो ऐसा लगता है कि सरकार की इस गलत नीति के कारण ट्रक चालकों ने यह हड़ताल की। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि यह बढ़ा हुआ टैक्स ट्रक चालकों के लिए समस्या नहीं है, लेकिन इस कारण से जो हमारी ट्रान्सपोर्ट इन्डस्ट्री है और जो उसके बढ़ते

(श्री भैरोंसिंह)

हुए चरण हैं उनके ऊपर भी एक प्रकार की बेड़ियाँ पड़ती हैं। यह मामूली सा टैक्स, चाहे जितना ही वसूल कर लें, लेकिन इसके कारण से ओवर ऑल इम्पेक्ट पड़ने वाला है वह बहुत घातक है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वह पंजाब की नकल करें तो ठीक है या नहीं करें तो ५ दिन से जो १० हज़ार ट्रक पड़े हैं जिससे इकोनोमिक स्ट्रे हो रही है, लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति भी मुझे सूचना नहीं है कि कहीं बिगड़ी हो, लेकिन वह भी बिगड़ सकती है। इस सारी समस्या का समाधान करने से पूर्व ही सरकार जिस आग्रह के ऊपर है उस पर पुनर्विचार करे और इन टैक्सेज को कम करे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : आप इस समस्या का हल जिस प्रकार से पंजाब ने निकाला है उस तरह से निकालने में यहां भी राजस्थान में चेष्टा रखते हैं ?

श्री **मथुरादास माथुर** : मैं इसके बारे में पहले ही निवेदन कर चुका हूँ। पंजाब में क्या हल निकला है उसका अभी राजस्थान सरकार को ज्ञान नहीं है और पंजाब क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसको देखने के बाद में ही कुछ कह सकते हैं। वैसे अभी कोई केटेगोरीकल आश्वासन देने की स्थिति में मैं नहीं हूं।........

श्री **भैरोंसिंह** : वह तो मुख्य मन्त्री जी ने आश्वासन दे दिया कि पंजाब में यदि रिड्यूस कर दिया तो हम भी कर देंगे।

श्री **मथुरादास माथुर** : मैं तो स्टेटमेंट दे चुका हूं। कोई केटेगोरीकल स्टेटमेन्ट कम करने का या बढ़ाने का नहीं दिया है। हमने यह कहा है कि पंजाब में जो कुछ होगा उसके बाद में राज्य सरकार पुनर्विचार करने के लिए तत्पर रहेगी और उसके बाद में हो सकता है कि कम हो जाये, हो सकता है कि उतना ही रखा जाये। इसलिए पंजाब के फैसले के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन यह आश्वासन नहीं दिया है और मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि पंजाब के बाद में पंजाब से ऑटोमेटीकली कॉपी कर लेंगे, यह भी मैंने नहीं कहा है।

श्री **भैरोंसिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह तो और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई। राजस्थान सरकार ने अपनी आर्थिक स्थिति का निर्णय करने का भार भी पंजाब सरकार के हाथ में दे दिया कि पंजाब पुनर्विचार करेगा तो हम भी करेंगे।

श्री **मथुरादास माथुर** : उसके बारे में डेपुटेशन आया, उसने कहा कि पंजाब में ऐसा हुआ है और मैं डिबेट में यह कह चुका हूं कि पड़ौसी स्टेट्स की मीटिंग हुई थी और जहां तक हो सके यह टैक्स एक ही तरह के लगाये जायें इस तरह का फैसला हुआ, ताकि बहुत ज्यादा कम्पलीकेशन्स नहीं हो, उसके आधार पर हमने भी और पंजाब ने भी फैसला ले लिया। इसलिए पंजाब जो डिसीजन लेता है उसको हम भी देखेंगे। उनके फैसले में कोई तब्दीली नहीं होती है और फैसला होने के बाद हमसे ज्यादा होता है तो हम क्या करें। अगर हमसे कम होता है तो यह बात सोचने की है। यह बात हमने कल कही थी।

श्री **भैरोंसिंह** : इसका मतलब अध्यक्ष महोदय, हमारा विचार करने का मापदण्ड

(श्री भैरोंसिंह)

सारा का सारा पंजाब के ऊपर है। इस ट्रान्सपोर्ट डवलपमेंट के अन्दर आज के टैक्स कितने घातक हैं, हम इसके ऊपर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। हम यह माध्यम बनाकर चल रहे हैं कि पंजाब क्या निर्णय लेता है। इसके मतलब यह हुए कि ट्रान्सपोर्ट डेवलपमेंट के बारे में और इकोनोमिक हालत के बारे में और समस्या का समाधान करने के लिए राजस्थान सरकार स्वतः कोई विचार करने के लिए तैयार नहीं है वह तो पंजाब से प्रेरणा लेकर विचार करने को तैयार है। इसका मतलब यह है कि राजस्थान सरकार अपना प्राथमिक रूप न रखकर सेकेन्डरी स्टेज लेकर करना चाहती है। मैं समझता हूं कि सरकार के लिए इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति और कोई नहीं हो सकती।

स्थगन प्रस्ताव

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जालोर के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव दिया था उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना माननीय सदस्य श्री भगराज चौधरी ने दी है जिसे सरकार के पास भेज दिया गया है। उनका उत्तर आने के पश्चात् इस पर निर्णय दे दिया जायेगा।

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : इसका जवाब कल मिल जाये तो अच्छी बात हो।

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव।

(१२·१६ म. प.)

डूंगरपूर नगर में पेय-जल की समस्या विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री हरिदेव जोशी (जन-स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री विजयपाल कटारा और दूसरे ६ सदस्यों ने डूंगरपूर जिले में पीने के पानी के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखा है। उन्होंने यह कहा है कि डूंगरपूर के पास जो एडवर्ड समन्द तालाब है वहां से उदयपुर शहर को पानी दिया जाना चाहिए जो कि कुछ वर्षों पहले दिया जाता था और गैबसागर से आज पानी दिया जाता है और वह इतना गंधला है कि पीया नहीं जा सकता।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि डूंगरपूर शहर में अभी पीने का पानी गैबसागर तालाब से दिया जाता है जो कि शहर के पास में है और कुछ वर्ष पहले सम्भवतः सन् १९५५-५६ तक एडवर्ड समन्द से दिया जाता था। शहर की आबादी बढ़ जाने के कारण से और उसमें कुछ डिफिकल्टी होने के कारण एडवर्ड समन्द में पानी कम होने लगा और राज्य सरकार ने फिर १९५५-५६ में एक नई स्कीम बनाकर और फिल्ट्रेशन प्लान्ट लगाकर गैबसागर से पानी देना शुरू किया। अभी जहां तक पानी का सवाल है स्थिति यह है कि न तो एडवर्ड समन्द में इतना पानी है कि वह पानी शहर को पहुंच सके और फिर इतना कम है कि पहुंच भी नहीं सकता और जो आज तत्कालित अवस्था को अर्थात् अकाल के कारण से जो पानी की कमी है उसको पूरा नहीं कर सकते। दूसरी तरफ गैबसागर में पानी कम होने के कारण से पानी में टरबीडिटी बढ़ गई है—इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके

(श्री हरिदेव जोशी)

सिवाय दूसरा चारा नहीं है। इसका केमिकल एनेलेसिस करवाया गया था और पीरियोडिकल एनेलेसिस हो रहा है तो ह्यूमन कन्जम्पशन के लिए रिजल्ट के अनुसार वह ऐसा पानी नहीं है जो नहीं पीया जा सके। मैं कुछ दिनों पहले वहां गया था और मैंने स्वयं देखा था, वहां के म्युनिसिपल बोर्ड के अध्यक्ष भी और दूसरे सदस्यों ने भी इसके बारे में कहा था तो एडवर्डसमन्द गया था जिलाधीश के साथ में और मैंने देखा था तो और एग्जीक्यूटिव इन्जीकियर की राय थी कि यह पानी प्रयत्न करें तो भी नहीं पहुंच सकता है। दूसरा सोर्स बताया था कि जो दोह नदी है उसके पास में थोड़ा बंध बनाकर डूंगरपुर शहर को पानी पहुंचाया जाये। वहां के रेल्वे स्टेशन ने डूंगरपुर शहर को पानी दिया है दोह नदी में कुआ खोदकर लेकिन वह भी उतना नहीं है कि वह काफी हो सके। जो नाला है वह भी पेरेनियल नहीं है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि हमेशा के तौर पर वह काम में आ सकेगा। अलबत्ता दो प्रकार के प्रयत्न किए हैं। एक तो प्री-ट्रीटमेंट प्लाँन्ट का ऑर्डर दे दिया गया है और उसके टेन्डर्स २६-४-६६ को होने को हैं। इस प्री-ट्रीटमेंट प्लान्ट से जो टर्पीडिटी पानी में है वह ठीक हो जायेगी और पानी गंदला नहीं दिखाई देगा और हम १५ गैलन पर कैपिटा पानी सप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि पानी को राजस्थान के दूसरे शहरों की अपेक्षा मिल रहा है लेकिन ऐसा लगता है कि वह पानी ठीक नहीं है। लेकिन आज जो भी स्थिति है उसके अनुसार हम दूसरा कोई भी इन गर्मियों के लिए कोई विचार नहीं कर सकते फतहपुर के कुए के बारे में कह सकते हैं। उसका भी पानी ऐसा है कि दाल वगैरह छीजती नहीं है और लोगों की शिकायत बनी रहती है। मैं समझता हूं कि इस जांच के बाद पीरियोडीकली जो टेस्ट होते रहते हैं उसके बाद में ऐसा लगता है कि पानी खराब नहीं है और पीने के योग्य है और कोई परेशानी की बात नहीं है। अब जब कि प्रीट्रीटमेंट प्लान्ट लग जायेगा तो पानी ज्यादा अच्छा हो जायेगा और इसका काम लगभग एक महीने में शुरू हो जायेगा। आशा है कि इस प्लान्ट के बाद में जो कठिनाई डूंगरपुर शहर को है वह नहीं रह जायेगी।

राजस्थान में गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना विषयक शासकीय वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : अब राजस्थान में गन्दी बस्तियों के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देंगे।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री) माननीय अध्यक्ष महोदय....

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) मैं माननीय मन्त्रीजी से सुझाव के रूप में कुछ निवेदन करना चाहूंगा कि मैं समझता हूं कि यह एडवर्ड समन्द के बारे में अगर मन्त्रीजी विचार करेंगे तो एडवर्ड समन्द से पानी लाया जा सकता है। एडवर्ड का पानी साफ पानी है और एक बहती हुई नदी हैं। मेरा अनुमान है कि अगर तीन साल तक दुष्काल पड़े तब भी वहां पर इतना पानी है कि वह खुट नहीं सकता। पहले भूतपूर्व रियासत के जमाने में ८ मील के फासले पर यह एडवर्ड समन्द है वहां से पानी लाया गया

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

था । चार मील तक सीमेंट की पाइप लाईन लगाकर पानी लाया गया था । उस वक्त कोई तकलीफ नहीं थी । दुर्भाग्यवश यह जो नई स्कीम मन्त्रीजी चलायेंगे वह क्या है, यह नई स्कीम क्या है मुझे मालुम नहीं है । जहां तक मेरी जानकारी है नई स्कीम के सम्बन्ध में वह यह है कि एडवर्ड समन्द का कुछ पानी है उसे इरीगेशन के लिए, सिंचाई के लिए दिया जाय । जो एडवर्ड समन्द के नीचे दूसरा बांध है, मन्त्रीजी खुद जानते हैं, थाणा के पास, थाणा ग्राम के पास बांध है, वहां से पानी दिए जाने की बात थी, वहां पर नहरें खुदीं और यह बिल्कुल सत्य है कि पानी थाणा से उत्तर दिशा में दिए जाने की योजना थी, जो नहर खोदी गई उत्तर दिशा में तो उन नहरों का लेवल तो ऊंचा रह गया और थाणा की नहर का लेवल तो नीचा रह गया । इस सम्बन्ध में कलेक्टर महोदय का ध्यान भी आकर्षित किया गया था औ रवह नहर भी किसी प्रयोजन में नहीं आ सकीं और उसी तरह जो सीमेंट पाईप डाली गई वह भी टूट टाट गई । और अब जो स्थिति वर्तमान में है और उसमें जो वहां पर करीब दो हजार आदमी रोजाना स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और उसी पानी को कपड़े धोने और खाना बनाने में काम में लेते हैं । पांच हजार के करीब मवेशी हैं वे भी पानी पीते हैं और वहीं पर मूत्र गोबर वगैरा करते हैं । ऐसी स्थिति में जैसा मंत्री जी ने कहा दोह नदी के पास जहां पर कुए खोदे जायं तो सम्भवतः यह पानी की समस्या हल हो सकती हैं । उन्होंने जो जानकारी फतहपुरा कुआ के सम्बन्ध में कही, वह बिल्कुल ठीक है । फतेहपुरा का पानी हार्ड वाटर है । आप दोह नदी के लिए विचार करें और वहीं तो कम से कम गेब तालाव का सवाल है वहां पर बहुत पानी है और वहां पहले भी दुष्काल पड़े होंगे, उसमें बहुत से पुराने कुए हैं और अगर उन कुओं की खुदाई करें तो भी उसमें कुआ मिल सकता है और उसमें पानी निकल सकता है । नहीं तो जो भी स्कीम आपके हाथ में उसको ही लें और उस पर विचार करें । दो महीने के बाद दुष्काल की वजह से वहां की हालत और भी अधिक खराब हो जायेगी, वहां पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा और लोग बीमार पड़ने लगेंगे । कितने दिन तक और गन्दा पानी वहां के नागरिकों को आप पिलायेंगे ? आपको चाहिए कि आप दोहनदी के कुओं के बारे में विचार करें वहां गैप सागर के अन्दर कई कुए ऐसे मिल जायेंगे जिनसे मेरे ख्याल से कोई न कोई व्यवस्था ऐसी हो सकेगी जिससे दुष्काल से पार पड़ सकेगा ।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि....

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर–सु०): अध्यक्ष महोदय, जो दोह नदी के बारे में बताया, इस बारे में मैं भी थोड़ा अर्ज कर दूं । जो आप दोह नदी के ऊपर कोई कुआ या तालाब खोद के पानी नहीं देते हैं तो इस पर आप एक बार और सोचें । डूंगरपुर से जो रेल्वे स्टेशन बना है उसको डूंगरपुर से वहां पानी काफी मात्रा में मिल सकेगा और जो नदी भरती है वह बहने वाली नदी है । यहां अगर कोई बांध बांध कर या कुए खोद कर पानी हासिल करने की योजना बना कर चलें तो सारे डूंगरपुर को आसानी

(श्री विजयपाल कटारा)

से पानी सप्लाई कर सकेंगे। दूसरा जो एडवर्ड तालाब के बारे में बताया कि पानी नहीं आ सकता तो वहां पर पानी तो बहुत कम है, पानी की जो व्यवस्था पहले थी, जो व्यवस्था तालाब का पानी लाने की थी काफी पहले, उसमें से कुछ नहरों को तो काट दिया गया है। पहले पानी आठ मील दूर से आता था वहां स्टेट के टाईम में, अंग्रेजों के टाइम में जो पानी डूंगरपुर शहर के लिए एक स्वास्थ्य की दृष्टि से जो लाने का प्लान था उस प्लान को तो आपकी मौजूदा सरकार ने खत्म कर दिया है। उसको अगर आप वापिस हाथ में लेंगे तो वहां का पानी बहुत शुद्ध है, जंगल से होकर, बहुत दूर से आता है, उसमें गोबर कचरा भी नहीं है, इससे लोगों को आप अच्छी तरह से पानी सप्लाई कर सकेंगे। सीमेंट की पाइप लगा कर जो आठ मील की दूरी से पानी लाकर और फिल्टर करके जो पानी दिया जाता था, वहां पर उसको अच्छी तरह से छान कर पानी सप्लाई किया जाता था। वहां पर वैसे ही नोहरू की बीमारी से लोग वैसे ही काफी पीड़ित हैं, आपका सबसे पहला काम यह होना चाहिए कि डूंगरपुर की पब्लिक के लिए जो वहां का कलंक पानी के रूप में है उसको मिटाना चाहिए और पानी सप्लाई करने के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है, उसको हाथ में लेना चाहिए। डूंगरपुर के अन्दर सारे बाजार के लोग तालाब में नहाते हैं। आपका भी खुद का पुराना अनुभव है और जितने बाजार के लोग हैं वे कपड़े धोते है। जो पशु हैं और जो पशु बाहर से आते हैं वे भी वहीं पर पानी पीते है।

इसी प्रकार से आज कल डूंगरपुर के तालाब का पानी बहुत सूख गया है और उसमें मछलियां मर रही हैं और इन मछलियों के मरने की वजह से वह पानी बिल्कुल गन्दा हो गया है और वर्षा का पानी भी नहीं आने से तालाब का पानी बिल्कुल खराब हो गया हैं। ऐसी सूरत में मेरा निवेदन है कि इस पानी को कम से कम जल्दी से जल्दी बन्द नहीं किया तो वहां भविष्य में जाकर गर्मी के टाइम में गन्दगी और फैलेगी और आगे जाकर हैजे के रूप को धारण हो जाएगी। इसलिए सरकार से निवेदन है कि पानी के बारे में आप ध्यान रख कर भविष्य के लिए ठोस योजना बना कर चलेंगे तो वहां के लोगों को फायदा होगा।

दूसरा निवेदन करना यह है कि डूंगरपुर के लिए आपने यह सौतेले व्यवहार के रूप में काम किया है और इसीलिए आप वहां पर पानी नही देते हैं। वहां की नगरपालिका भी स्वतंत्रपार्टी की नगरपालिका होने की वजह से आज तक उसको पैसा पूरा नहीं दिया गया है और पूरा पैसा नहीं देने से स्वतंत्रपार्टी की नगरपालिका अगर पानी लाना चाहे तो भी कहां से लाए। आधा हिस्सा तो महाराज साहब का है और आधे हिस्से के लिए वे कम्पेन्सेशन चार्ज करते रहते हैं। इस कम्पेन्सेशन को देने के बाद तो उनको पानी तो समय पर अच्छी मात्रा में पहुंचेगा। जो पानी दे रहे हैं वह पानी भी ऊपर के लेवल पर पहुंचना चाहिए, वह नहीं पहुँचता है। आपको खुद को मालूम है कि जूना महल, रंग महल के अन्दर होस्टल चलता है वहां पर पानी के लिए रात-दिन परेशानी रहती है, क्योंकि पानी जो पहुंचता है वह रात

(श्री विजयपाल कटारा)

में घण्टे, आध घण्टे के लिए पानी पहुंचता है और पानी की नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए और पीने के लिए दिक्कत है, इस दिक्कत को आप आज तक हल नहीं कर सके हैं। तो आगे जाकर हम आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि जो वहां पर पानी की तंगी है, जो पानी की समस्या है, लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा है उसको आप कोई योजना बना कर अच्छा पानी समय पर दिला सकेंगे। अगर लोगों को पानी समय पर नहीं मिलेगा तो आपकी आत्मा भी कितनी तड़पेगी ? इसलिए मेरा निवेदन है कि डूंगरपुर की जनता के लिए कम से आप पानी की व्यवस्था तो करें, आज वैसे भी अनाज के लिए अकाल की वजह से हाहाकार मचा हुआ है, फिर अगर पानी भी नहीं मिले तो हम कैसे जिन्दा रह सकेंगे ? आपको स्वयं को वहां के बारे में बहुत जानकारी है, सारी बातों का अनुभव है, वह तो आपका ही क्षेत्र था। इस क्षेत्र में स्वतंत्र पार्टी की नगरपालिका है, लेकिन वहां का एरिया आदिवासी इलाका है और महाराज साहब और स्वतंत्र पार्टी की वजह से अगर आप वहां पर कोई व्यवस्था नही करते हैं, गरीब जनता को मारने की कोशिश करते हैं तो हम लोग वहां पर मर जायेंगे। हम जीयेंगे कैसे ? इसलिए मेरा निवेदन है कि जो मिनिस्टर साहब वहां से आए हैं तो यह हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और हम डूंगरपुर वालों को विकास के रूप में कम से कम पानी की सुविधा तो मिले। मैं आपसे कैसे उम्मीद करूं कि आप हमारे वहां पर पानी की व्यवस्था करेंगे। वहां का इलाका आदिवासी इलाका है और जिन गांवों के अन्दर लोग रहते हैं आप भी वहां पर रह कर आए हैं, आप जानते हैं कि वहां के गांवों की कैसी दशा है। आज गांवों के अन्दर पानी का यह हाल है कि कुओं में पानी नहीं है और लोग आठ-आठ, दस-दस मील पर जाकर कुओं से पानी लाने की हिम्मत करते हैं। बाकी अगर कोई वहां के पानी के भरोसे रहे तो कोई आदमी जिन्दा रहने की उम्मीद नहीं कर सकता। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप उस तालाब को अपने हाथ में लें। आपने इरिगेशन के अन्दर इससे व्यवस्था कर दी है, अगर आप स्टेशन के पास बांध-बांध कर, कोई बड़े कुएं को खोदकर पानी डूंगरपुर को पहुंचाने की कोई योजना करें तो वह योजना आपको सफल होगी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि नाले तो समय पर वर्षा नहीं होने से सूख जाते हैं। लेकिन मेरी जानकारी है कि नाले बारह महीनों भरे रहते हैं, आज भी वहां पर पानी बहुत है। इसलिए मेरा निवेदन करना है कि इस सम्बन्ध में आप जल्दी से जल्दी कोई योजना बना कर काम करें तभी जाकर पानी की सुविधा मिल सकेगी और जो तालाब का पानी मिलता है, यह तालाब का पानी तो आज ही बन्द कर देना चाहिए, नहीं तो यह हैजे का रूप धारण कर लेगा वैसे ही लोग नाहरू रोग से पीड़ित हैं। इसलिए सरकार से निवेदन है इस मसले पर गम्भीरता से सोच कर वहां के लोगों को पानी की सुविधा देने की व्यवस्था करें।

Page No. 36

श्री ललित मोहन (गोगुन्दा-सु०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, डूंगरपुर में पानी की जो समस्या है वह भयानक है और आज वहां गम्भीर स्थिति है। वहां का पानी ऐसा है कि अगर कांच के ग्लास में पानी पीयेंगे तो पी नहीं सकते। माननीय मन्त्रीजी दूरदर्शी हैं और कुशल हैं। भविष्य में जाकर तो इसकी अच्छी व्यवस्था करेंगे ही, लेकिन तत्काल चूंकि जुलाई में तालाब भरेगा, बारिश में पानी आता है उससे तालाब भरेगा तो कम से कम इस एक-डेढ़ महीने में जो धूल वगैरह जम जाती है तो उसको साफ करायें तो ठीक रहेगा। आगे जाकर पानी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन तत्काल वहां पर व्यवस्था करने की जरूरत है नहीं तो हैजा वगैरह फैलने का डर है जैसा कि ४९ में फैला था जिसमें माननीय मन्त्रीजी भी पीड़ित हुए थे और हम लोग भी पीड़ित हुए थे। ऐसी स्थिति में अभी से सतर्क हो जाना चाहिए और तत्काल व्यवस्था करेंगे।

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि कोई चीज ऐसी रखी हो जिसको माननीय सदस्य ने कहा है उसको स्पष्ट नहीं किया गया हो। मगर माननीय सदस्य के कहने से कहीं यह भ्रम पैदा होता हो कि डूंगरपुर में स्वतन्त्र पार्टी की म्युनिसिपैलिटी है इसलिए ऐसा किया जाता है। मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा और अन्याय होगा मेरे प्रति।

मैंने जैसा कि निवेदन किया कि गैप सागर जिस तालाब से आज पानी दिया जा रहा है उससे पानी ५५-५६ से दिया जा रहा है। आज से नहीं दिया जा रहा है। जो समस्या आज पैदा हुई है वह विशेष प्रकार की समस्या है, अकाल की समस्या है। अकाल के कारण बरसात नहीं होने के कारण तालाब का पानी सूख गया है और उसमें टरपेडिटी बढ़ गई है। यह स्थिति है और परमानेन्ट व्यवस्था एक प्रकार की बात है। मैं जैसा कि निवेदन कर चुका हूँ, जैसा कि विरोधी दल के माननीय नेता ने बतलाया है एडवर्ड समन्द के बारे में। एडवर्ड समन्द में पानी ५५-५६ में कम हो गया था तो राज्य सरकार के सामने यह समस्या आई कि यह तालाब डूंगरपुर की बढ़ती हुई आवश्यकता पानी की को पूरा नहीं कर सकता इसलिए राज्य सरकार ने ३ लाख रुपये की नई स्कीम तैयार करके गैप सागर से पानी देने की शुरुआत की। राज्य के जमाने में एडवर्ड समन्द के साथ साथ फतेहपुरी के कुए से पानी देने की जरूरत हो गई थी, लेकिन उस कुए के अन्दर भी पानी कम पड़ता था। अभी पिछले दिनों मैं गया था तो खुद एडवर्ड समन्द गया था। एडवर्ड समन्द का पानी किसी भी हालत में गर्मियों में नहीं टिक सकता है जहां तक शोर्ट टर्म स्थिति का सवाल है। और लोंग टर्म स्थिति का जहां तक सवाल है तो या तो गैप सागर के पानी को दुरुस्त किया जाय अथवा बैरी की नदी अथवा दोह नदी से पानी लिया जाय। इसके सिवाय दूसरा रास्ता नहीं है। मैं डूंगरपुर से वाकिफ हूँ, आपने थाने के करीब का बतलाया होगा। स्थिति मुझे मालूम है। कहने की जरूरत नहीं है। वह नदी एक ही है। या तो नदी का पानी लिया जाय या गैप सागर के पानी को लिया जाय। नदी के बारे में भी मैंने आफिसरों से कहा कि यह नदी कितना पानी सप्लाई कर सकती है इसकी जांच करा लें। वहां पर रिजर्वायर बनाकर डूंगरपुर को पानी दिया जा सकता

(श्री हरिदेव जोशी)

है तो उससे पानी लिया जाय। मैंने जांच भी करवाई है तो उस जगह तीन फीट गहरा पानी है, कुछ जगह ५ फीट हैं और ५० फीट से ज्यादा जगह में पानी नहीं है लेकिन सतह में भी निरन्तर पानी बहता रहकर पानी सप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इसकी मैंने कलेक्टर द्वारा जांच करवाई है। वह रिपोर्ट देंगे।

तत्काल जरूरत को पूरा करने के लिए जो अभी गन्दा पानी मिलता है उसकी जांच पूरी करली गई है और प्रि-ट्रीटमेंट प्लान्ट के लिए टेण्डर इन्वाइट किये गये हैं। प्रि-ट्रीटमेंट प्लान्ट गन्दे पानी को साफ करके, केमीकली उसको साफ कर देगा उसके बाद में जो आज की स्थिति में गन्दलापन रहता है वह किसी भी स्थिति में नहीं रहेगा। ऐसा मुझे टेक्निशियन्स ने बताया है, साइन्टिस्ट ने बताया है। १९-४-६६ को टेण्डर खुलने वाले हैं और दूसरी तरफ प्रयत्न करेंगे कि जल्दी से जल्दी हो जाये।

रहा सवाल गैप सागर के कुए वगैरह का तो एक कुए के अन्दर से जो गैप सागर का पुराना कुआ है पॉवर हाउस के पास में, उससे पानी लिया जाता है। तो उसका पानी भी गहरा हो गया है, इसलिए सीधे तालाब से पानी लेने की बहुत जरूरत हो गई है। अब कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्वायर की कैपेसिटी बढ़ा दी जाय और प्रिट्रीटमेंट प्लान्ट करके वह किया जाय। शोर्ट टर्म तो यही प्रबन्ध हो सकता है कि प्रि-ट्रीटमेंट प्लान्ट से उसको साफ करके और क्लोरोडीन ज्यादा करके पानी की गन्दगी को दूर किया जाय और शहर को पानी पहुंचाया जाय।

पानी का ऊंचाई पर नहीं जाने का सवाल है तो यह सही बात है कि रंग महल इतना ऊंचा स्थान है कि जहां पर पानी इतनी ऊंचाई पर नहीं जाता होगा। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। मगर फिर भी डूंगरपुर शहर राजस्थान के दूसरे कस्बों से बहुत अच्छी स्थिति के अन्दर है। इसको हमें स्वीकार करना चाहिए। आज हम डूंगरपुर के अन्दर १५ गैलन पर कैपिटा पानी दे रहे हैं जब कि राजस्थान के अन्दर ऐसे कस्बे हैं कि हम उनमें बहुत कम पानी देते हैं और प्रेशर भी बहुत कम रहता है। अभी कल मैं सीकर गया था तो सीकर में पानी की कमी है। और राजस्थान के दूसरे कस्बों में कमी है वह अकाल के कारण कमी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह जो महीने हैं मई, जून और जुलाई के ये महीने कठिनाई से निकालने पड़ेंगे। इसके सिवाय मुझे दूसरी चीज दिखती नहीं। प्रि–ट्रीटमेंट प्लान्ट के लगने के बाद पानी की गन्दगी और बीमारी होने का अन्देशा भी नहीं रह जायेगा, ऐसा मैं मानता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री स्वायत्तशासन मन्त्री !

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मन्त्री) : माननीय अध्यक्ष, जब ६२ के अन्दर चीन ने देश पर हमला किया उस वक्त से लेकर हमारे प्लान को बराबर हमें काटना पड़ा, इमर्जेन्सी की कण्डीशन्स के अन्दर से हमको गुजरना पड़ा, और उस वजह से प्लान के अन्दर कटौती होती चली गई। २२९ से २०९ का वह रखा गया और उसमें

(श्री बरकतुल्ला खां)

भी थोड़ी कटौती और हुई। नतीजा यह हुआ कि बहुत सी स्कीमें जो बहुत जरूरी नहीं समझी गईं उन पर एम्फेसिस कम हो गया, और एग्रीकलचर, एनीमल हस्बेन्ड्री, फूड प्रोडक्शन और रोड्स इनके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस हो गया। नतीजा उसका यह हुआ कि स्लम्प क्लियरेन्स स्कीम जिसके ऊपर ४० लाख तीसरी पंचवर्षीय योजना में खर्च होना चाहिये था उसमें से केवल १० लाख रखा गया, और १० लाख में से भी कुल ५,६०,०००) रु० खर्च हुआ। यह नहीं समझना साहिये कि सरकार उन गन्दी बस्तियों को हटाना नहीं चाहती, लेकिन इसके सम्बन्ध में काफी सारे प्रोब्लम्स आते हैं। सबसे पहला प्रोब्लम तो यही है कि आमतौर से यह काम इम्प्रुवमेंट ट्रस्ट या म्युनिसिपैलिटी लेती है। और यह काम भारत सरकार की तरफ से जो मदद मिलती है और जो लोन मिलता है उसके साथ साथ राजस्थान सरकार को भी उसके अन्दर मदद देनी पड़ती है। राजस्थान सरकार के पास इतना रुपया नहीं था कि इन स्कीमों को ले सकती। नतीजा यह हुआ कि तीसरी पन्चवर्षीय योजना के अन्दर, यह मैं मानता हूं, जितना स्लम क्लियरेन्स का हमारा काम होना चाहिये था वह नहीं हुआ। केवल हमारे पास तीन स्कीमें थीं। एक जयमार्ग, अलवर की जिसके अन्दर तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्दर ५० मकान पूरे हो गए। दूसरी थी, राजामल तालाब, जयपुर, की जिसके अन्दर ८० मकान बनाने थे वे पूरे हो गए, लेकिन तीसरी अमृतपुरी स्कीम जिसके अन्दर स्लम क्लियरेन्स करना चाहिये था वह हरिजनों को जमीन एलॉट कर दी गई थी, और जब वह खुद मकान बना रहे हैं इसलिए यह स्कीम ड्रोप हो गई। इसी तरीके से उदयपुर के अन्दर ५० मकान और बनाने चाहिए थे वे नहीं बन पाये। और हमारे टोटल मकान जो तीसरी पन्चवर्षीय योजना में बनाए वे कुल १६२ मकान थे। इसी तरीके से लास्ट ईयर जो बजट प्रोवीजन २ लाख का रखा गया था नवम्बर महिने में रुपये की जरूरत की वजह से प्लानिंग डिपार्टमेंट ने सबसे डिसकस करके उसको निकाल दिया। इसके लिये इस साल के बजट में कोई प्रावधान स्लम क्लीयेरेन्स के नीचे नहीं रखा गया है इसीलिये जबाब निल भेजा गया।

जहां तक इनके ऑडिट का ताल्लुक है ऑडिटर जनरल के पास सरकार नही भेजती है न राज्य सरकार भारत सरकार के पास भेजती है बल्कि वोलिन्टियरी ऑर्गेनाईजेशन काम करता है वह अपना अकाउन्ट ए. जी. के पास भेजते हैं। यदि नहीं भेजते हैं तो जो उनको सबसिडी देते हैं यह १० परसेन्ट काट दी जाती है लेकिन अकाउन्ट नही भेजते हैं तो इसमें सरकार का दोष नही है जो कुछ हमें रुपये मिले उसके लिये हम सब जिम्मेदार हैं क्योंकि जोइन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी है। एमरजेन्सी की हालत को देखते हुए और खाद्य समस्या और दूसरी हालत को देखते हुए जितना रुपया मिला उस हिसाब से हमने प्रोग्रेस की और यह भी मैं जानता हूं कि हमारी प्रोग्रेस जितनी होनी चाहिये थी उतनी नहीं हुई।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मंत्री महोदय जब से स्वायत्त शासन मंत्री हैं तब से और उनसे पूर्व भी राजस्थान सरकार

(श्री भैरोंसिंह)

ने गंदी बस्तियों को हटाने के संबंध में कोई भी संतोषजनक कार्यवाही नहीं की। अध्यक्ष महोदय, ४० लाख रुपयों का प्रावधान हटा कर १० लाख रुपयों का प्रावधान किया गया और उस १० लाख के प्रावधान में से भी ५ लाख ६० हजार रुपये खर्च किये गये। यह इस बात का सबूत है कि धन राशि का प्रावधान होने के बावजूद भी सरकार इतनी अकर्मण्य है कि निर्धारित धन राशि को भी खर्च नही कर पाती। मंत्री जी का यह कहना कि हम एग्रीकल्चर, इन्डस्ट्रीज, रोड्स और बाकी डेवलपमेन्ट के कामो को ज्यादा अहमियत देने के फलस्वरूप इस मद में कोई खर्च नहीं कर पाये। यह मैं समझता हूं बिल्कुल भ्रांत है दूसरी पंच वर्षीय योजना में जो धनराशि निर्धारित थी राज्य सरकार उसको खर्च नहीं कर पाई। भारत सरकार से सहायता मिल सकती थी वह नहीं ले पाई जो सहायता ली उसको खर्च नही कर पाई। आज राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में गंदी बस्तियों की जिस प्रकार की समस्या है वह राजस्थान की हकूमत के नाक के नीचे एक नरक का नक्शा है।

कोई इन्सान इन गंदी बस्तियों में रहना पसन्द नहीं करता। गंदी बस्तियो में रहने वाले लोग गंदी बस्तियों को छोड़ कर अन्यत्र बसना चाहते हैं, लेकिन हमारी सरकार उनको प्लोट देने की व्यवस्था नहीं कर पाती और प्लोट देकर हाउस बनाने के लिये लोन देने की व्यवस्था नहीं कर पाती। अधिकतर गंदी बस्तियों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिये धनराशि निर्धारित हैं उसमें से सहायता नहीं मिल पाती। इसके कारण आज यह हो रहा है कि राजस्थान के बड़े बड़े शहरों में गंदी बस्तियों का कसंट्रेशन बढ़ रहा है और दूसरे प्रांतों के शहरों में गंदी बस्तियों को हटाने की कोशिश की जाती है। भारत सरकार मुक्त हस्त से सहायता देने को तैयार है। दो दिन पूर्व आवास मंत्री श्री मेहरचंद खन्ना ने स्पष्ट रूप से लोक सभा में कहा था कि हमने राज्य सरकार को हाउसिंग प्रोबलम को मीट करने और गंदी बस्तियों को सुधारने के लिये कई स्कीम्स भेजी हैं लेकिन हमारी राज्य सरकारें न तो उन स्कीम्स पर अमल करती हैं और न अनुदान की मांग करती हैं और जो कुछ अनुदान दिया है न उनका उपयोग करती है।

अध्यक्ष महोदय, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कुछ खर्चा बकाया था, इस वर्ष स्लम क्लीयेरेन्स के नाम पर एक नया पैसा राज्य सरकार खर्च नहीं कर सकी। मैं समझता हूं राज्य सरकार के लिये यह कितनी दुर्भाग्यपूर्ण और लज्जाजनक चीज है। राज्य सरकार भाषण देना जानती है। मंत्री लोग गंदी बस्तियों में जाते हैं और वहां पर बसनेवाले लोगों से कहते हैं कि स्लम क्लीयेरेन्स योजना के अंतर्गत जल्दी से जल्दी विकास करनेवाले हैं लेकिन विकास के नाम पर पैसा न लेने की सुस्ती राज्य सरकार करती है। भारत सरकार ने काफी मात्रा में सहायता दी है और राज्यों ने उससे फायदा उठाया है लेकिन राजस्थान की हकूमत ने कोई फायदा नहीं उठाया। इसके कारण राजस्थान की हकूमत कई बार कंडेम की गई है। लोक सभा में एक बार नहीं कई बार कंडेम्नेशन हुआ हैं। मैंने एक

(श्री भैरोंसिंह)

साल पहले इसी विधान सभा में एक प्रश्न उठाया था और मंत्रीजी ने आश्वासन दिया था कि तीसरी योजना में जो धन राशि इस काम के लिये निर्धारित की है वह पूरी खर्च करेंगे, भारत सरकार ने जो धनराशि दी है उसको भी पूरी खर्च करेंगे लेकिन अभी श्री मेहरचंद खन्ना ने बताया कि जो धन राशि उन्होंने दी थी उसको दूसरे काम में खर्च कर दिया। अगले वर्ष के लिये सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि पिछले वर्ष जिस काम के लिये दी थी उसका उपयोग उस काम के लिये नहीं किया यह सरकार का कंडेम्नेशन था। इससे ज्यादा लज्जा की बात दूसरी क्या हो सकती है। इस साल धन राशि का प्रावधान नहीं रखा। जयपुर शहर की गंदी बस्तियों और कच्ची बस्तियों के लिये सरकार कहती है कि नगर परिषद को अधिकार दिये हैं विकास के बारे में लेकिन यहां पर उल्टा किया गया है। गरीब लोगों को राहत देने के बजाय जो लोग कच्ची झोंपड़ियों में रहते हैं उनको तुड़वाने की व्यवस्था की गई है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप पैसा देकर उनको राहत नहीं दे सकते लेकिन जो लोग स्वयं पैसा लगाकर मकान बनाना चाहते हैं उनको आप पट्टा क्यों नहीं देते। जो लोग बीस बीस वर्ष से भूमि पर झोंपड़ियां बनाकर बैठे हैं उनके पास जमीन एलोटमेण्ट का पट्टा नहीं है लेकिन दस वर्षों के कब्जे के कारण उनका अधिकार बनता है, लेकिन उनको इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने कब्जा नहीं दिया। परिणाम यह हुआ कि राजस्थान में कच्ची बस्तियां बढ़ती जा रही हैं, जयपुर में कच्ची बस्तियां और गंदी बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। उनके लिए सुधार का काम होना चाहिये था उसके बजाय हुआ यह है कि आज से लाखों रुपये प्रति वर्ष खर्च करें तो मैं समझता हूं राज्य सरकार को योजना को पूरा करने में कम से कम १० वर्ष का समय चाहिये और यदि सरकार इस प्रकार की सुस्ती बरतती गई तो शहर की भयंकर समस्या हो जायगी।

राज्य सरकार मकानों को तुड़वाने की व्यवस्था करेगी तो लोगों में रोष बढ़ेगा इसलिये ऐसे लोग जहां पर बसे हुए हैं उनके पट्टा बनाने की व्यवस्था सरकार करे। जयपुर के चारों तरफ लोग पट्टा बनाने की राज्य सरकार से मांग करते हैं लेकिन उनको पट्टा नहीं मिलता और एलॉटमेन्ट में उनका नम्बर नहीं आता। जयपुर शहर में बाहर से लोग मजदूरी करने आते हैं। मजदूरी करते करते दो दो तीन तीन वर्ष तक सड़कों पर सोने के बाद मजबूर होकर लोग जमीन देखते हैं वहां पर कच्चे झोंपड़े बनाते हैं और उनके झोंपड़ों को सरकार तुड़वाने की कोशिश करती है। शहर के चारों तरफ अध्यक्ष महोदय, यदि सर्वे कराया जाय तो इन घरों में कितने लोगों को टी. बी. की बीमारी हुई है और कितने लोगों को छूत की बीमारी हुई है, इसका पता लग जाय। एक एक घर में किस प्रकार दो-दो, तीन-तीन परिवार रहते हैं? उनके लिये कोई दूसरी व्यवस्था नहीं, उनके लिये कोई धंधा नहीं, कोई साधन नहीं। ऐसी हालत लाखों लोगों की सरकार ने रखी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यदि आप व्यवस्था नहीं कर सकते, स्लम क्लीयरेन्स नहीं कर सकते, कच्ची बस्तियों का समाधान नही कर सकते तो फिर यह हुकूमत किस लिये है? बस्ती में

(श्री भैरोंसिंह)

जब पानी भर जाता है तो मुख्य मन्त्रीजी, स्वायत्त शासन मन्त्रीजी और बाकी के लोग वहां जाते हैं और लोगों को सहायता का आश्वासन देकर आते हैं। मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूं कि बरसात में जिस प्रकार की स्पिरिट आप इन बस्तियों के लोगों के सामने दिखाते हैं वह कैसे समाप्त हो जाती है। दो वर्ष पहले जयपुर में बरसात ने तबाही की थी उसके बाद स्लम क्लीयेरेन्स और कच्ची बस्तियों के विकास के नाम पर कुछ भी नहीं किया गया। इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने हजारों प्लॉट्स लोगों को दिये हैं, लेकिन इन लोगों में से १ परसेन्ट की भी मांग पूरी नहीं होती। ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं सरकार ने कच्ची बस्तियों और गंदी बस्तियों के बारे में अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट और नगर-पालिका में भेद पैदा करने के माध्यम से जो योजना बनाई है वह पूरी नहीं हो सकती। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट में कांग्रेस के लोग हैं। जब जमीन का एलॉटमेन्ट होता है उस समय वे अपने चुनाव में समर्थन करने वाले लोग होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। आनन्द-पुरी में प्लॉट्स एलॉट हुए। लेकिन अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने कुछ कांग्रेस के सदस्यों की समिति बनाई और उस समिति ने अपने-अपने खास आदमियों को, जिस किसी को एक प्लॉट मिलना चाहिये था, उसको दो प्लॉट दे दिये और जिसको दो प्लाट्स मिलने चाहिये थे उनको आधा प्लॉट दे दिया। इस प्रकार उस समिति के द्वारा राजनैतिक दृष्टि कोण से डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। उसका परिणाम यह निकलता है कि आनन्द पुरा बस्ती का राज्य सरकार जल्दी विकास करना चाहती थी, लेकिन राजनैतिक दांव–पेच के कारण उस बस्ती का विकास नहीं हो सका। इस प्रकार जो नारी का नाका और जयपुर शहर की दूसरी बस्तियों का जिक्र किया, यह मैंने जयपुर शहर के बाहर की बस्तियों का जिक्र किया। लेकिन जयपुर शहर के अन्दर भी कई कच्ची बस्तियां हैं जिनका राज्य सरकार विकास नहीं कर सकी है। जयपुर में जो पांच बत्ती है, वह राजस्थान की राजधानी जयपुर का सेन्टर है, जिसको लोग देखने के लिए आते हैं, वह पांच बत्ती बिजनेस सेन्टर है और वहां पर टूरिस्टों के ठहरने की भी व्यवस्था है। लेकिन इस पांच बत्ती के चारों ओर भी कच्ची बस्तियां बसी हुई हैं जिनका विकास राजस्थान की हुकूमत इन पिछले सत्रह वर्षों में भी नहीं कर पाई है। वही एक दो बस्ती नहीं हैं बल्कि शहर के अन्दर भी ऐसे स्थान हैं जहां पर कच्ची और गन्दी बस्तियां हैं, उनका भी विकास राज्य सरकार नहीं कर पा रही है।

इसके साथ साथ, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ व्यक्ति, जिनका जमीन पर कोई अधिकार नहीं था और जो लोग किसी प्रकार से भी उस जमीन पर अधिकार प्राप्त करने की क्षमता नहीं रखते थे, ने सरकार की पोल का लाभ उठा कर प्राइवेट व्यक्तियों से जमीन लेकर उसके ऊपर कब्जा कर लिया और इस प्रकार प्राइवेट रूप से प्लॉट पर कब्जा करते जा रहे हैं। उस स्थिति में भी राजस्थान की सरकार या अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट उन लोगों को प्लाट नहीं देता है और जिन लोगों ने प्राइवेट व्यक्तियों से जमीन लेकर मकान बनाने की व्यवस्था की है, ऐसे व्यक्तियों के लिए सरकार ने आदेश निकाल दिया है कि

Page No. 42

(श्री भैरोंसिंह)

एग्रीकल्चर लैण्ड का आबादी लैण्ड में कनवर्शन नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, जयपुर शहर में एग्रीकल्चर लैण्ड पर जिन लोगों ने मकान बना रखे हैं, ऐसे सत्रह सौ व्यक्तियों की और भवनों की मैंने लिस्ट बना रखी है। उन व्यक्तियों ने एग्रीकल्चर लैण्ड को आबादी लैण्ड में कन्वर्ट नहीं कराया है, न ही नगरपालिका से नक्शा एप्रूव कराया है और न ही अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट से मकान बनवाने की पर्मीशन ली है। इस प्रकार के सत्रह सौ भवन बने हुए हैं। उनको सरकार तुड़वा दे या तुड़वाने की कोशिश करे, यह सरकार की हिम्मत नहीं हो सकती है और सरकार उन मकानों को तोड़ने का आदेश देती है तो उसका डट कर मुकाबला करना पड़ेगा। इस हालत में मुकाबला करना पड़ेगा कि वह लोगों को प्लॉट नहीं देती और वह किसी तरह से खरीद कर, उस पर इन्वेस्टमेंट करके जयपुर के अन्दर हाउसिंग प्रोबलम का समाधान करना चाहते हैं तो सरकार उसमें रोड़ा बनना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि सरकार लोगों को प्लॉट नहीं दे सके तो कोलोनाइजेशन की स्कीम बना कर सरकार को प्राइवेट कोलोनाइजर्स को एनकरेज करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि सरकार प्राइवेट कोलोनाइजर्स को एनकरेज नहीं करती है और दूसरी तरफ सरकार खुद प्लॉट नहीं देती है, भारत सरकार से मदद लेती नहीं है और राजस्थान सरकार के बजट में जो धनराशि का प्रावधान रखा जाता है, उसको पूरी तरह खर्च नहीं करती है केवल राजस्थान की सरकार लोगों को मसोस कर मारना चाहती है। यह प्रक्रिया राजस्थान सरकार की है, इस प्रक्रिया से राजस्थान सरकार बहुत लज्जापूर्ण कार्यवाही करती जा रही है। इसलिए मैं सरकार को निवेदन करना चाहता हूं और मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि आपने तीन वर्ष पहले १९६३ में इस बात का आश्वासन दिया था कि जयपुर शहर में तीन वर्ष के अन्दर कच्ची और गन्दी बस्तियों का नामोनिशान मिटा दिया जायगा। इसके लिए स्कीम एप्रूव हो जायगी, उसके बाद में लोगों को प्लॉट का एलॉटमेंट हो जायगा। लेकिन जयपुर में गन्दी और कच्ची बस्तियों का नाम मिटा या नहीं मिटा लेकिन आप यहां पर हैं और जयपुर में कच्ची और गन्दी बस्तियां हैं वे पहले से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं।

जयपुर में ही नहीं बढ़ती जा रही हैं किन्तु जोधपुर में कच्ची और गन्दी बस्तियों की प्रोबलम है, बीकानेर में कच्ची और गन्दी बस्तियों की प्राबलम है, कोटा में भी यह प्रोबलम दिन पर दिन भयंकर होती जा रही है और अजमेर में भी यह समस्या है। तो आज इन सब जगहों पर इस समस्या का समाधान करना आवश्यक है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार ने इस मामले को महत्व नहीं दिया है। भारत सरकार इस समस्या को महत्व देकर राज्य सरकारों के पीछे पड़ी हुई है, भारत सरकार राज्य सरकारों को सचेत करती है, उनको आगाह करती है, लेकिन राजस्थान की राज्य सरकार सो रही है और इस मसले पर राज्य सरकार किसी प्रकार कोई एक्टीविटी दिखाने

Page No. 43

(श्री भैरोंसिंह)

को तैयार नहीं है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वह मानवीय दृष्टिकोण लेकर चले। जो आज कच्ची और गन्दी बस्तियों में पड़े हुए हैं, जो गरीब मजदूर इन बस्तियों में अपना पेट पालने के लिए पड़े हैं और वहां रह कर बीमारियों का आमंत्रण स्वीकार करते हैं, उनको राहत देने के लिए राजस्थान की सरकार अपने बजट में प्रावधान रखे और भारत सरकार से अधिक से अधिक सहायता लेकर उनका विकास करे यही मेरी मांग है।

श्री **हरिराम चौहान** (तिजारा) : अध्यक्ष महोदय, ...

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं भी दो शब्द इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जैसा कि सम्माननीय जनसंघ के नेता ने आरोप लगाया कि सरकार इस सम्बन्ध में उपेक्षा-वृत्ति रखती है--मैं इसका समर्थन करता हूं। यह स्पष्ट है कि सरकार जो धनराशि अपने बजट में रखती है, और जो धनराशि भारत सरकार से प्राप्त करती है--उसको वह इस समस्या का समाधान करने के लिए खर्च नहीं करती है। यह समस्या एक बहुत ही बड़ी समस्या है यह एक निर्विवादित बात है और उसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है यह भी उतनी ही निर्विवादित बात है। लेकिन मंत्री महोदय की अशक्तता के सम्बन्ध में भी मैं एक हद तक सहानुभूति प्रदर्शित करता हूं। लेकिन यह एक आम बात सी प्रतीत होती है कि स्लम क्लीयरेन्स के बारे में सरकार की नीति निग्लेक्ट करने की, उपेक्षा करने की है। अगर यह नहीं होता, तो मेरे ख्याल में यह सरकार सत्रह-अठारह वर्ष से राजस्थान में राज्य कर रही है, यह स्लम क्लीयरेन्स के बारे में दो तीन जगह एक मोडल व्यवस्था कर देती तो भी मैं समझ सकता था। इसके अलावा अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के बारे में जैसा जनसंघ के माननीय नेता ने कहा, मैं समझता हूं, म्यूनीसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कोर्पोरेशन और अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इनके बीच में कोई तालमेल नहीं है, कोई समन्वय नहीं है और कोआॅपरेशन नहीं है। जो एक का काम है उसको दूसरी नहीं चाहती है। मेरे ख्याल में अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सम्बन्ध में मंत्रीजी गम्भीरतापूर्वक विचार करें क्योंकि यह राजनैतिक विषय नहीं है, यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसके अन्दर आप अपना पेट्रोनेज एक्सटेन्ड करके अपने कृपा-पात्रों को नियुक्ति दे दें। मेरे ख्याल में यह एक गम्भीर और टेक्निकल प्रश्न है, इसलिए आप इसमें ऐसे कर्मचारीगण, टेक्निकल एक्सपर्ट जो इस सम्बन्ध में हैं, उनको अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड में रखिये, और थोड़े बहुत अपने कृपा-पात्रों को भी रखिये, और थोड़े बहुत सम्माननीय व्यक्ति, जो उस स्थान के नागरिक हैं, को भी रखिये।

यह जयपुर की समस्या है। मैं यहां का रहने वाला नहीं हूं। जनसंघ के माननीय नेता जयपुर की चप्पा चप्पा जमीन को जानते हैं, लेकिन मेरे जैसे बाहर से आये आदमी को भी, जो थोड़ा बहुत मैंने देखा

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

है, उससे यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि सरकार बिल्कुल आंख मींच कर बैठी है कि जो कुछ होता है वह होने दो, और यह समस्या और भी विराट स्वरूप धारण करे तो करने दो, और स्थिति बिगड़े तो इसको बिगड़ने दो। यह अगर उसकी नीति है, तो मेरे ख्याल में यह बहुत डिसग्रेसफुल नीति है। इस सम्बन्ध में आपको चाहिए कि एक प्लान्ड वे में आप प्लान बनायें, सस्ते मकान बनायें, या मिट्टी के मकान बनाने के लिए कोई प्लान करें और कोई न कोई स्लम क्लीयरेन्स के सम्बन्ध में एडवाइजरी कौंसिल ऑन डिवीजनल बेसिस बनायें, जिससे जो ज्योग्राफिकल और भौगोलिक स्थिति है उस क्षेत्र की जान सके, जैसे उदाहरण के लिए उदयपुर डिवीजन के लिए एक कमेटी कायम करें जो स्लम क्लीयरेन्स के सम्बन्ध में विचार करे। आप जयपुर के लिए खास तौर पर व्यवस्था करें, उदयपुर आदि आदि के लिए करें। अगर आप ऐसा प्लान बनायेंगे और उसको अगर आप बतायेंगे और विधान सभा को अपने विश्वास में, कॉन्फीडेंस में लेंगे, तो मेरे ख्याल में यह जो समस्या, जो जटिल तो है ही, लेकिन अगर इसके बारे में आप कुछ करना चाहते हैं तो इसकी जटिलता कम हो सकती है। आप इस समस्या का कोई हल निकालें। यह तो मैं भी मानता हूं कि पूरा हल नहीं निकाल सकते लेकिन आपका पुनीत कर्तव्य इस सम्बन्ध में है कि प्लान्ड योजना आप निर्धारित करें और आम लोगों की जानकारी के लिए उस योजना की सर्वसाधारण को बताने के लिए, समझाने के लिए एडवर्टाइजमेंट के रूप में प्रकाशित करें। तो मेरे ख्याल में कुछ नहीं करने से आगे कुछ न कुछ हद तक आप बढ़ सकेंगे। यह मेरा विश्वास है।

श्री हरिराम चौहान : अध्यक्ष महोदय....

श्री **भैरोंसिंह** : स्लम क्लीयरेन्स की योजना तो नहीं है। लेकिन जो हार जाते हैं उनके स्लम का क्लीयरेन्स आप कैसे कर सकते हैं ये योजनायें आप जरूर करते हैं।

(१.00 म. प.)

श्री हरिराम चौहान : श्री अध्यक्ष महोदय, अभी जब विधान सभा हो रही है, बहुत से हरिजनों ने कहा कि उनकी कच्ची बस्तियों का मामला उलझा हुआ पड़ा है। उन लोगों ने काफी शिकायत की है। आप उस समय वहां पर जाते हैं जब चुनाव होते हैं, उस समय मंत्री या कांग्रेस के नेता जो यू. आई. वी. में काम करते हैं जब भी जाते हैं बड़े-बड़े नारे लगाते हैं, बड़ी-बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़े-बड़े सब्ज बाग उनको दिखा कर चुनाव होते हैं, उस समय उनसे वोट ले लेते हैं और जब कभी कोई मीटिंग होती हैं तो अच्छी व्यवस्था करा लेते हैं और ठीक तरह से अपना स्वागत करवा कर वापिस आ जाते हैं। मगर जब वे वहां से वापिस आ जाते हैं तो वे उनकी बातों को याद नहीं रखते हैं कि हमने उनको क्या-क्या आश्वासन दिये और क्या-क्या बातें उनको कहीं, उनसे क्या वायदे किये थे। इसलिये आज उनमें बहुत बड़ा भारी असंतोष है। आज हमारी सरकार यह कहती है कि हम कोई झोंपड़ी नहीं रहने देंगे। कोई गंदी बस्तियें नहीं रहने देंगे। वहां हालत ऐसी है कि जहां पर खेत थे वहां पर कोठियें बन रही है, सड़कों

(श्री हरिराम चौहान)

पर कोठियें बन रही है। वे कोठियां किन की बन रही है ? कोठियां भूखे नंगे किसानों और मजदूरों की नहीं, हरिजनों की नहीं, उनको आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वे कोठियां या तो किसी मिनिस्टर की हैं या बड़े-बड़े अधिकारियों की हैं या किसी ब्लेक मार्केटियर की कोठियां है या कांग्रेस के किसी तरह के धन्धा करने वाले और उस तरह के लोगों की हैं जो मेहनत नहीं करते। जो एक खेत को नहीं जोतते, उन लोगों का विकास हो रहा है। उन लोगों का विकास बड़ी तेजी से होता जा रहा है। अगर वैसे ही उनका विकास तेजी से होता रहा तो वे गंदी बस्तियां नहीं रहेगीं, उनको जबर्दस्ती उठा कर फेंक दिया जावेगा और उनको किसी बड़े सेठ को दे दिया जायगा जहां पर उसकी कोठी बन जावेगी। इसलिये मेरा यह कहना है कि सरकार इन गंदी बस्तियों के लिये ध्यान दे और उनकी तरफ खयाल करे कि आज उनकी क्या स्थिति है। आज उनकी यह स्थिति है कि वे एक छोटे से कमरे में, कमरा क्या है, एक झोंपड़ी है उसमें सारा परिवार रहता है। जिस समय वर्षा हो जाती है तो आप देखेंगे कि उनकी क्या हालत होती है। टूटी हुई चारपाई पर बच्चा है, बाप है, मां है बीबी है और यों कहा जाय कि उनका सारा का सारा खानदान है और वर्षा हो रही है। ऐसी हालत में वह अपनी बुड्ढी मां की चारपाई को कभी इधर हिलाता है और कभी उधर हटाता है और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। मगर फिर भी वह पूरी तरह से 'महात्मा गांधी- याद करके उसकी जय बोलता है और उनकी तसबीर अपने यहां पर लगा रखी है और १८ वर्षों से वह लगातार इस बात की इंतजार करता है कि महात्मा गांधी के कथनानुसार कब हमारी झोंपड़ी ठीक होगी। लेकिन इतने समय में भी हमारी सरकार ने उनके लिये कोई इन्तजाम नहीं किया है। इतना ही नहीं अगर कोई उनकी मुखालफत करने को खड़ा हो जावे तो उसके मकान की तरफ से सड़क निकालेंगे और उसको परेशान और हैरान करने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार की कई घटनाएं हुई हैं। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिये और जो फायदा उनको मिलना चाहिये दिया जाना चाहिये और जैसे भी हो सके उनको मकान बनाने के लिये जमीन मुफ्त में दी जाकर उनको राहत दी जावे, उनको मकान बनाने के लिये कर्जा दिया जावे। तभी हम समझेंगे कि यह सरकार उनकी तरफ तवज्जह दे रही है।

श्री डूंगाराम राजोरिया : (जमवा रामगढ़) अध्यक्ष महोदय,........

श्री अध्यक्ष : इस पर लम्बी बहस नहीं होनी चाहिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। दो शब्द ही कहूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनसंघ के नेता ने कहा कि कच्ची बस्तियां वैसे की वैसी रख छोड़ी हैं, हटाई नहीं गई हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ठीक नहीं है ये कच्ची बस्तियें हटा दी गई हैं। आपने देखा होगा कि नारी के नाके तक उनको ले जाकर छोड़ दिया है। इस तरह से उनको हटा दिये और उस जगह दूसरों के मकान बनाये। इसके अलावा

Page No. 46

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

दूसरी पोजिशन यह है कि जहां पर ४०० या ५०० की आबादी है उनको तो हटाया नहीं है और जहां पर १० या २० की आबादी थी उनको तो बाहर फेंक दिया है । उनको बस्तियों में बसाने का या उनको प्लोट देने का प्रश्न नहीं । उनको एक तरफ फेंक दिया । मैं यह कहूंगा कि जिन लोगों को जिस जमीन से हटाकर दूसरी जगह फेंका गया उनको आज तक कोई प्लोट नहीं दिये गये । मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सरकार की नीति गलत नीति है और सरकार ने इन लोगों के प्रति उदासीनता बर्ती है । उदारता बरतने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता पिछड़ी जातियों को यह कहना कि आप तो कांग्रेस के ही हैं । यह कह कर आप तो माल खाने और उनके नाम से राज्य करने को हैं । मगर आप उनको किसी तरह की राहत नहीं दे सकते है आप उनको एक जगह से उठा कर दूसरी जगह ले गये । आपने उनको इधर से उठाकर दूसरी तरफ फेंक दिया । आप कहते है कि वह पुराने हैं, झौंपडियें है । आखिर इन पिछड़े लोगों को आबाद तो आपको कहीं न कहीं करना ही चाहिये । तो मैं कहूंगा कि जो पुराने हैं, कच्चे मकान या झौंपड़ियां, उनको न तोड़ा जावे । और जो तोड़ते हैं उनके रहने के लिये कोई बन्दोबस्त किया जाय । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भूमिहीन पिछड़े लोग है उनको आपने जमीन नहीं दी और वे यहां शहरों में कमाई करके भूख से बचने के लिये आये है और अपने पेट पालने की कोशिश करते हैं तो उनको आप रहने के लिये मकान का इन्तजाम नहीं करते । आखिर उनके लिये भी किसी तरह की व्यवस्था हो । वे मजदूरी करते है । वे लोग यहां पर जो बड़े लोग प्लोट आदि बनाते हैं उनको काम में सहायता देते हैं, उनको रहने लिये मकान तो होने चाहिये । आप बेकार में शब्द कहें कि हम ऐसा कर देंगे । जिससे उनका विकास हो यह गलत है । सरकार कुछ नहीं करती है । मैं निवेदन करूंगा कि आप कोई उदारता नहीं बरतते इसलिये मैं कहूँगा कि अगर आप ऐसा ही करते रहेंगे तो आपके साथ यह होगा कि जितने महल होंगे उनको गरीब तहस नहस करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि गरीब तबके में बड़ी भारी क्रांति आयेगी । इस लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आप डेमोक्रेसी को जिन्दा रखना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि उनके लिये खाने पीने की व्यवस्था और रहने की व्यवस्था हो । आप तो उनके लिये आज कुछ नहीं कर रहे है आपका अपना ही पेट भर रहे हैं और उनके साथ अन्याय कर रहे हैं । आप कहते थे कि सामन्त शाहियों के राज्य में गरीबों के साथ अन्याय होता था और कांग्रेस गरीब का उत्थान करेगी मगर आप कुछ नहीं करते हैं । इसलिये मैं सरकार से

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

निवेदन करूंगा कि शहरों में कच्ची बस्तियां हैं उन लोगों को प्लाट दें और बीच बीच में उनको भी स्थान दें । जहां किसी सवर्ण का प्लाट हो । इससे उनके सम्पर्क में आने से आचरण सुधरेंगे और सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि कच्ची बस्तियों में रहने वालों को मुफ्त में जमीन दी जाय । २४ नम्बर के वार्ड में शेड्यूल्ड कास्ट के लोग रहते हैं उनके झौंपड़ों में से सड़क ला

Page No. 47

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

रहे हैं। एक बाबाजी ने धर्मशाला के रूप में हरिजनों की व्यवस्था कर रखी थी उनकी झोपडी को भी खतम कर दिया है। मैं यह निवेदन करूंगा कि बाबाजी और हरिजनों की झोपड़ियों को बचा कर सड़क निकालनी चाहिये। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इस ओर जरूर ध्यान दें।

श्री बरकतुल्ला खां : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने सदन में जैसा इस पर जोर दिया और जोर से कहा गया, मैं गवर्नमेन्ट को कन्विन्स करूंगा कि चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में स्लम क्लीयरेन्स में काफी मात्रा में रकम उपलब्ध हो। यह मैं मानता हूँ कि जब तक पूरी रकम उपलब्ध नहीं होगी तब तक गन्दी बस्तियों और शिड्यूल्ड कास्ट की हालत को ठीक नहीं कर सकते। जहां तक कच्ची बस्तियों का ताल्लुक है, जयपुर में कम से कम ६ बस्तियों को प्लान कर दिया गया है और कुछ में लोगों को बिठा दिया गया है। इसी तरह से वीकर सेक्शन का जिक्र आया। मैं यह निवेदन करूंगा कि उसमें हर मकान की कीमत ४०००) रु० से कम हो। इस लिये कोशिश की जा रही है कि इकोनोमी से जो कमजोर है उनको आगे तरक्की करने का मौका मिलना चाहिये और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्लानिंग मिनिस्टर से और दूसरे सभी लोगो से मिलकर उन पर जोर डालूंगा कि काफी रकम इसके लिये रखी जावे और वह रकम मिल जावे ताकि उसका उपयोग हो सके।

पिछले साल मैंने जो स्कीम बनवाई थी मुख्तलिफ म्युनिसिपैलिटीज और इम्पूवमेंट ट्रस्ट्स से, उन्होंने कुल मिला कर ४८ लाख की स्कीम दी है ऐसा लगता है कि कोशिश करने पर स्कीम्स तो और आ जायगी और चौथी पंचवर्षीय योजना में जो फंड्स मिलेंगे उनका इसके लिये उपयोग किया जायगा।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल जयपुर) : इस साल प्रावधान नहीं रहेगा ?

श्री बरकतुल्ला खां : मैं कहना नहीं चाहता था, मैंने कोशिश की, पर मैं इस साल के बजट में कोई प्रावधान नहीं करा पाया। इसके लिये मैं अपने आपको कुसूर-वार मानता हूँ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हटमेंट्स के भी मोडल्स बनवाइये, टिनशेड्स हैं, ब्रिक्स को, कार्ड बोर्ड्स को इस्तेमाल करके मोडल हटमेंट बनाइये। इस बारे में विचार करेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है आपने कहा हजार में मकान बनाने का, चार चार हजार में कितना मकान बनेगा ? पांच छः सौ की लागत में यह हटमेन्ट वाला हो सकता है।

श्री भैरोंसिह : हटमेंट के लिये जो भारत सरकार इस साल सहायता देने वाली है, वह भी नहीं मिलने वाली है क्या ?

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत !

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : एक सूचना मन्त्री महोदय दे दें।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय का जवाब हो चुका है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : यदि आप आज्ञा देंगे तो दो शब्द मैं ही रख दूंगा। यह असंगत हो सकता है, पर इससे सम्बन्ध रखता है, जैसा कि मेरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है। जयपुर में जैसी नारकीय हालत है। टौंक में इससे भी खराब नारकीय हालत है! वहां की २० हजार की पापुलेशन तो बिल्कुल नारकीय हालत में है, उसमें से आधी पापुलेशन तो टी० बी० से ग्रस्त हो चुकी है। इस ओर भी जरूर ध्यान देंगे।

जैतारण तहसील (जिला पाली) में अकाल राहत कार्यों में मजदूरों के भुगतान संबंधी मामले पर ध्यानाकर्षित करना

श्री तेजाराम गहलोत (सोजत) : अध्यक्ष महोदय, मैं पाली जिले की जैतारण तहसील में अकाल कार्यों में मजदूरों के भुगतान सम्बन्धी मामले पर मन्त्री, अकाल सहायता विभाग का ध्यान आकर्षित करता हूँ।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप मंत्री, अकाल सहायता) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया है, उसके अन्तिम भाग के अन्दर जो माननीय सदस्य ने मंशा जाहिर की है कि इन कार्यों के ऊपर लगे मजदूरों को जो कम भुगतान किया गया है उसके लिये जो भी अधिकारी दोषी हैं उनके बारे में कार्यवाही की जावे। इस सिलसिले में जैसे ही यह मामला राज्य सरकार के ध्यान में आया, उसी समय से इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करवाई गई है और वैसे इसे समय कुछ अधिक हो गया है पर जिस तरह का यह मामला था उसको पूरी तरह एग्जामिन करवाने के लिये कुछ समय लगना वाजिब था, पर कुछ समय हो सकता है ज्यादा लगा हो। पिछले ६३-६४ के अकाल के समय पाली जिले की जैतारण तहसील की डेगाना कालू सड़क का मामला है। फालका, डेगाना और कालू पर तीन लेबर कैंप्स काम कर रहे थे। २०-६-६४ को जब उप-मंत्री श्री मदेरणा वहां पहुँचे तो उनको कतिपय मजदूरों ने शिकायत की कि हमारे वाजिब वेजेज थे वे पूरे नहीं दिये गये और उनमें से कम भुगतान हमें किया गया। उप-मंत्री महोदय ने उसी समय एस. डी. ओ. जैतारण को जांच-पड़ताल करने के आदेश दिये। एस. डी. ओ. ने जांच करके राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी। एस. डी. ओ. की रिपोर्ट के साथ रिलीफ कमिश्नर ने पी. डब्ल्यू. डी. के सुपरिन्टेंडिंग इन्जीनियर को भेजा, प्राइमाफेसी कुछ गलती हुई मालूम होती है। एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर पी. डब्लू. डी. ने जांच की और उससे भी यह पाया गया कि एस. डी. ओ. ने जो कम भुगतान का मामला पेश किया है वह सही था। सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर ने जो ऑब्जर्वेशन्स दिये उनको स्पष्टीकरण के लिये भेजा और स्पष्टीकरण आने के बाद मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है। जो भी आफीसर दोषी पाया जायगा, उनको सख्त से सख्त सजा दी जायगी।

श्री तेजाराम गहलोत : अध्यक्ष महोदय, माननीया उपमंत्री महोदया ने बताया कि जिन्होंने गुनाह किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी। एस. डी. ओ. जैतारण ने १९६४ में जांच की, उन्होंने ११० मजदूरों के बयान लिये और यह रिपोर्ट भेजी कि ४ पैसे से २।।) रु० तक कम भुगतान किया है। वह रिपोर्ट आ जाने के बाद पी. डब्लू. डी. के इन्जीनियर ने भी ताईद की कि कम भुगतान हुआ है। उसके बावजूद भी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने का क्या कारण है?

(श्री तेजाराम गहलोत)

एस. ई. ने मजदूरों के बयान लिये नहीं, मजदूरों को जो पेमेंट किया जाता है, वह रेकॉर्ड देखा नहीं, ऐसी हालत में एस. ई. के कमेन्ट पर कार्यवाही नहीं की जाय, यह खेदजनक है। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि एस. डी. ओ. ने ११० मजदूरों के बयान लेकर पूरी तरह जांच करके रिपोर्ट भेजी है, एस. डी. ओ. एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता है उसने इन अधिकारियों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने के लिये लिखा। जो प्राइमाफेसी केस बना है उसके लिये स्पष्ट रूप से आश्वासन दें कि उन अधिकारियों पर फौजदारी मुकदमा भी चलेगा और डिपार्टमेंटल एन्क्वायरी भी चलेगी।

एस. ई. ने एक प्ली ली है कि एक दिन का वेतन जिस दिन कि नेहरूजी की अन्त्येष्टि का दिन था, उस दिन काम नहीं किया इसलिए तनख्वाह नहीं दी। तो इसके लिये मैं पूछना चाहूँगा कि पी. डब्लू. डी. को बिल बना कर भेजा, पेमेंट कैसे कर दिया ? क्या पी. डब्लू. डी. से इस प्रकार का सर्कूलर जारी हुआ था कि उस दिन का पेमेंट मजदूरों को नहीं किया जाय। ऐसा सर्कूलर जारी नहीं हुआ तो जिन अधिकारियों ने पेमेंट किया है, दीदा-दानिश्ता किया है। इस तरह का प्ली आफ्टर थोट है। सभी मजदूरों को एक दिन का नहीं किसी को कम दिनों का और किसी को ज्यादा दिनों का कम भुगतान किया गया है, इससे बिल्कुल साफ है कि यह प्ली आफ्टरथोट है। इसलिये मेरा निवेदन है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिये जिससे भविष्य में कभी इस प्रकार की कार्यवाही करने की कोई अधिकारी हिम्मत न करे।

जिन अधिकारियों ने इस प्रकार के अपराध को छिपाने के लिये गलत रिपोर्ट सरकार को दी है उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिये।

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि एस. ई. ने सारे मामले को दबाने के लिये यह प्ली ली है कि प्रधान मंत्री श्री जवाहरलालजी नेहरू की मृत्यु के कारण, उस गलतफहमी से भुगतान नहीं हुआ इसलिये इन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जावे। एस. ई. ने यह राय जरूर जाहिर की है, पर इसके बावजूद स्पष्ट है कि एक दिन के बावजूद भी पेमेंट शोर्ट रहता है। २० तारीख को उप-मंत्रीजी ने जांच के आदेश दिये। २२-२३ को जांच की, २३ तारीख की भुगतान की कमी थी। उस अमाउन्ट का टोटल मिसअन्डरस्टेन्डिग रह गया, उसका भुगतान कर दिया। २५ तारीख को जाकर एस. डी. ओ. ने जांच की और उन्होंने रिपोर्ट की कि फालका में ४ पैसे से १ रुपया तक कम भुगतान हुआ डेगाना पर एक दिन का कम भुगतान हुआ, कालू के ऊपर १ रु० ४ पैसे से लेकर २ रुपया कम भुगतान हुआ है। यह सारी जांच २५ तारीख को हुई है, २३ तारीख की भुगतान के बाद। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि इस प्ली के कारण दोषी अधिकारियों को बरी किया जायगा।

मैं आश्वासन देती हूँ कि एस० डी० ओ० की रिपोर्ट की एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर ने ताईद की है, जो लेबर काम कर

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

रहे थे उनके बयानात से साबित है कि कम भुगतान किया गया है। इसलिए स्पष्ट है कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मेरे भी कटु अनुभव हैं। जांच कराई है, तो जो कागजात आपके पास आये हैं, उन कागजात को सुरक्षित जगह पर रखें। नहीं तो कागजात ही फाड़ दिए जाएंगे।

(१.१६ म०प०)

जनलेखा एवं प्राक्कलन समितियों से नाम वापिस लेना

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूँ कि जनलेखा समिति तथा प्राक्कलन समिति से जो माननीय सदस्य नाम वापिस लेना चाहें वे आज ३ बजे से पहले ऐसा कर लें।

विधायी कार्य

राजस्थान भूमि अवाप्ति (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १६६६, (पुरः स्थापन)

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भूमि अवाप्ति (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १६६६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : जो कापीज वितरित की गई हैं उनकी मुख्य प्रतिलिपि अंग्रेजी में हैं और हिन्दी में अनुवादित प्रतिलिपि के नाम से वितरित की गई हैं। इसलिए मुख्य प्रतिलिपि या मुख्य विधेयक हिन्दी का समझा जाय। शायद राज्य सरकार की यह मान्यता रहेगी। इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण कर दें।

श्री अध्यक्ष : राज्य सरकार की मान्यता का प्रश्न नहीं है। इस सम्बन्ध में हमारे कानून और नियम हैं उनके अन्दर लिखा हुआ है कि कौनसी प्रतिलिपि ओरिजिनल मानी जायगी और कौनसी ट्रांसलेशन।

श्री राधाकृष्ण गोयल : २६ जनवरी के उपरान्त विधान के अनुसार तो सदन में पारित किए जाने वाले विधेयक हिन्दी में प्रस्तुत होने चाहिये, लेकिन यह विधेयक मूलतः अंग्रेजी में प्रस्तुत किया गया है और उसका हिन्दी अनुवाद साथ में भेज दिया गया है, इसलिए मुख्य विधेयक हिन्दी का समझा जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : हिन्दी में तो पेश कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि अवाप्ति (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १६६६ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

(१.२२ म० प०)

राजस्थान स्टाम्प लॉ (अनुकूलन) अधिनियम (संशोधन) विधेयक, १६६६.

श्री परसराम मदेरणा (उप-मंत्री आबकारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्टाम्प लॉ (अनुकूलन) अधिनियम (संशोधन) विधेयक, १९६६ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है:–

(१) श्री **सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली)
(२) श्री **राधाकृष्ण गोयल** (टोंक)
(३) श्री **मानसिंह** (आमेर)
(४) श्री **चौसरसिंह बाबेल** (बैंगू)
(५) श्री **गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द)

१. "राजस्थान स्टाम्प लॉ (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को तीन माह एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।]

श्री राधाकृष्ण गोयल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टाम्प लॉ (अनुकूलन) अधिनियम) (संशोधन) विधेयक, १९६६, सदन के सामने विचाराधीन है। राजस्थान में इससे पहले भारतीय स्टाम्प लॉ लागू कर रखा था। कुछ समय पूर्व इस सदन में राजस्थान ने एक स्वतन्त्र कानून बनाने की चेष्टा की थी और वह विधेयक प्रवर समिति को भी भेजा था लेकिन प्रवर समिति ने कुछ कारणवश अपनी राय व्यक्त की कि इसे वापिस ले लिया जाय और उसके स्थान पर दूसरा विधेयक तैयार किया जाय। इस अवधि में राजस्थान सरकार की ओर से यह एडेप्टेशन और संशोधन बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है।

जहां तक इस बिल की भावनाओं का सम्बन्ध है, कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनका हम स्वागत करते हैं। जैसा कि बताया गया है कि कुछ दस्तावेज ऐसे रजिस्ट्रेशन के लिए पेश किए जाते हैं जिनका मूल्यांकन वास्तविक नहीं होता है। वह कम मूल्यांकन करके कम स्टाम्प लगाकर उसकी रजिस्ट्री करवाते हैं जिससे राज्य कोष को घाटा होता है और जो गलती करने वाले हैं उनको यद्यपि दण्ड देने का प्रावधान है, पर आज टैक्स इवेजन को रोकने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है इसलिए जहां तक इसमें दूसरे और तीसरे संशोधन का सम्बन्ध है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन साथ ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके क्लॉज २ में जो बातें अभिलिखित हैं उनमें रेवेन्यू ऑथोरिटीज द्वारा जो फाइनल आर्डर दिया जाना है उस पर भी एड वैलोरेम स्टाम्प ड्यूटी लगाने का प्रावधान रखा गया है वह उचित नहीं है। आजकल छोटे छोटे काश्तकार अपनी आवश्यकताओं के अनुसार छोटी छोटी जमीनों को ट्रांसफर करते रहते हैं, बेचते हैं, गिरवी रखते हैं और इसके साथ ही धारा ५३ टेनेन्सी एक्ट के तहत उसके बंटवारे का आदेश भी रेवेन्यू ऑफीसर्स देते हैं। ऐसे बंटवारे के आदेश जो कोर्ट की डिक्री के रूप में देते हैं उस पर भी हम अगर एड वैलोरेम ड्यूटी प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे तो अनुचित होगा। ऐसी हालत में जब वह विधेयक ला रहे हैं तो जो रेवेन्यू सम्बन्धी बातें हैं, लैंड या कृषि योग्य भूमि पर यह एड वैलोरेम ड्यूटी न लगाकर इसके लिमिटेशन्स से बाहर कर दिया जाय तो अच्छा होगा। इसमें जो क्लॉज १५ (१) है उसमें Any Revenue Authority' को डिलिट करने की चेष्टा करें तो सुन्दर होगा और दूसरा "Any award by an arbitrator direc-

Page No. 52

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

ting a partition" कान्सीक्वेन्शियल रिलिफ दे दें। ऐसी बातें क्लॉज़ १४ (ए) सब-सेक्शन दो में भी हैं।

"Fully and truly set forth the lend revenue in the case of revenue paying land"

इसको भी अगर डिलीट करें तो सुन्दर रहेगा।

ट्रक चालकों की हड़ताल समाप्त होने विषयक सूचना

श्री मथुरादास माथुर (यातायात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मुझे सदन को यह सूचना देते हर्ष होता है कि राजस्थान ट्रक आपरेटर्स ऐक्शन कमेटी ने आज हड़ताल तोड़ने का निर्णय कर लिया है और रात के बारह बजे से सब गाड़ियां चालू हो जाएंगी और जनता को जो कुछ भी कष्ट हुआ है वह मिट जायेगा। इस अवसर पर मैं उनके निर्णय का स्वागत करता हूं और आशा लेकर चलता हूं कि भविष्य में सदन और हमारे ट्रांस्पोर्ट में काम करने वालों का सहयोग मिलता रहेगा। मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अध्यक्ष महोदय, वे परिस्थितियां भी तो बताएं जिन के कारण उन्होंने हड़ताल तोड़ दी।

श्री अध्यक्ष : कोई नई बात नहीं है।

श्री मथुरादास माथुर : हमारी अपील पर।

राजस्थान स्टाम्प लॉ (अनुकूलन) अधिनियम विधेयक, १९६६

(पूर्व क्रम से विचार-विमर्श एवं पारित)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्टाम्प लॉ (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६, में जो अमेंडमेंट्स रखे गये हैं उस सम्बन्ध में निवेदन है कि आज जिस प्रकार से जमीन की बिक्री के सम्बन्ध में या जायदाद की बिक्री के सम्बन्ध में जो कन्सीडरेशन पास होता है या जिस प्रकार वेल्यु को रिड्यूस करके डाक्यूमेंट्स लाये जाते हैं और उनके आधार पर स्टाम्प ड्यूटी ली जाती है, इसको दूर करके इन संशोधनों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि जो आदमी कम करके या कन्सीडरेशन जो पास हुआ है उसको कम करके जो डाक्यूमेंट्स लगा देते हैं उसकी किस प्रकार से छानबीन की जाये और किस प्रकार से व्यवस्था बनाई जाये। जहां तक सरकार को स्टाम्प की ड्यूटी की हानि न हो, इस बात का सवाल है, यह तो अच्छी बात है कि जो लोग गड़बड़ करते हैं, या फोर्जरी करते हैं या टेक्स को इवेड करते हैं उन लोगों के सम्बन्ध में इस प्रकार की व्यवस्था की जाये कि उनकी छानबीन की जाये और उनसे सही स्टाम्प ड्यूटी वसूल की जाये, मगर वसूली का जिस प्रकार इसमें प्रावधान रखा गया है कलेक्टर के द्वारा उस चीज़ की जांच होकर अमुक डॉक्युमेन्ट्स लिखे गये हैं या नहीं, सही वेल्युएशन है या नहीं, जो जायदाद बेची गयी है वह कीमत इन डॉक्युमेन्ट्स में सही लिखी गयी है या नहीं, डॉक्युमेन्ट्स में जो कन्सीडरेशन पेश हुआ है यह उतना ही पेश हुआ है जितना डॉक्युमेन्ट्स में लिखा है, इसके लिये कलेक्टर को

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

ऑथोराइज़ किया है कि वह उस सम्बन्ध में जांच करके सही निर्णय ले। मगर जिस प्रकार की जांच की जावेगी उससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि आया वे सही केल्कुलेशन्स लगा सकेंगे या नहीं, इसके लिये कोई आधार इस बिल में प्रोवाइड नहीं किया गया है। सही स्थिति तो यह होनी चाहिये कि रजिस्ट्रेशन के लिये तहसीलदार जो रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी है उसके सामने प्रस्तुत किये जाय तो उसके सामने जमीन और रेवेन्यू लगान के आंकड़े होते हैं वे उसके पास मौजूद होते हैं और दूसरी जो प्रोपर्टी वेची जाती है तो चूंकि लोकल ऑफिसर होने के कारण मार्केट वेल्यूएशन का पूरी तरह ध्यान रहता है। इसलिये जब रजिस्ट्रेशन होता है उसी समय ही इसकी जांच की जाय तो इसके द्वारा जो डिफिकल्टीज़ हमारे सामने आने वाली हैं और जो वर्तमान में है वे दूर हो जायं। जिस आदमी ने डॉक्यूमेन्ट रजिस्टर कराने के लिये पेश किया और कन्सीडरेशन के पेश किया उसमें कमी करके लिख दिया, यदि वह ककेक्टर के पास आया और उसके द्वारा जांच की जावेगी तो वह पार्टीज़ को बुलायेगा, किस प्रकार एवीडेन्स उसके सामने आवेंगी यह किसी प्रकार स्पष्ट नहीं है इसमें। मैं यह समझता हूँ कि अगर इस प्रकार से जांच की जावेगी तो सही कन्सीडरेशन और सही वेल्यूएशन नहीं आवेगी। अगर कौई इसमें अमेन्डमेन्ट ही किया जाता तो इस प्रकार का होना चाहिये था कि जो रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी है वह डॉक्युमेन्ट्स की जांच ओन दी स्पोट कर ले इससे अलग-अलग प्रकार के मुकदमे नहीं बढ़ेंगे। लोग भी प्रभावित नहीं होंगे और स्टाम्पड्यूटी लेनी चाहिये वह भी सही तरीके से वसूल हो जावेगी। इस प्रकार का प्रावधान इसमें होना चाहिये था। मगर इसमें इस प्रकार का प्रावधान किया गया है कि जिससे कई प्रकार की कठिनाइयां पैदा होंगी, लोगों को और ज्यादा परेशानियां पैदा होगी और सही वेल्युएशन और कन्सीडरेशन का नाप तोल किया जावेगा वह भी सही नहीं होगा।

दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बंटवारे का जिस प्रकार प्रावधान किया गया है और ड्यूटी की वसूली के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन है कि जायदाद का बंटवारा किया जाता है, जमीन के मुतल्लिक हो तो लैंड रिकॉर्ड से मालूम हो सकता है कि कितना लगान लिया जाता है। लगान के बेसिस पर ही वेल्यूएशने होनी चाहिये और रजिस्ट्रेशन ड्यूटी होनी चाहिये, न कि मनमाने ढंग से निर्धारण करके उससे रजिस्ट्रेशन फीस वसूल की जाय। इसलिये जितने बंटवारे के प्रश्न हैं यदि काश्त की जमीन है तो लैंड रेवेन्यू के आधार पर ही हो सकता है और वह ही ज्यादा उचित होगा। उसमें लोगों के द्वारा किसी प्रकार इवेज़न करने का सवाल ही पैदा नहीं होगा।

यही मेरे सुझाव है। मैं समझता हूँ, इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री महोदय ध्यान देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री गोविन्दसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

[**संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है**]

(१) **श्री गोविन्दसिंह** (पिड़ावा) :

(२) **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) :

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

२. "राजस्थान स्टाम्प लॉ (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में । तीन दिन में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी) ।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : माननीय अध्यक्षजी, राजस्थान स्टाम्प लॉ एडेप्टेशन बिल, १९६६ के जरिये जो स्टाम्प लॉ राजस्थान में प्रिविलेन्ट है उसमें कुछ संशोधन करने का बिल पेश किया गया है । इसके पहले जो दूसरा बिल सिलेक्ट कमेटी को प्रस्तुत हुआ उसको राज्य सरकार ने वापिस विथड्रा करके एक लॉ सेन्ट्रल लेवल पर बना है उसको एडॉप्ट करके इसमें कुछ प्रोविजन्स का संशोधन करने का सरकार ने रखा है ।

माननीय अध्यक्षजी, धाराओं में जो संशोधन किया है कोर्ट के जरिये पार्टीशन की डिग्री होती हैं उस सम्बन्ध में या ओरल पार्टीशन हो उस सम्बन्ध में स्टाम्प ड्यूटी किस तरह से ली जावेगी और उसके अलावा राजस्थान में इस स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के लिये जहां जहां प्रोपर्टीज हैं लैंड रेवेन्यू के हिसाब से या लोकल बोडीज़ में, शहरों में प्रोपर्टीज़ हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है तो यह टेन्डेन्सी हो गयी है, स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिये अन्डर वेल्यूएशन कराया जाता है और उस तरह की ड्यूटी का इवेज़न बहुत मात्रा में होता है । उसको चैक करने के लिए राज्य सरकार की यह मंशा है कि दोनों पार्टी एग्री करके रजिस्ट्रेशन होता है, दोनों पार्टीज़ एग्री हो जाती है उसके सिवाय कोई चारा नहीं है कि किसी दूसरे तरीके से वेल्युएशन कराया जाय । रजिस्ट्रेशन के वक्त कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर होता है तो रजिस्ट्रेशन ऑथोरिटी के सामने और कोई चारा नहीं है चाहे कोई अन्डर वेल्यूड हो, कितनी ही वेल्यू की क्यों न हो रजिस्ट्रेशन करने के सिवाय उनके सामने और कोई चारा नहीं होता है । कई अर्से से इस खामी को महसूस करते थे । यह टैक्स इवेड न हो और ठीक ढंग से प्रोविजन नहीं होने से कोई अधिकार नहीं था इसलिए इस बिल को देखने से राज्य सरकार की मंशा जाहिर होती है कि अगर स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के लिये रजिस्ट्रेशन हुआ है तो कलेक्टर को अधिकार होगा कि कोई लैंड रेवेन्यू प्रोपर्टी है तो लैंड रेवेन्यू को देखकर उसका असेसमेंट करके डाइरेक्शन दे सकता है । एडवेलेरम ड्यूटी कम अदा की है तो इसके जरिये से ली जावेगी और सिटीज़ में टेक्सेज़ के जरिए और म्युनिसिपैल लिमिट्स में किसी प्रकार का टैक्स यदि किसी ऐसे आधर पर प्रोपर्टीज़ का असेसमेंट सही ढंग से कलेक्टर कर ले, टैक्स का इवेजन न होने देने के लिए ये मेजर्स लिये गये हैं ।

ग्रोस असेट्स के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो यह प्रोविज़न कराया जा रहा है कि ग्रोस असेट्स को देख कर कलेक्टर डाइरेक्शन दे सकता है तो राज्य सरकार से चाहूंगा कि उसका क्या आधार होगा ? आरबिट्रेरी ज्यादा कर दिया तो दूसरी पार्टी को जिसकी प्रोपर्टी है जिसके मिस यूज होने का प्रश्न आता है तो उसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है । फिक्स्ड रेवेन्यू है वहां तो दिक्कत नहीं आवेगी । यदि इन्क्वायरी को वाइड किया जावेगा और डिस्क्रेशन रखा जावेगा तो लोगों को काफी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

परेशानियां होंगी और लिटीगेशन भी बढ़ सकता है। इसलिए माननीय अध्यक्षजी, मेरा सरकार से यह निवेदन है कि इसमें जो प्रोविजन है उससे राज्य सरकार की मंशा उत्तम है। आज यह टेन्डेन्सी बढ़ गयी है और हमारा अनुभव भी है कि स्टाम्प ड्यूटी को बचाने के लिए अन्डर वेल्यू रजिस्ट्रेशन होते हैं। इसलिए उसके बचाने के लिए राज्य सरकार को कानून बनाने का है वह बनाना चाहिये। परन्तु इसको रूल्स में प्रोवाइड किस तरह से करेंगे उसका क्या प्रोसीजर होगा इसमें नहीं बताया गया है। परन्तु इस कानून के अन्दर जहां तक डिसक्रीशनरी पावर्स कलेक्टर को देने के हैं उसके पश्चात् अपील अपीलेट ऑथोरिटी के सामने होगी। इस कानून के अन्तर्गत राज्य सरकार के सामने दोनों पार्टीज के बारे में इन्क्वायरी होगी। वैसी हालत में पावर का मिस यूज हो सकता है इसलिए कानून डिसक्रीशनरी कोई भी नहीं रखा जाना चाहिए। ऐसे मामलों में हो सकता है कोई पार्टी किसी से अदावत के कारण फालतू दरखास्त कर सकता है। इसलिए जैसा कि पहले भी बिल सिलेक्ट-कमेटी में गया था उसकी मीटिंग हुई और उसके बाद यह पाया गया कि सेन्ट्रल बेसिस पर इसको मोडल बिल के रूप में लाया जाय उसी के अनुसार यह लाया गया है।

प्रोपर्टी के इवेल्युएशन करने वाला कानून है, इसमें राज्य सरकार ने जो प्रोवीजन्स रखे हैं उसमें मुझे खतरा है, मिसयूज न हो, फालतू लिटीगेशन न बढ़े। इसलिए कम से कम डिस्क्रीशन हो। स्पेसिफीक रूप से रूल्स बने हैं या नहीं अमूमन यह देखा गया है कि रूल्स साल साल भर तक नहीं बनते हैं। हाई कोर्ट में लोग चले जाते हैं फालतू लिटीगेशन होता है, लोगों को हेरेशमेंट होगा इसलिए मेरा यह निवेदन है कि जो रूल्स इससे संबन्धित हों वे साथ के साथ बन करके आने चाहिए या कब तक बन जाएंगे यह निश्चत तौर से बताया जाना चाहिये। इस कानून के तहत कोई स्टेप ले रजिस्ट्रेशन के मामले में कम से कम डिस्क्रेशन देने की आवश्यकता है।

श्री हरिप्रसाद (पाटन) : कोरम नहीं है।

(गण पूरक घण्टी के पश्चात्)

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल में Instruments under valued, how to be valued" इसके अन्दर शब्द 'may' है। जिस रजिस्ट्री करने वाले ऑथोरिटी के यहां पर मामला जाएगा उसको शक होगा तो इन्क्वायरी करके कलेक्टर के सामने प्रस्तुत कर देगा। इसमें अगर डिस्क्रीशन होता है तो मामले में ज्यादा लिटीगेशन होने की सम्भावना रहेगी इसलिए इस बारे में जो भी इन्क्वायरी हो, सुबूत आ जाय कि इसने अन्डर वेल्युएशन किया है तो उस बारे में कलेक्टर को अधिकार होगा कि उससे एक्सेस स्टाम्प ड्यूटी वसूल करे और पेनेल्टी हो तो वह भी उस पर डाली जाय। लेकिन इसमें जो कानूनी डिस्क्रीशन दिया गया है उसका हमेशा मिस यूज होने का अन्देशा रहता है।

इम्मूवेबल प्रोपर्टी के सम्बन्ध में जब हम इस प्रकार डिस्क्रीशन रखते हैं तो यह गंभीरता से विचार करने की बात है। हर जगह पार्टीबाजी फैली हुई है, एक दूसरे के विरोधी

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लोग हैं, इसलिए फालतू दरख्वास्त देकर लिटीगेशन बढ़ा सकते हैं इसकी सम्भावना रहेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें जिस प्रकार के प्रोवीजन्स रखे हैं उससे राज्य सरकार की मन्शा कहां तक फुलफिल होगी, यह देखने की बात है। इसमें जो लूपहोल्स हैं उनको बन्द कर दियां जाय ताकि राज्य की स्टाम्प ड्यूटी का इवेजन होता है वह रुक सके। इसलिए इस कानून को सभी तरह से एग्जामिन किया जाय। और इसके साथ साथ जो भी रूल्स इस सम्बंध में बनाने हों वे साथ के साथ बना दिये जायें इसलिये इन मुद्दों को ट्रेस आउट करने के लिए इम्मूवेबल प्रोपरटी के बारे में डिसप्यूट होता है वे मामले हाई कोर्ट में रिट में चले जाते हैं। इसलिए मैंने जो प्रस्ताव रखा है कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय ताकि जो मैंने मुद्दे उठाए हैं उनको ठीक प्रकार से देख लिया जाय। चाहे आप एक दो दिन के लिये भेज दें सिलेक्ट कमेटी के बाद ही आप इस बिल को रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। वरना जो पॉवर्स दी जा रही है, डिस्क्रीशन की व अपील का प्रोवीजन रखा है वह ठीक है फिर भी इसका मिसयूज न हो राज्य सरकार की टैक्स इवेड करने की मन्शा को रोकने की जो धारणा है वह पूरी हो, इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं अपना संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ।

श्री परसराम मदेरना (उप-मन्त्री, सामान्य प्रशासन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोंक से आने वाले माननीय सदस्य ने दो एतराजात प्रस्तुत किये हैं एक तो यह कि एडवेलोरम ड्यूटीज कृषि योग्य भूमि पर नहीं लगायी जानी चाहिये।

इसके सम्बन्ध में मेरा उत्तर यह है कि आज भी एड वेलोरम ड्यूटी का रिलेवेन्ट सेक्शन है वह २७ है, ऑफ दी प्रजेन्ट एक्ट है। उसका मतलब यह है कि इसको दो केटेगेरी में डिवायड करना होगा।

एक तो वह इन्स्ट्रूमेंट है जिनके सम्बन्ध में लिखा हुआ है वे जो है वेलयू ऑफ दी कन्सीडरेशन सेट फोर्थ करेंगे फुल्ली और ट्रूली।

दूसरा इन्स्ट्रूमेंट है जिनमें यह बात नहीं लिखी हुई है। इसका मतलब यह हुआ, ऐसा इन्स्ट्रूमेन्ट ड्यूटीज को सेट फोर्थ नहीं करना है, उसके रूल्स नहीं। यह जो प्रोवीजन किया जा रहा है दूसरे इन्स्ट्रूमेन्ट के सम्बन्ध में है। जहां तक लेन्ड का सम्बन्ध है. पार्टीशन इन्स्ट्रूमेन्ट है उसकी वेल्यू सेट फोर्थ करना जरूरी नहीं।

कौन से इन्स्ट्रूमेन्ट की वेल्यू या कन्सीडरेशन सेट फोर्थ करना जरूरी है वह यह है अवार्ड, कनवेएन्स, एक्सचेंज डिफर रिम्नवेएन्स ऑफ मोर्टगेज प्रोपर्टी रिलीज और सेटलमेन्ट। इसलिये लैंड पार्टीशन जहां इन्स्ट्रूमेण्ट वेल्यू को सेट फोर्थ करना आवश्यक है। इसके लिए मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं जो कोई व्यक्ति अपनी प्रोपर्टी की सही वेल्यू अगर सेट फोर्थ फुल्ली और ट्रूली नहीं करता है तो उसको पर्टीक्यूलर्स देने पडेंगे २७ के अमेन्डमेन्ट के अनुसार। इसके लिए मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं। वह कौनसी मशीनरी होगी जो डिटर्मिन करेगी, उस प्रोपर्टी की वेल्यू सेट फोर्थ है वह सही है या नहीं? इस पर

(श्री परसराम मदेरणा)

आसीन्द से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही कि कलेक्टर को डिटरमीन के पावर क्यों देना चाहते हैं ? रजिस्ट्रीग आफिसर को देना चाहिये । कलेक्टर को ये अधिकार देने के ये रीजन्स है । रजिस्टरींग ओथोरिटी को डिस्क्रीशन देते हैं तो वह सेटिसफाइ नही होगा वह उसकी वेल्यू के सम्बन्ध में इन्क्वायरी करेगा । वह प्रोपरटी की वेल्यू डिसाइड करेगा । जुनीयर अफसरों के हाथों में हम इतने वाइड डिस्क्रीशनरी पावर्स नहीं देना चाहते इसलिये हमने सीनियर अफसर को दिये हैं । इसमें यह लिखा हुआ है डिटेल्ड में इन्क्वायरी करेंगे वह रूल्स में प्रेसक्राइब करेंगे । अगर कलेक्टर यह मान ले कि जो वेल्यू सेट फोर्थ की है वह ट्रू वेल्यू नहीं है । वह वेल्यू को ठीक बनाकर उस पर स्टाम्प ड्यूटी ले सकता है । उसके बाद कोई चाहे तो वह अपील कर सकता है । यह हमने सेफ गार्ड किया है । इसलिए प्रोवाइड किया है । इसे रजिस्टेशन आफीसर के पास रख देते हैं तो मिसयूज नहीं होगा ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास रखने का मतलब यह होगा कि लैंड की सारी जानकारी उसके पास होती है और उससे सम्बन्धित सभी कागजात उसके पास होते हैं इसलिए वहां पर देखकर अगर उसमें कोई खामी हुई तो ठीक कर सकता है वहीं पर । पर कलक्टर के पास भेज देंगे तो उससे लोंगों का हैरेसमेंट होगा । वहां उसे कहा जावेगा, रिकार्ड लाओ, सुबूत लाओ । गवाही लाओ, और इस से बहुत खरचा उसे करना पड़ेगा ।

श्री अध्यक्ष : रजिस्ट्रेशन करने वाले अफसर को दे देंगे तो जांच वह भी करेगा उसकी । यह खुद उस आदमी के हक में नहीं होगा जो रजिस्ट्री कराता होगा । हरेक मामले में जांच शुरू हो जावेगी । इसमें भी प्रावधान यह है रजिस्ट्रेशन के बाद कलक्टर के पास भेजें ताकि रजिस्ट्रेशन का काम तो न रुके ।

श्री परसराम मदेरणा : आज किसी इन्स्ट्रूमेंट को रजिस्टर कराने के पहले, because the stamp duty is not on the transaction but on the instrument. That is the main principle of the Act.

और इसलिए आज जो ड्यूटी है, वह ड्यूटी आज कुछ ही ऐसे इन्स्ट्रूमेन्ट हैं जिनमें वैल्यू सैट फोर्थ करने का प्रोवीजन है और इसमें क्या है, रजिस्टरिंग ओफीसर सैटिसफाई नहीं होता है कि प्रोपटी की वेल्यूज की ठीक सैट फोर्थ नहीं की हैं, सही कीमत नहीं बनाई है तो आज भी इम्पाउन्ड करके भेज देता है । रजिस्टेशन तो करनी ही पड़ेगी । यह सेफ गार्ड रक्खी हैं । कलकटर को रेफरेन्स के पावर दिये हैं । रेफर ही कर सकते हैं । दूसरी सेफ गार्ड है यह । कलक्टरी में डिटेल में एन्क्वायरी करनी पड़ेगी, तीसरी सेफ गार्ड । और चौथी सेफगार्ड अपील की है । डिस्ट्रिक्ट और सैशन जज के पास रक्खी है । अगर कहीं सैशन्स जज न हो तो सीनियर सिविल जज सुन सकता है यदि सरकार स्पेशल तौर पर उसे एम्पायर करे ।

आज कुछ ही डाक्यूमेन्टस में वैल्यू सैट फोर्थ करना जरूरी है । सात डाक्यूमेन्टस मे लैंड के पार्टीशन के मामले, जो आप कह रहे हैं, हैरेस होगा छोटा छोटा किसान, आज

(श्री परसराम मदेरणा)

भी उसे वेल्यू सैट फोर्थ नहीं करनी पड़ती है तो यह क्वेश्चन उसके लिए प्रोवाइडेड नहीं है सात प्रकार के इन्स्ट्रूमेंट के लिए प्रोवाइडेड है और उन सात के नाम मैंने बताये हैं उसी के लिए यह मशीनरी प्रोवाइडेड है। इसलिए जो डाउट है कि आज हम उस में कोई लेकर्ना रख रहे हैं वह सही नहीं है।

२७ के अन्दर जो और पर्टीक्युलर्स हमने वहां पर रक्खे हैं वे पार्टीशन आफ लैन्ड के सम्बन्ध में नहीं है। २७ में पर्टीकूलर्स रक्खे हैं। सात तरह के डाक्यूमेंटस हैं। सैटलमेंट ऑफ लेंड है और कई दूसरे प्रकार के हैं तो उनमें तो वह आ सकता है पर पार्टीशन विथ आ ही नहीं सकता। २७ में सैट फोर्थ करना पड़ेगा। २७ में सब ही इन्स्ट्रूमेन्टस का जिक्र नहीं है इसलिए पार्टिशन आफ लैंड की इन्स्ट्रूमेंट को वेल्यू सैट फोर्थ करनी जरूरी नहीं हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : क्लॉज तीन को लाने का पर्पज क्या है आपका ? गिफ्ट डीड में अगर कोई इस प्रकार की कन्डीशन लगा देता है कि वह उसको रिवोक कर सकता है तो मैं समझता हूं कि वह गिफ्ट डीड नहीं रहेगा, विल बन जावेगी। विल पर कोई फीस नहीं है। पर आप इस पर फीस लेना चाहते हैं, यह कहां तक उचित है ? मानवीय दृष्टिकोण से भी इसे देखना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कितना ही मान्य सिद्धांत हो, पर जो रजिस्टर करता है वह तो तय नहीं करता कि यह गलती रही या सही रही। वह तो जो दस्तावेज लावेगा उसकी जानकारी करके रजिस्ट्रेशन उसका कर देगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : यह ठीक है। किसी व्यक्ति ने गिफ्ट डीड बनाई, पर रिवोक की कन्डीशन डालकर उसे विल को तरह लेकर आता है तो उस पर फीस गिफ्ट डीड की न लग कर विल की लगेगी। कानूनन भी वह गिफ्ट नहीं माना जावेगा, पर फीस गिफ्ट की ही लेंगे ये।

श्री अध्यक्ष : चाहे इन्स्ट्रूमेंट गलत हो या सही हो वह तो जो कीमत उसमें लिखी है उस पर टैक्स लेगा।

श्री कृष्णकुमार गोयल : that is wrong Sir कानूनन अगर रिवोक की क्लॉज उसने उसमें एड कर दी तो वह विल बन जावेगी, और विल पर फीस नहीं है। पर उसकी इस नासमझी का फायदा उठा कर उससे फीस लेना चाहती है यह सरकार।

श्री अध्यक्ष : वह ज्यादा समझदार भी हो सकता है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : हो सकता हैं, इससे बहुत कॉम्पलीकेशन्स आ जावेंगे। इससे डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है। फीस चूंकि गिफ्ट की है, इसलिए इसे गिफ्ट डीड ही मानेंगे, विल नहीं; जबकि मंशा उसकी विल की है।

श्री अध्यक्ष : केवल रजिस्ट्रेशन फीस देने से असर थोड़े ही पड़ेगा विल पर या डीड पर।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पर जो गिफ्ट डीड है ही नहीं, विल है, उस पर फीस सरकार क्यों लेना चाहती है ?

श्री परसराम मदेरणा : क्लाज तीन का प्रोविजो जो है उस प्रकार का कानून में प्रावधान महाराष्ट्र और गुजरात के स्टाम्प लाज में भी हैं। हमने यह इसलिए रक्खा है कि कोई भी इन्स्ट्रूमेंट है उसका अपेरेन्ट टेन्योर तो और दिखता है और रीअल नेचर ऑफ ट्रान्जेक्शन और होता है, जैसे आपने विल की बात कही और मानवीय दृष्टिकोण की बात कही। पर अगर वह गिफ्ट डीड को विल (will) की शक्ल में लेकर आना चाहता है और इस तरह से स्टाम्प ड्यूटी से बचना चाहता है तो स्टाम्प ला के पीछे भी दो प्रिन्सिपल हैं। एक तो ट्रान्जेक्शन पर लगेगा नहीं, इन्स्ट्रूमेन्ट पर लगेगा और एपेरेन्ट टेन्योर ऑफ इन्स्ट्रूमेन्ट कुछ भी हो पर रीयल नेचर आफ ट्रान्जेक्शन क्या है यह देखना होता है। कोई कहता है लाइसेन्स है पर पढ़ने से ऐसा मालूम होता है कोई वह लाइसेन्स नहीं है, बल्कि लीज है और इसके लिए कोई एवीडेन्स आदि लेने की भी जरूरत नहीं हैं। एपेरेन्टली मालूम हो रहा है तो स्टाम्प ड्यूटी उस पर उसी तरह से लगाई जावेगी। दुनिया भर में यही है।

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई रिवोक का प्रोवीजन रख कर गिफ्ट डीड को विल की संज्ञा देना चाहता है और कहता है कि नेचर ऑफ ट्रान्जेक्शन विल है, पर एक्चुअली गिफ्ट डीड है तो इस पर स्टाम्प ड्यूटी पेएबल है और यही हम लेना चाहते हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पर इसका बहुत सारा असर उन पर पड़ेगा जो बे सहारा हैं। अधिकतर केसेज विडोज के हैं जिनकी सार सम्भाल कोई नहीं करता। तो वे ऐसा सोच कर चलती हैं कि उसके पास सम्पत्ति है थोड़ी बहुत, तो उसके आधार पर वह किसी को सार-सम्भाल के लिए रख लें और इस ध्येय से अपनी सम्पत्ति को वह गिफ्ट करना चाहती हैं, पर साथ ही यह भी चाहती है कि कोई उसे बीच में छोड़ न दे, तो इस दृष्टि से वह उसमें रिवोक का प्रोवीजन भी डाल देती है तो आपके इस प्रोवीजन से वे इफेक्ट होगी और उनको दुबारा अधिक फीस देनी पड़ेगी। उसकी फाइनेन्सियल पोजीशन ऐसी नहीं कि वे इस फीस को दे सकें। आज भी वे बड़ी कठिनाई से अपना गुजर बसर करती हैं। तो उनको यह इफेक्ट करेगा। आप इसे फिर भले ही लेकुना मान लें। पर इससे पूअर क्लास का लाभ है। इसे आप इस तरह से करेंगे तो उनको असर पड़ेगा।

(२ म० प०)

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : अध्यक्ष महोदय, मुझे भी एक प्रश्न पूछना है कि वह जो प्रोपोजल दिया है तहसीलदार के बारे में उसमें एक मामला और है और वह यह है कि आज जिस प्रकार से डाकुमेन्ट्स लिखे जाते हैं उनमें असावधानी के कारण कुछ स्टाम्प्स कम हो जाते हैं लेकिन वह रजिस्टरिंग ऑथोरिटी उसके बारे में कोई तवज्जोह नहीं देती और उसके कारण से स्टाम्प्स के जो इन्सपेक्टर वगैरह उसकी जांच करने के लिए आते हैं उसमें कम स्टाम्प्स के लगाने की बातें बहुत सी निकलती हैं और वह फिर कलेक्टर को केसेज

(श्री गिरधारलाल व्यास)

रेफर कर देते हैं और उनके ऊपर ११ गुना और १२ गुना पैनल्टी और लगती है। तो इन बातों को कम कर सकते हैं उस समय जब कि तहसीलदार इसके बारे में पूरी सावधानी से काम करे। इस प्रकार से काश्तकारों को पीनेलाइज नहीं होना पड़ेगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था इसमें होनी चाहिए और इस प्रकार की व्यवस्था अभी नहीं है जिसके कारण से किसी को दो सौ रुपये और किसी को तीन सो रुपये जुर्माने के देने पड़ते हैं। इस प्रकार का प्रावधान भी इसमें होना चाहिए।

श्री **परसराम मदेरणा** (उप-मन्त्री आबकारी): अध्यक्ष महोदय, जहां तक गिफ्ट के प्रोविजो का प्रश्न है, गिफ्ट्स जो भी होती हैं, स्टाम्प्स ड्यूटी के लिए पेएबल टू दी इन्सट्रूमेंट हैं। लेकिन हमने प्रोवीजो इसलिए रखा है कि प्रोवीजो रखने के बाद में गिफ्ट का पूरा का पूरा जो इन्स्ट्रूमेन्टस है इस प्रकार की एन्ट्री डालने के बाद रिडन्डेन्ट हो जाता है और रिडन्डेन्ट इसलिए हो जाता है कि करते तो गिफ्ट हैं लेकिन साथ ही अपने हाथ में कुछ पावर्स रखना चाहते है लोग और वह यह रखना चाहते हैं कि हम इसको किसी भी समय रिवोक कर सकते हैं और इसलिए वह स्टाम्प्स ड्यूटी पेएबल नहीं होती है। इसलिए इस आड़ में बहुत से व्यक्ति जो गिफ्ट करते हैं वह चार्जेबल ड्यूटी से और इससे एग्जेम्प्ट हो जाते हैं और दूसरी स्टेट्स में भी एनोलोगस है इसलिए हमनें रखा हैं।

जहां तक तहसीलदार की बात रखी है, जो सब-रजिस्ट्रार था। आज राजस्थान स्टाम्प्स लॉ एण्ड रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्दर वे जब देखते हैं, किसी डाक्यूमेंट के अन्दर जो स्टाम्प्स ड्यूटी लगनी चाहिए और वह नहीं है और उसमें कम है तो वह केस कलेक्टर के पास भेज देते हैं। इसमें जो हमने मशीनरी प्रोवाइड की है…

श्री **गिरधारीलाल व्यास** : जिसमें काश्तकारों की अज्ञानता की वजह से तहसील दार भी जो रजिस्टरिंग अथोरिटी है वह भी नहीं समझता कि कितने के स्टाम्प्स लगने चाहिए और स्टाम्प्स की कमी के कारण जो केसेज स्टाम्प्स के जो इन्सपेक्टर या आफिसर्स आते हैं जांच करके जो कमी निकलती है कि इतने रुपये के स्टाम्प्स कम हैं तो केसेज कलेक्टर के पास भेज देते हैं और उनके ऊपर ११ गुना या १२ गुना पैनल्टी लगने के बाद केसेज डिसाइड होते हैं। तो इसमें न तो काश्तकार की गलती है और जब रजिस्टरिंग आथोरिटी रजिस्टर कर देती है तो ऐसी हालत में उनके ऊपर पैनल्टी नहीं लगानी चाहिए।

श्री **परसराम मदेरणा** : अध्यक्ष महोदय, Ignorance of law is no excluse आज कोई व्यक्ति यह कहे कि मैंने कत्ल कर दिया और मुझे मालूम नहीं था कि फांसी हो जायेगी तो उसके लिए कोई रियायत नहीं है। ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है और आज जितनी भी रजिस्ट्रीज होती हैं उन काश्तकारों को पता है कि कितनी रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी और कितनी स्टाम्प्स ड्यूटी लगानी पड़ेगी। वह जो आप कह रहे हैं यह अण्डर ड्यूटी और स्टाम्प्स लगाये हैं तभी वह इन्फोर्म करते हैं, जो ड्यूटीज हैं वो पूरी तरह से स्पेसीफिकली

(श्री परसराम मदेरणा)

प्रोवाइडेड है । डयूटीज दो प्रकार की हैं, एक तो एडवेलोरेम और दूरी फिक्सड । तो फिक्स्ड ड्यूटी शिडयूल में दी गई है और उसमें कोई कन्फ्यूजन का सवाल नहीं है । जहां पर यह एडवेलोरेम डयूटी है यह ड्यूटी भी उन डाक्यूमेंटस में, जिनमें मशीनरी प्रोवाइड की है बाकी की डयूटी की वैलुएशन करते हैं तो उसको रजिस्टरिंग आथौरिटी मानती है । अगर वह सेटिस्फाई नहीं होती हैं कि वैलुएशन कम है तो जो भी डाक्यूमेंट हो उनके जरिये इन्फार्म करता है और जिसमें सेटिस्फाई हो जाये तो कलेक्टर के पास एडजुडीकेशन के लिए भेजने की आवश्यकता नहीं है । मैं समझता हूं कि हम जो मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं या पार्टीशन की डेफिनिशन के अन्दर सब-क्लाज (३) ऐड करते हैं या ५ के अन्दर प्रोवीजों लगाया है यह शिफ्ट के संबंध में है और जो मशीनरी प्रोवाइड की है उसमें बहुत ज्यादा सफगार्ड किया है और उसका रिलेशन सेक्शन २७ से है और जिसमें वैल्यूएशन को सेटफोर्थ कहते हैं और ब्लैक मनी को इस तरह से यूज करके जिसको रीयल वैल्यू होती है उसको किसी तरह से इन्वेस्ट करने के लिए ब्लैक मनी का यूज करते हैं, ऐसी धारणा संथानम कमेटी की रही है और उसने भी सिफारिश की है कि ब्लैक मनी को इन्डाइरेक्ट यूटीलाइज करके इसका फायदा उठा लेते हैं । इससे स्टेट को दो तरह के नुकसान होते हैं । स्टेट को तो स्टाम्प डयूटी का और सेन्ट्रल गवर्नमेंट को इनकम टैक्स का नुसकान होता है और उसी के आधार पर यह अमेन्डमेन्ड लाया गया है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मैंने तो आपसे पूछा था कि जिस डाक्यूमेंट के अन्दर रजिस्टरिंग आथोरिटी सेटिस्फाई हो जाती है और उसके बाद में स्टाम्प्स के इन्सपेटर आते हैं और वे लोग उसमें कमी निकालते हैं तो उन कमी वाले केसेज को कलेक्टर के पास सौंप देते हैं और उनमें काफी बड़ी पैनल्टी होती है, उसके संबंध में किसी प्रकार का प्रोवीजन नहीं है !

श्री अध्यक्ष : किस कानून के अन्तर्गत करते हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसी स्टाम्प लाज के अन्तर्गत····

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : इसके संबंध में हाईकोर्ट का फैसला हो गया है कि इन्सपेक्टर को अधिकार नहीं है । पहले ऐसा होता था कि वह इस प्रकार के केसेज कलेक्टर को भेज दिया करते थे और डयूटी १० टाइम्स चार्ज करने के लिए लिख देते थे और उनसे पैनल्टी वसूल करने की चेष्टा की गई इसके संबंध में आपत्ति हुई और कलेक्टर्स ने भी अपनी सम्मति दी कि इन्सपेक्टर को भी सिफारिश करने का अधिकार नहीं है और इसके बारे में यह मसला आगे जाकर तय हो गया और जब तक किसी कोर्ट में वह डाक्यूमेंटल एवीडेन्स के लिए पेश नहीं हो तब तक कमी या तावान वसूल करने का अधिकार नहीं माना है ।

श्री अध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं ।

श्री रामकृष्ण गोयल : जी हां ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री राधाकृष्ण गोयल और श्री गिरधारी लाल व्यास ने रखे हैं उनको वापिस लेने की इजाजत दी जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं भी अपना संशोधन वापिस लेता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : मैं अपना सिलेक्ट कमेटी वाला प्रस्ताव वापिस लेना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री रघुनाथ विश्नोई ने रखा है उसको वापिस लेने की इजाजत दी जाये।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई

श्री रघुनाथ विश्नोई : मैं वापिस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प लॉ (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को विचारार्थ लिया जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री राधाकृष्ण गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके संबंध में मुझे एक वैधानिक आपत्ति है। यद्यपि यह आपत्ति साधारण सी है लेकिन राज्य सरकार को इस ओर अवश्य ही ध्यान देना चाहिए। जो अनुकूल और संशोधन विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है यह मनी एक्ट की तारीफ में आता है और संविधान के अनुच्छेद १९९ के अधीन इसको सदन में प्रस्तुत करने के पूर्व या इस पर विचार करने से पूर्व राज्यपाल महोदय की नियमित स्वीकृति आवश्यक है। इसलिए इसमें स्वीकृति के संबंध में कुछ उल्लेख है लेकिन इसके संबंध में जो उनकी सिफारिश है वह कानून मान्य नहीं है और इसका कारण यह है कि सबसे पहले तो अंग्रेजी में जो बिल पेश किया गया है उसके पृष्ठ ४ पर और हिन्दी में अनुवादित बिल के पृष्ठ ३ पर संविधान के अनुच्छेद २०६ (१) के अधीन राज्यपाल महोदय की सिफारिश है। हो सकता है यह छपाई की गलती हो क्योंकि यह सिफारिश अनुच्छेद २०६ में नहीं बल्कि २०७ में ही दी जा सकती है। इसके साथ में जो आपत्ति है वह यह है कि इस सिफारिश के संबंध में राज्यपाल महोदय की ओर से आने वाली पत्रावली या पत्र सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए इसके साथ लगाये जाने चाहिए। इसके संबंध में जो कुछ हमें लिखा गया है वह माननीय वित्त मन्त्री महोदय के एक पत्र जो कि सचिव राजस्थान विधान सभा को उन्होंने भेजा है उसकी प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न कर दी गई है और उस प्रतिलिपि को इस स्टाम्प लॉ के संबंध में या और किसी भी लॉ के संबंध में कोई हवाला नहीं है। पहली बात तो यह जब प्राइमरी डाक्यूमेंट उपलब्ध है तो उसकी प्रतिलिपि सदस्यों की जानकारी के लिए आनी चाहिए, लेकिन उस प्राइमरी डाक्यूमेंट के आधार पर दूसरा डाक्यूमेंट जो कि मन्त्री महोदय

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

अपनी ओर से प्रेषित करें और उसमें भी किसी कानून का हवाला नहीं हो और इस स्टाम्प लॉ को पुनः स्थापित करने के लिए सिफारिश की है क्या ? कोई इसके संबंध में भी दिग्दर्शन नहीं कराया गया है तो यह नहीं माना जा सकता कि राज्यपाल महोदय ने इसी स्टाम्प लॉज के ऊपर विचार किया है और इसी सदन में प्रस्तुत करने की सम्मति दी है; ऐसा नहीं माना जा सकता और ऐसी परि, स्थिति में अनुच्छेद २०७ की आवश्यकता, संविधान की आवश्यकता पूरी हुई नहीं मानी जा सकती और इस कारण १९९ मे यह मनी बिल होने के कारण विचारार्थ नहीं लिया जा सकता।

श्री अध्यक्ष (श्री मदेरणा की ओर मुखापेक्ष) : आपको कुछ जबाब देना है ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे इस आपत्ति पर विशेष कुछ नहीं कहना है। जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट ऑफ बिजनेस है, उसमें इस बात का प्रावधान है कि पहले प्रेसीडेन्ट की सैक्शन और गवर्नर की असेंट मिनिस्टर इन्चार्ज लैटर के द्वारा असेम्बली के सेक्रेट्री को कॉम्युनिकेट करेगा और वह कॉम्युनिकेट कर दी गई है।

अब रहा प्रश्न हैडिंग का, तो हैडिंग तो असेम्बली का सेक्रेटेरियट लगाता है। मैं समझता हूं कि हमने जो लैटर भेजा है उसमें २०७ (ए) का हवाला है और यह प्रिंटिंग मिस्टेक है....

श्री राधाकृष्ण गोयल : हो सकता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो, प्रिंटिंग एरर हो लेकिन जो सिफारिश के सम्बन्ध में पत्र भेजा है उसमें इस कानून के सम्बन्ध में हवाला नहीं है। इस विधेयक को लिए जाने के लिए इस स्टाम्प लॉ के मुत्तल्लिक यह जो प्रस्तुत विधेयक संख्या १७ ऑफ १९६६ है इसके सम्बन्ध में ही सिफारिश की गई हो, यह इससे प्रगट नहीं है। इस सम्बन्ध में कोई आप स्पष्टीकरण करें तो ज्यादा अच्छा हो।

श्री परसराम मदेरणा : यह जो लैटर भेजा गया था वह इसी विधेयक के सम्बन्ध में है और किसी दूसरे विधेयक के सम्बन्ध में नहीं है। यह इसके सम्बन्ध में ही है या नहीं है, यह तो असेम्बली सेक्रेट्रियेट को जो ओरिजिनल लैटर भेजा गया है उसमें देख सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : जो पत्र वित्तमंत्री जी ने भेजा है उसमें इस विधेयक को स्थापित करने के बारे में ही है और इस विधेयक के संबंध में ही उन्होंने राज्यपाल महोदय की अनुमति भेजी है। मैं समझता हूँ कि जो संविधान की मंशा है वह इससे पूरी हो जाती है, अतः आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

श्री परसराम मदेरणा : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान स्टाम्प लॉ (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्न यह है कि....

श्री राधाकृष्ण गोयल : तृतीय वाचन पर भी कुछ बोल लें, अगर आप इजाजत दें तो।

Page No. 64

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक के संबंध में साधारण वाद-विवाद हो चुका है और जो उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने अभी कुछ आपत्तियों का दिया है उसके सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि जो अनुकूलन और संशोधन विधेयक उन्होंने प्रस्तुत किया है उसमें धारा २७ (२) और ४७ की उपधारा (२) और (३) में संशोधन किया गया है। उन्होंने जो उद्देश्य इसमें बताये हैं वे यह हैं कि इनको नवीनतः प्रस्तावित किया गया है और उनमें वर्णित प्रयोजनों के लिए राज्य सरकार शक्ति ग्रहण कर रही है और इसके साथ-साथ जो न्यून मूल्यित रजिस्ट्रियों के लिए प्रस्थापित किए जाने वाले लेखों पर जो स्टाम्प ड्यूटी लगेगी उसका कलेक्टर द्वारा सही मूल्यांकन किए जाने के सम्बन्ध में इसमें प्रोविज़न रखे जाने की व्यवस्था है और साथ ही जो कलेक्टर आदि के निर्देशों से कोई आपत्ति रखते हों उसके सम्बन्ध में अपील आदि की व्यवस्था रखी गई है। जहां तक यह भावना है, जैसा कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूँ कि इस भावना का तो स्वागत किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि इस विधेयक की धारा २ के क्लॉज (१५) के सम्बन्ध में जो उत्तर माननीय मंत्रीजी ने दिया है वह संतोषप्रद नहीं है। उन्होंने यह प्रगट किया था कि शिड्यूल में लैंड उस कैटेगरी में नहीं आता। जब ऐसी ही बात है तो जो फैसले कोर्ट से हो जाते हैं पार्टीशन के सम्बन्ध में उसके बारे में प्रावधान यहां विशेष रूप से करने की आवश्यकता नहीं रहती। उनके स्वयं के शब्दों के अनुसार यह प्रोविज़ो रिडन्डेंट रहता है। इससे उन कृषकों पर एक प्रकार की और अनेक प्रकार की परेशानियां उत्पन्न होंगी। साथ ही जो अदालत ने निर्णय दिया है उसकी अगर रजिस्ट्री नहीं कराना चाहें, अपने पास से फैसले के आधार पर कार्य करना चाहें तो उसके सम्बन्ध में यहां यह नियम बना कर उसके साथ कठोरता का व्यवहार किया गया है। इसलिए इसके सम्बन्ध में मैं पुनः सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। जो यह प्रावधान रखा गया है वह अनुचित है, कठोर है और बहुत ही गम्भीरता से सोच-विचार के बाद नहीं रखा गया है।

इसी प्रकार जैसा कि अभी थोड़ा सा वाद-विवाद हुआ था उसकी क्लॉज़ (३) के सम्बन्ध में बिल और गिफ्ट की जो डेफिनिशन जनरल क्लॉजेज़ एक्ट और स्टाम्प एक्ट में दी हुई है और जब स्टाम्प एक्ट में भी स्पष्ट रूप से डेफिनिशन दी हुई है तो उस हालत में बिल पर गिफ्ट समझ कर उस पर स्टाम्प ड्यूटी लेना यह अनुचित रहेगा। बल्कि इसका ज्यादातर गरीबों पर, विधवाओं पर पड़ेगा और उनके लिए यह बड़ी ही कठोरता का काम करेगा। इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि यदि यह क्लॉज ३ डिलीट किया जाता तो अच्छा होता।

(२.२६ म.प.)

(श्री नारायणसिंह मसूदा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

इसलिए मैं यह फिर सदन के सामने प्रगट कर देना चाहता हूं कि यह जो कुछ भी दोनों धारायें इसमें शामिल की गई हैं वह बहुत ज्यादा सोच-विचार करने के बाद की हुई प्रतीत नहीं होतीं और इसका परि-

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

ग़ाम गरीब जनता पर ज्यादा बुरा पड़ेगा। पहले तो यह कि उनको अनुचित रूप से अधिक स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी और अधिक स्टाम्प ड्यूटी देने के अतिरिक्त जो लोग अनभिज्ञ हैं, ज्यादा समझते नहीं हैं, अनपढ़ हैं, गरीब हैं उनके ऊपर एक जबरदस्त बाधा उत्पन्न होगी और एक कठोर स्थिति उनके सामने पैदा होगी। इसलिए यह जो क्लॉज़ १५ (ए) है और इसको कॉन्सीक्वेंशियल है इसमें (२) आयी है इसमें लैंड रेवेन्यू और कोर्ट की डिक्री के द्वारा जो फाइनल ऑर्डर हुआ है उसके सम्बन्ध में नियम न किया गया है, उसको कम करने के लिए विचार करें और उसके साथ ही क्लॉज़ (३) जो है गिफ्ट और विल के सम्बन्ध में, इस पर भी विचार करने की कोशिश करें।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं जानना चाहूँगा। कि जो आपने 'कलेक्टर- शब्द लिखा है, इसकी जगह सेशन्स जज लिखें, तो क्या आपत्ति होगी ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्लॉज (२) में जो हमने पार्टीशन की डेफिनेशन की है, इस डेफिनेशन को हमने एन्लार्ज किया है, इसलिए पार्टीशन की डेफिनेशन और पार्टीशन डीड के सम्बन्ध में वेल्युएशन करने वाले दो अलग अलग मामले हैं। क्लॉज़ २ में पार्टीशन की डेफिनिशन है। उस डेफिनिशन को इसलिए एन्लार्ज किया गया है कि बहुत से हाईकोर्ट के डिसीज़न हुए थे और उन डिसिजन्स के बाद इस तरह की पोज़ीशन अराइज हुई कि यहां पर कोर्ट्स ने ऐसा होल्ड किया था कि जो पार्टीशन का डॉक्यूमेंट या रेकॉर्ड ऑफ दी पार्टीशन है उसको पास्ट पार्टीशन के रूप में पेश करते हैं। पार्टीशन तो पास्ट में कर लिया और उस पार्टीशन के मेमोरेण्डम ऑफ पर्टीक्यूलर्स की रजिस्ट्री करते हैं, ताकि यह मान लिया जाय कि पार्टीशन तो पास्ट में हो गया और अब तो मेमोरेंडम ऑफ पर्टीक्यूलर्स है जिसकी रजिस्ट्री कराते हैं और इस तरह से टैक्स ड्यूटी को इवेड करते हैं। हाई कोर्ट ने भी यह कहा कि मौजूदा कानून की जो स्थिति है उसके अनुसार जो पास्ट में पार्टीशन होगया है और उस पार्टीशन के सम्बन्ध में कोई मेमोरेंडम ऑफ पर्टीक्यूलर्स की रजिस्ट्री करवाते हैं तो वह पार्टीशन डीड की डेफिनेशन में नहीं आता है। That ts not the instrument of partition और जब यह इन्स्ट्रूमेंट ऑफ पार्टीशन नहीं है तो इस पर स्टाम्प ड्यूटी लेवियेबल नहीं है। इसलिए हाईकोर्ट ने यह होल्ड किया कि कानून में खामी है और उस खामी को हम दुरुस्त नहीं कर सकते। जब हाईकोर्ट ने यह कहा कि कानून में खामी है तो हमारे लिए उस खामी को निकालना लाजमी होगया। जो लोग पास्ट पार्टीशन डीड की इस तरह से पहले तो रजिस्ट्री नहीं कराके मेमोरेंडम के जरिए रजिस्ट्री करवाते हैं और इस तरह से स्टाम्प ड्यूटी को इवेड करते हैं तो इस लूप होल को प्लग करना जरूरी होगया और यही यहां पर किया गया है।

अब यह सवाल कि लैण्ड के सम्बन्ध में जो पार्टीशन है उस पर यह मशीनरी लागू होगी या नहीं। मैंने आपसे यह कहा था कि पार्टीशन का इन्स्ट्रूमेंट है उस इन्स्ट्रूमेंट में वेल्यू सेट फोर्थ करने की जरूरत नहीं है। जब जरूरत नहीं है तो सेक्शन २७ के अन्दर उसकी

(श्री परसराम मदेरणा)

वेल्यू सेट फोर्थ नहीं होती है तो मशीनरी ४७ में प्रोवाइडेड है । उसको सप्लीमेंट करने के लिए उसकी आवश्यकता नहीं है । यह बात कही गई ।

जहां तक गिफ्ट का सवाल है तो इस प्रकार का प्रोवीजन दूसरी स्टेटों के अन्दर है । पार्टीशन की डेफिनिशन को एन्लार्ज किया है । उसका प्रोवीजन महाराष्ट्र, गुजरात और मैसूर स्टेट्स में है, और उन्हीं स्टेट्स के एनेकॉगस प्रोवीज़न रखा है । गिफ्ट के सम्बन्ध में मैंने यह बात कही है कि गिफ्ट चार्जेबल स्टाम्प ड्यूटी है, लेकिन वे क्या करते हैं कि उसमें रिवोकेशन का प्रोवीज़न गिफ्ट के डॉक्यूमेंट और इन्स्ट्रूमेंट से जान निकाल लेना चाहते हैं और स्टाम्प ड्यूटी के इवेड करने की बातें करते हैं । यह जो लूप होल है उसको प्लग करने के लिए गिफ्ट का जो आर्टीकल है उसके अन्दर यह प्रोवीजो रखा गया है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : क्या आप स्पेसिफिक इन्स्टान्स ऐसा बतला सकते हैं, जिसमें रेवेन्यू ऑथोरिटीज का पार्टीशन है उसके ऊपर जो अभी विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका असर पड़ने वाला है । व्यावहारिक दृष्टि से ऐसी कौनसी परिस्थिति आ सकती है कि जिसके द्वारा रेवेन्यू ऑथोरिटीज़ के द्वारा पार्टीशन किया गया हो और उस पर इस विधेयक द्वारा असर पड़ने वाला हो जिससे कि यह विधेयक रिडन्डट न समझा जाय ?

श्री परसराम मदेरणा : पार्टीशन का जो रजिस्ट्रेशन करायेगा और रजिस्ट्रेशन कराने के लिए चाहे पास्ट में भी पार्टीशन किया हो और पास्ट पार्टीशन के मेमोरेन्डम को रजिस्टर कराने आयेगा या कोर्ट में या पब्लिक ऑफिसर के पास ऐसा डॉक्यूमेंट पेश हो तो उसने पास्ट पार्टीशन जो पहले कर लिया है उसको पास्ट का पार्टीशन डीड मानकर ड्यूटी लेंगे ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : वह बात अलग है । उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं । मुख्य प्रश्न तो यह है कि जो आपने इस विधेयक में यह प्रोवीज़न रखा है कि "a final order for effecting a partition passed by any revenue authority.... ..." इसके सम्बन्ध में ऐसी कोई व्यवहारिक बात आप बतला सकते हैं कि ऐसा कोई केस आ सकता है कि जिसमें इस विधेयक का यह प्रोवीज़न एप्लाई करेगा । इसलिए यह विधेयक रिडन्डेन्ट नहीं बल्कि आवश्यक है । ऐसा कोई इन्स्टान्स आप अपनी तरफ से दे सकते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : पहले वाली सब क्लॉज (१) और (२)........

श्री राधाकृष्ण गोयल : इसका ऐसा कोई स्पेसिफिक इन्स्टान्स बतला सकते हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : यह पार्टीशन की डेफिनिशन जो इस एक्ट में एडॉप्ट की गई है, सैन्ट्रल एक्ट में भी यह डेफिनिशन है । इसलिए ऊपर वाली (i) और (ii) यह डेफिनिशन पार्टीशन की है । पूरी क्या डेफिनिशन होगी तो ट्रिपल आई (iii) नया

(श्री परसराम मदेरणा)

इन्सर्ट कर रहे हैं। बाकी जहां तक इन दो का सवाल है अ.आउट दी कन्ट्री पार्टीशन की यही डेफिनिशन है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने यह कहा है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दूसरे राज्यों ने क्या कानून बनाया है और केन्द्र ने क्या कानून बना रखा है तो हम अन्धे बनकर उसके अनुरूप कानून बनाते रहें तो यह व्यवस्था ठीक नहीं है। जो कुछ हम कानून बना रहे हैं उसकी व्यवहारिकता कहां तक उचित है, यह देखना चाहिए। उसको रिडन्डेन्ट होते हुए भी अपनाए या कानून के रूप में उसको स्वीकार करें, इसके सम्बन्ध में यह चीज उनको स्वयं को सन्तोषप्रद प्रतीत नहीं होती है।

श्री परसराम मदेरणा : अ. ऑउट दी कन्ट्री, यह पार्टीशन की डेफिनिशन है। सेन्ट्रल एक्ट और दूसरी स्टेट्स के एक्ट में यही है और तीन स्टेटों की डेफिनिशन में ट्रिपल (iii) वाली धारा लगी हुई है। तो यह क्लॉज हम नया इन्सर्ट करने जा रहे हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सेक्शन ५४, राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के तहत पार्टीशन का जो कोर्ट ऑर्डर करे तो क्या उस पर रजिस्ट्रेशन करा कर कोई स्टाम्प ड्यूटी देना अनिवार्य है ?

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आप १०० बार बोल गए और इन दोनों चीजों को रिपीट करते रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान स्टाम्प लॉ (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६ को पारित किया जाय ?

(स्वीकृत)

प्रस्तुत विधेयक पारित किया गया।

राजस्थान भूमि अवाप्ति (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६६

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप मन्त्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि अवाप्ति (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६६ को विचारार्थ लिया जाय।

(इस विधेयक पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए)

१. **श्री सम्पत्तिलाल बोहरा** (मावली)
२. श्री **राधाकृष्ण गोयल** (टोंक)
३. **श्री मानसिंह** (आमेर)
४. **श्री मान्धातासिंह** (महुवा)
५. श्री **दिग्विजय सिंह** (उनियारा)
६. **श्री चौसरसिंह बावेल** (बैंगू)
७. **श्री गिरधारीलाल व्यास** (आसीन्द)

१. "राजस्थान भूमि-अवाप्ति (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६६ को तीन माह। एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा)

२. "राजस्थान भूमि अवाप्ति (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक १९६६ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना

(श्री गोविन्दसिंह)

प्रतिवेदन एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)"

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, सन् १८९४ में हिन्दुस्तान में पहली बार लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट बना । जब हिन्दुस्तान की सरकार ने यह कानून बनाया उस समय यहां के सार्वजनिक नेताओं ने इसके सम्बन्ध में कई प्रकार की आपत्तियां उपस्थित कीं । इस कानून को एक कठोरतम कानून बताया, और जनता का शोषण करने वाला कानून बताया । २६ जनवरी, १९५० को हमने संविधान स्वीकार किया और उसके उपरान्त और उस संविधान में कुछ ऐसी भी धाराएं हमने पारित कीं कि जिनके द्वारा भारत के नागरिक की व्यक्तिगत सम्पत्ति को सुरक्षित रखा गया । संविधान के अनुच्छेद ३१ में हमने एक प्रोटेक्शन दिया कि किसी भी व्यक्ति की सम्पत्ति को न छीना जायेगा, लेकिन उसके साथ यह व्यवस्था अवश्य की कि सार्वजनिक हित में यदि आवश्यकता हो तो किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति बने हुए नियमों के अनुसार अर्जन की जा सकती है । इसी आधार पर राजस्थान सरकार ने भी सन् १९५२ में राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया जो सिलेक्ट कमेटी की सिफारिशों के बाद और कुछ संशोधनों के बाद २३ अप्रेल १९५३ को इसी विधान सभा द्वारा पारित किया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां एक ओर भारत के द्वारा पारित इन्डियन लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट है उसी के पैरेलल पर राजस्थान का भी राजस्थान लैण्ड एक्वीजिशन एक्ट यहां १९५३ में पारित किया और हमारे राज्य में प्रचलित किया गया । सबसे पहले जो इसमें आपत्तियां इस भारतीय विधेयक में भी प्रस्तुत की गई थीं और जो १९५२ और ५३ में यहां इस सदन में प्रस्तुत की गई थीं कि सबसे पहले पब्लिक परपज के लिए जो जमीन अवाप्त की जा सकती है उसके सम्बन्ध में क्या पब्लिक परपज होगा क्या नहीं होगा उसके सम्बन्ध में समुचित व्यवस्था नहीं की गई, और इसके कारण बहुत सी ऐसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कि जिसके कारण जब भी सत्ताधारी व्यक्तियों के व्हिम्स में कोई बात आई तो उसको पब्लिक परपज बना दिया । यह एक ऐसी कठोरतम बात है कि जिसके लिए संविधान में संरक्षण दिया गया है उसके संरक्षण को तोड़ा जा सकता है और तोड़ने की परम्परा भी रही है ।

Any public purposes, जो जोड़ा गया है राजस्थान एक्ट में तो एनी' शब्द भयंकर निकला और इतना दुखदायी निकला कि जिसके कारण से राजस्थान के बहुत से नागरिकों को संतप्त होना पड़ा । आप, उपाध्यक्ष महोदय, अनुभव करेंगे कि किसी भी व्यक्ति से, किसी भी परिवार से कोई मन्त्री नाराज हो जाता है तो उसकी जमीन, मकान "एनी पब्लिक परपज" के नाम से वह एक्वायर करनें की धमकी देता है और एक्वायर भी कर लेते हैं । मैं मिसाल के तौर पर २-३ उदाहरण आपके समक्ष रखता हूं । डिग्गी में कुछ लोगों के खेतों की जमीनें थीं । किसी मन्त्री महोदय की विशेष कृपा उन पर हुई । उस नाराजगी का विशेष परिणाम यह हुआ कि वह जमीन उस वक्त हरी भरी थी और काफी उपज करती थी, तो उसको कृषि

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

फार्म के नाम से एक्वायर कर ली गई। काफी संघर्ष हुआ, काफी झगड़ा हुआ, और हाई कोर्ट तक मसला गया। एक दफा स्टे भी जारी हुआ। वहां पर आर्डर भी हुआ। उसके बाद आपने आदेश जारी करके उसको अवाप्त कर लिया। और इस प्रकार वह राजकीय परपज या सार्वजनिक कार्य के लिए नहीं, बल्कि किसी को दण्डित करने के उद्देश्य से यह कार्य किया गया तो सन् १८९४ में हमारे सार्वजनिक नेताओं ने जिस बात की शंका की थी, उस समय वे शंकाएं हमारे सामने प्रतिफलित नहीं हुई, लेकिन आज कांग्रेसी राज्य में जो कि उस समय शंका करने वाले थे, वे शंकाएं स्पष्ट रूप से आती जा रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, तहसील टोडारायसिंह में भी मोलिया रामपुरा नाम की एक जगह है वहां के बासिन्दगान आराम से रहते हैं, खेती करते हैं। वहां का एक आदमी जो अब सरपंच भी है, हमारे उस वक्त के राजस्व मंत्री श्री दामोदरलाल जी व्यास ने उसको साला बनाया और उसके बाद वहां के लोगों की जमीन को अवाप्त करने की चेष्टा हुई। उसको अवाप्त करने की चेष्टा इसलिये हुई कि वहां पर दामोदरलालजी के नाम से दामोदरनगर नाम की नयी बस्ती बसाने की चेष्टा हुई। दामोदरलालजी उस समय राजस्व मंत्री जरूर थे, लेकिन वे बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता नहीं रहे जिससे कि उनके नाम पर बस्ती बसाई जाय। न उन्होंने जनता में कभी सम्मान प्राप्त किया हो, ऐसी बात है। उन्होंने कभी युद्धस्थल पर शौर्य और वीरता का परिचय दिया हो, ऐसी बात भी नहीं है जिसके कारण उनके नाम पर बस्ती बसाने की चेष्टा की जाय। बल्कि वहां के अधिकांश व्यक्ति जानते हैं, उन्होंने × × ×

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह का लाँछन लगाना उचित नहीं है। इन शब्दों को एक्सपन्ज किया जाय और माननीय सदस्य से निवेदन किया जाय कि वे इस तरह के शब्द न कहें।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आल इंडिया कांग्रेस कमेटी की रिपोर्ट में है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। I am on my legs.

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य को नियमों का कुछ खयाल रखना चाहिये। जिस समय जो बात चल रही है, उसी पर केन्द्रित रहना चाहिये और इस नियम को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये कि जहां तक हो सके पर्सनल आक्षेप नहीं करें। जिस बारे में मुद्दा उठाया है यहां पर यह कतई मुनासिब नहीं है। और किसी जगह साधारणतः ऐसा मुद्दा उठाया जाता है तो उसके लिये पहले से नोटिस दिया जाता है, यह अध्यक्ष महोदय भी कह चुके हैं और इस आसन से कई बार व्यवस्था दी गई है। कई तथ्य हैं जिन पर हमें प्रकाश डालना होता है लेकिन उसको केवल एक ही बात पर केन्द्रित करके कहना चाहें, यह उचित नहीं है। इसलिये मैं समझता हूं जो

× × × × अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री उपाध्यक्ष)

पर्सनल आक्षेप किया है वह एक्सपन्ज किया जाता है और माननीय सदस्य ध्यान रखेंगे कि जो विषय लिया हुआ है उसको पुर जोर प्रतिबिम्बित करें लेकिन उससे कतराकर दूसरी ओर जाना मुनासिब नहीं है ।....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इन शब्दों को ...

श्री उपाध्यक्ष : yes, expunged.

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : ये शब्द एक्सपन्ज करवाये जावें, नहीं तो प्रस्ताव आयगा ।

श्री उपाध्यक्ष : I have already orderd.

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह विधेयक जिस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है, संशोधन चाहा गया है, अब तक कितना दुरुपयोग हुआ है और कितना दुरुपयोग होने की आशंका है, उसके लिये मैंने कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये थे। जिस विषय पर बोल रहा था टोडारायसिंह तहसील में दामोदरनगर के नाम से जो बस्ती बसाई गई या बसाई जा रही है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी....

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आपकी राय में नहीं होगी ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : किसी की राय में नहीं थी, कलेक्टर, एस.डी.ओ. तहसीलदार किसी की राय नयी बस्ती बसाने की नहीं थी, केवल मंत्रीजी की राय थी जो अपने नाम पर बसाना चाहते थे। ये ही मंत्रीजी सन् ४६ तक प्रजामंडल के विरोधी रहे हैं और प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को पिटवाते रहे हैं और उन पर झूठे मुकदमे चलवाते रहे हैं। इनके बारे में मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता क्योंकि उनके चीफ व्हिप आपत्ति उठायेंगे । मेरे पास उनका जबाब मौजूद है, सुबूत भी मौजूद है....

श्री उपाध्यक्ष : विषय के ऊपर ही बोलिये ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : सरकार द्वारा इस प्रकार से अपनी ब्रूट मेजोरिटी के आधार पर कानून बनाने की प्रवृत्ति है और साथ ही साथ इस समय विश्वास सरकार दिलाती है कि उसका दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन बाद में अपने दिलाये हुए विश्वास को भूल जाती है और उसके प्रतिकूल चलती है और प्रतिकूल काम करती है यह उचित नहीं है। इस एक्ट में जो "Any purposes" शब्द दिये हैं वे घातक हैं और इनका बहुत बड़ा दुरुपयोग होता है । इसके साथ ही उपाध्यक्ष महोदय, इसमें is "likely to be needed" रखा है इससे भी कोई करना हो, नहीं करना हो तो बड़ी कठिनाई होगी । मिसाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं कि निवाई में गर्ल्स स्कूल के नाम पर जमीन अवाप्त की गई, लेकिन उस पर काम रोक दिया गया। उसका कारण यह था कि एक कांग्रेस कार्यकर्ता थे, जो सेक्रेटरी भी थे, हनुमानदास तोड़ीवाल, उन्होंने दरख्वास्त दी कि मुझे जमीन एलॉट कर दी जाय। जमीन दूसरे के नाम पर थी इसलिये तहसीलदार ने इन्कार कर दिया कि एलॉट नहीं की जा सकती । तब वह जयपुर आया और यहां पर चेष्टा करके टेलिफोन करवा दिया कि

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

अवाप्त करली जाय। अवाप्ति का नोटिस होगया। उस जमीन पर खेती होती थी पशुओं के रहने के लिये कंस्ट्रक्शन हो रहा था वह रुकवा दिया गया और ५०००) रु० के मुचलके करवा लिये गये। उसके बाद क्या हुआ कि दरअसल में उस जमीन की आवश्यकता तो थी नहीं। डेढ़ दो साल तक रखा, एवार्ड हो गया और बाद में कह दिया कि इसकी आवश्यकता नहीं है इसलिये वह जमीन रिलीज करदी गई। राज्य सरकार को जो पॉवर्स दिये गये हैं उनका इस तरह से दुरुपयोग किया जाय तो असहनीय है और इसके लिये राज्य सरकार को शर्म आनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार जैसा कि इसमें प्रावधान है, खड़ी फसल के खेत को सड़क के काम के लिये या बांध के काम के लिये और प्रकार का काम होता है तो खड़ी फसल को नष्ट कर दिया जाता है जब कि वास्तव में काम दो तीन वर्ष बाद आरम्भ होता है, बहुत तेजी से काम शुरू करें तो भी साल भर लग जाता है लेकिन खेती को नष्ट करने के उदाहरण हैं, खड़ी फसल को नष्ट करने के उदाहरण हैं और इसके बदले में मुआवजा भी किसान को नहीं दिया जाता है। इस संबंध में उचित व्यवस्था होनी चाहिये।

अब मैं वर्तमान संशोधन के संबंध में निवेदन करूं कि अब तक धारा ४ के अनुसार संबंधित व्यक्ति को सूचना देने की आवश्यकता थी, जिनकी जमीन अधिकृत की जा रही है उसको सूचना देने के संबंध में एक नियम बना हुआ है कि उसको रजिस्टर्ड नोटिस से सूचना दी जायगी, या अन्य तरीके से जैसी कि साधारणतः सिविल कोर्ट्स में दी जाती है। अब यह व्यवस्था की जा रही है कि उनको सूचना तहसील हैड क्वार्टर पर नोटिस चस्पा करके या बीट ऑफ ड्रम से या अखबार में सूचना निकाल कर दी जायगी। जमीन ऐसे व्यक्तियों की अवाप्त की जाती है जो गरीब होते हैं, जिनके पास खाने पीने का साधन नहीं होता। टूटे-फूटे मकान में साधारण जमीन के आसरे पर जिन्दा रहते हैं, उनको सूचित करने के लिये यदि तहसील हैडक्वार्टर पर नोटिस चिपकाने की कार्यवाही की जाय, या अखबारों में छपवाया जाय तो उनको पता नहीं लगेगा और इकतरफा कार्यवाही चालू हो जायगी। इस प्रकार के अब तक नोटिसेज़ जारी किये हैं ऐसे हजारों लोग हैं। कलवाड़ा बांध बना तब सैंकड़ों लोगों को नोटिस नहीं मिले और इकतरफा कार्यवाही करके लाखों रुपयों की काश्तकारों की जमीन सरकार ने छीन ली। जो व्यवस्था राज्य सरकार की ओर से की जा रही है उसमें संबंधित व्यक्ति को सूचना मिलना, इफेक्टिव रूप से मिलना नितान्त आवश्यक है। इसमें जो प्रावधान करने जा रहे हैं वह उचित नहीं है। इस प्रकार की जमीन अवाप्त होने की सूचना गजट में प्रकाशित होती है, बाकायदा नोटिस जारी होने का प्रावधान है। गजट में पब्लिकेशन होता है तो लोगों को मालूम हो जाता है, लेकिन अब नोटिफिकेशन गजट में निकालना अनिवार्य नहीं है। धारा ४ के तहत अब वैसे भी नोटिस जारी कर सकते हैं।

तो यह जो बात लैंड एक्वीज़ीशन एक्ट में रही है उससे भी नीचे ये गिरते जा रहे

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

हैं। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, जो जमीन एक्वायर की जाती है उसकी आइडेंटिटी के सम्बन्ध में अब तक झगड़े होते रहे हैं। कोई प्लान उन व्यक्तियों के पास नहीं भेजते हैं जिसमें मेजरमेंट आदि दर्ज हों। इसलिए जो जमीन अवाप्त की जाती है उसके अतिरिक्त भी जमीन पर राज्य सरकार ने कब्जा कर लिया है। सरकार जहां पर बांध बनाती है, सरकार जहां पर सड़कें बनाती है वहां पर जमीन पर कब्जा करती है, लेकिन जो जमीन अवाप्त की है वह उन नोटिसों में शामिल नहीं होती है। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की बहुत बड़ी कमी है और नियमों में भी कमी होने की वजह से जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह आता है कि जहां भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में हमारे भारतीय कानूनों में व्यवस्था है कि बाजार मूल्य में कम्पेन्सेशन दिया जाय, और बाजार मूल्य के अतिरिक्त चूंकि कम्पलसरी नेचर ऑफ एक्वीजीशन होता है इसलिए १५ पर्सेन्ट और कम्पलसरीली उनसे सम्पत्ति छीनने के एवज में दिया जाय। जब हमारा पहला विधेयक इस सदन में विचारार्थ लिया जा रहा था उस समय उस वक्त के मुख्य मंत्री, जो उस वक्त राजस्व मंत्री थे, ने यह विश्वास दिलाया था कि वर्तमान कानून में केवल ये परिवर्तन किये जायें जो भारत सरकार के स्टेन्डर्ड के हैं। मैं उनके ही शब्दों को यहां दोहराऊं जो उन्होंने २३ अप्रेल, १९५३ को व्यक्त किये थे, वे इस प्रकार से हैं।

राजस्थान भूमि अवाप्ति तथा वैधकरण विधेयक, के सम्बन्ध में बोलते हुए उन्होंने बताया कि इसमें जो परिवर्तन किये गये हैं वे भारत सरकार के स्टेन्डर्ड और सिद्धान्तों के आधार पर किये गये हैं। लेकिन जहां भारत सरकार और भारतीय कानून ने कम्पलसरी एक्वीजीशन के लिए १५ पर्सेन्ट और उन मालिकों को देने की व्यवस्था कर रखी है वहां राजस्थान सरकार ने उसको घटा कर केवल दस पर्सेन्ट कर दिया है....

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व): अमेंडिंग बिल से दिया है ?

श्री राधाकृष्ण गोयल : नहीं जी, वह तो मैं कह रहा हूँ कि जो राजस्थान सरकार ने स्टेन्डर्ड कायम कर रखा है भारत सरकार का–उसकी तरफ ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। ऐसी हालत में जब सदन में दिये हुए वचन का राजस्थान की सरकार पालन न करे तो मैं समझता हूं कि उस वक्त जल्दी के कारण या और कारणों से उस वचन का पालन करने में असमर्थ रही है तो अब वक्त आ गया है जब इन संशोधनों में उसे भी सम्मिलित करना चाहिये, और जो त्रुटि रह गई है सरकार के जाने अनजाने उसमें उसे सुधार करना चाहिये। इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, देखा यह जाता है कि जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है और उसके बाद में धारा चार, धारा छ और धारा ९ के तहत नोटिफिकेशन निकलते हैं, लेकिन दस दस साल तक एवार्ड नहीं होते हैं। जिस जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है उसके बदले में कोई जमीन नहीं दी जाती है, उस जमीन के बदले में कोई मुआवजा नहीं दिया जाता है। इस प्रकार जिन लोगों की जमीन ले ली जाती है उनके पास में खेती करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं रहती है और परिणामस्वरूप वह दर दर

Page No. 73

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

भटकते रहते हैं और राजस्थान सरकार अवार्ड दिलाने के सम्बन्ध में और मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में पर्याप्त कदम नहीं उठाती है। मैं बीसियों ही उदाहरण सरकार के सामने पेश कर सकता हूं। १९५२ और १९५४ में जहां लोगों से जमीन ले ली गई है उनको अभी तक मुआवजा अदा नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ यह भी नियम है कि जब से कब्जा कर लिया जाय, या जब से अवार्ड हो जाय तब से मुआवजे की रकम पर चार पर्सेन्ट ब्याज देना चाहिये लेकिन राज्य सरकार इस कानून की अवहेलना करती रही है और इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है। मेरे पास इस प्रकार के बीसों उदाहरण हैं और बीस से अधिक उदाहरण, राज्य सरकार यदि वह चाहे, तो उसे दे सकता हूँ जिनमें जमीन पर कब्जा करने के आठ आठ साल बाद तक लोगों को मुआवजे का पेमेन्ट नहीं किया गया है, और उस हालत में अभी तक लोगों को ब्याज का पेमेन्ट भी नहीं किया गया है। इस प्रकार अवार्ड दिए जाने के बाद में अवार्ड के बाद में ब्याज देने की शर्त रहते हुए भी लोगों को ब्याज देने की व्यवस्था नहीं की गई है।

इसी प्रकार से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता था कि जैसा इस सदन में कुछ प्रश्नों के उत्तर में शासन से यह सरकार को आभास कराया गया है कि जमीन पर कब्जा उस वक्त लिया जाय, सम्पत्ति पर कब्जा उस वक्त किया जाय जब अवार्ड होकर पेमेन्ट कर लिया जाय। जब इस प्रकार की धारणा बनाई है और सदन में इस भावना को प्रस्तुत किया है तो क्या वजह है कि इस चीज को इस संशोधन विधेयक में प्रस्तुत नहीं किया है? अगर सच्चे दिल से जो कुछ बात इस सदन में कहते आ रहे हैं उस पर कायम हैं तो इसको संशोधन में स्थान देकर इस विधेयक के द्वारा कानून में परिवर्तन करना चाहिये था, लेकिन वास्तव में कहने के अन्दर तो कुछ और है और व्यवहार में कुछ और है। जिन लोगों की जमीन पर या मकान पर कब्जा कर लिया जाता है उनके लिए जीवन-यापन की दूसरी व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए काश्तकार लोग दर-दर भटकते रहते हैं, जो लोग मकानों से निकाले हुए होते हैं वे सड़कों पर पड़े रहते हैं, उनके लिए सरकार कोई रहने की व्यवस्था नहीं करती है, उन लोगों के लिए कोई खेती करने की व्यवस्था नहीं करती है,कोई काम दिलाने की व्यवस्था नहीं करती है। इसलिए सरकार को चाहिए कि जिन लोगों की जमीन अवाप्त की जाती है, जिनसे जमीन या सम्पत्ति लेना चाहते हैं, उनको यथासम्भव और यथाशीघ्र जमीन छीनने से पूर्व दूसरी जगह पर जमीन दे दें और उस जमीन को काश्त योग्य बनाने के लिए और उस पर पैदावार करने के लिए एन्टीसिपेशन में उनको कुछ एवजाना दे दें ताकि वह जमीन को साफ कर सकें और खेती के योग्य बना सकें और खेती के लिए आवश्यक सामग्री आदि को जुटा सकें। इस प्रकार की बात पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती है कि जिससे जमीन छीन रहे हैं उसके पास में जीवन-निर्वाह का क्या साधन होगा, उसकी क्या स्थिति होगी। सरकार को जो लैण्ड एक्वीजीशन का अधिकार मिल गया है, उसका उपयोग करना तो सरकार जानती

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

है। लेकिन उस अधिकार के उपयोग के कारण दूसरी पार्टी को, जिसकी जमीन छीनी जा रही है, कितनी मुसीबत उठानी पड़ेगी और उसके जीवन पर और उसके परिवार के जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा—इस ओर राज्य सरकार ध्यान नहीं देती है। इसलिए राज्य सरकार

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

यदि समाजवादी सरकार है और लोकतन्त्र में विश्वास करने वाली सरकार अपने को समझती है तो यह व्यवस्था करे कि जिन्हें जमीन से निकाले, जिन लोगों को घरों से निकाले—उनके लिए कोई आल्टर्नेटिव व्यवस्था करे और उसके बाद में जमीन पर कब्जा करे।

और, उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्तमान संशोधन विधेयक में जो प्रावधान राज्य सरकार ने रखे हैं वह एक ओर तो प्रोसीजर के सम्बन्ध में हैं, दूसरी ओर थोड़े सब्सटेन्टिव भी हैं। जहां तक प्रोसीजर का सम्बन्ध है, हम चाहते तो यह हैं कि जिनकी जमीन, जिनकी सम्पत्ति छीनी जा रही है या अवाप्त की जा रही है, उनको इसकी पहले जानकारी दी जाय, जिससे इस संबंध में अपना जो कुछ मामला है उसको पेश करने के लिए और पुष्ट करने के लिए उचित अवसर उनको मिल सके। लेकिन इसके विपरीत प्रावधान इस बात का रखा जा रहा है कि उनको सूचना मिले या न मिले, एक नोटिस वैसे ही जारी कर दिया जायगा और जारी करने को विधिवत् मान्यता देकर अवार्ड के सम्बन्ध में कार्यवाही कर ली जायगी।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री **उपाध्यक्ष** : बहुत सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए जो प्रोसीजर के सम्बन्ध में अमेंडमेंट किया गया है, वह अनुचित है। और जो सब्सटेन्टिव अमेंडमेंट किया गया है, वह प्रावधान के रूप में सदन के समक्ष आ जाय उसके बाद में मैं द्वितीय वाचन के वक्त में अपने विचार व्यक्त करूंगा। इसलिए संक्षेप में निवेदन करते हुए, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी विधेयक प्रस्तुत

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

किया गया है, और जो पहला एक्ट सामने है, उसकी भावनाओं और संविधान में दिए हुए संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उसके अनुरूप कार्य करें और जो विधेयक के द्वारा संशोधन कर रहे हैं उसमें आगे कम बढ़ावें। ....

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री राधाकृष्ण गोयल : इसलिए मैं चाहता हूं कि इसमें जल्दबाजी न करें। और इसे जनमत जानने के लिए भेजा जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मान्धाता सिंह!

(अनुपस्थित)

श्री दिग्विजय सिंह!

(श्री उपाध्यक्ष)

(अनुपस्थित)

श्री चौसर सिंह बावेल !

श्री चौसरसिंह बावेल (वैगू) : उपाध्यक्ष महोदय। राजस्थान भूमि अवाप्ति (संशोधन) तथा वैधकरण विधेयक, १९६६ को जनमत के लिए प्रसारित करने का मैंने प्रस्ताव किया है। उस सिलसिले में मेरा निवेदन है कि लोगों को बहुत दिक्कत इस विभाग के अधिकारियों द्वारा दी जायगी। आपके वह लोग जमीन पर जायेंगे, मौके पर जायेंगे तो कैसे बाड़ तोड़ेंगे और किस तरह तोड़ ले जायेंगे या दूसरे तोड़ेंगे—इस सब नुकसान की क्षति पूर्ति के लिए प्रावधान रखा गया है उसमें कलैक्टर को अधिकार दिया गया है, और उसके ऊपर ही अन्तिम फैसला रखा है—यह अनुचित है। न्याय प्राप्ति के लिए यह अधिकार हो कि लोगों को अदालतों में जाने का अधिकार हो। जब तक यह सिविल कोर्ट में पेश न हो तब तक लोगों को न्याय नहीं मिल सकता है और क्षतिपूर्ति के लिए मुआवजे के सम्बन्ध में अदालत तक जा सकें—ऐसा प्रावधान इसमें होना चाहिए।

इसी तरह से आपने निजी क्षेत्र में उद्योग वगैरह के ऑनर्स के बारे में कोई बात नहीं रखी है। तो उनके साथ में सौतेला व्यवहार क्यों किया है? पब्लिक सैक्टर में तो इस तरह जमीन प्राप्त करने का अधिकार रखा गया है, लेकिन जब सार्वजनिक काम के लिए जमीन लेते हैं तो वह भी जनहित में आती है, इसलिए उसके लिए भी जमीन लेने का कोई अधिकार आपको लेना चाहिए। इस तरह से केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से आप आये हैं, उसके पहले आपके पास अधिकार नहीं था। अब आपने अधिकार लिया है, और इस कानून के द्वारा जो अधिकार लिया है, वह ठीक है। लेकिन इन लागू कानूनों को पहले की तिथि से करना चाहते हैं और इसके लिए आपने इसमें प्रावधान रखा है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि जब यह कानून आप अब लाये हैं तो यह आज की तिथि से लागू होना चाहिये पहले की तिथि से लागू नहीं होना चाहिये। पहले की तिथि से इसको लागू करना अनुचित होगा। इसके अलावा आपने मुआवजा देने की मियाद ६ महिने की बजाय ३ महिने की रखी है। लेकिन मैं यह कहूंगा कि लोगों को वर्षों तक मुआवजा नहीं मिलता और गरीब लोग इधर उधर मारे मारे फिरते रहते हैं। यह आपका कागजी प्रावधान है इसको इस रूप में नहीं लाएं तो उचित होगा क्योंकि हम रोजाना देखते हैं कि यह प्रावधान होते हुए भी लोगों को पैसे नहीं मिलते है। राणाप्रताप सागर में ६६ गांव डूब में आये। उसका मुआवजा आज तक कई लोगों को नहीं मिला है हजारों को तो मिल गया है लेकिन अभी भी बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनको मुआवजा नहीं मिला है और वे यों ही चल रहे हैं। उनको मुआवजा नहीं मिला है इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ऐसे कानन लाकर जनता के हितों को नुकसान पहुँचाती है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिये और वक्त निकालने से कोई नतीजा नहीं है। इसलिए जो यह प्रावधान रखा गया है वह ठीक नहीं है। मैंने इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव रखा है इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूमि अवाप्ति (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १६६६ सदन में आज प्रस्तुत है। मैंने इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाने के लिए प्रस्ताव रखा है। जहां तक अवाप्ति के संबंध में जो प्रश्न आज तक हमारे सामने आये हैं उनको देखने से ऐसा महसूस होता है कि अवाप्ति के सम्बन्ध में कोई कानून हमारे पास में है ही नहीं। आप पी० डब्ल्यू० डी० में देखें, इरिगेशन में जाकर देखें तो आपको मालूम होगा कि सरकारी कार्य में जो जमीन अवाप्त की जाती है और जिसके लिए कानून बना हुआ है कि इतने दिनों में उसका मुआवजा दे दिया जावे और फैसला होकर मुआवजा उस व्यक्ति को मिल जाना चाहिये या उसको जमीन जमीन की एवज में मिल जानी चाहिये या कम्पेन्सेशन के रूप में पैसा मिल जाना चाहिये। इस प्रकार का प्रावधान हमारे यहां शुरू से था। मगर इस नियम के बावजूद भी अभी तक कितने ही केसेज सामने आये हैं कि उनको पांच, सात वर्ष हो गए मगर उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। जब हम कोई कानून बना देते हैं तो उसका पालन होना चाहिये और जब उसका पालन नहीं होता तो ऐसे कानून बनाने से कोई लाभ नहीं होता। इसलिए ऐसा होना चाहिये कि लोगों को जल्दी से जल्दी कम्पेन्सेशन मिले और जल्दी से जल्दी उनकी भूमि अवाप्त की गई है उसका फैसला हो और जिनकारणों से सरकार उसको अवाप्त कर सकती है उसके कारण भी कुछ मुद्दों के द्वारा दिए हुए हैं। जहां तक भूमि अवाप्त करने का सम्बन्ध है, मैं यह निवेदन करूंगा कि जिन परिस्थितियों में जमीन अवाप्त की जाती है उसके बारे में या तो राज्य सरकार अनिवार्य रूप में पब्लिक इन्टरेस्ट में लेती है या किसी इन्डस्ट्री के लिए लेती है तो उसकी उपयोगिता बताई जावे। यदि इन्डस्ट्री के सम्बन्ध में हो तो जहां तक उपयोगिता बताई जावे, उसके लिए लोगों की जमीन अवाप्त की जावे और मकान अवाप्त किए जावें जो बने हुए हैं। उनको अवाप्त करके इन्डस्ट्री बनाई जावे। उसकी उपयोगिता का हवाला नहीं दिया। यह उसकी उपयोगिता अमुक स्थान पर ज्यादा हो सकती है, इसकी उपयोगिता को किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। यह इसमें नहीं है। जहां तक एक इन्डस्ट्री या सड़क या तालाब बनाने का प्रश्न है या पी० डब्ल्यू० डी० में कोई इम्पोर्टेन्ट चीज ऐसी है जिससे पब्लिक को सुविधा मिल सकती है उसकी उपयोगिता को प्राथमिकता दें कि इस जगह ही यह ज्यादा आवश्यक है और जनता के लिए ज्यादा फायदे मन्द हो सकती है। इसका प्रावधान होना चाहिये।

जैसे आप कोई इन्डस्ट्री किसी शहर में लगाना चाहते हैं और किसी का मकान बना है या कोई खेत है, उस मकान को तोड़ कर और खेत को उजाड़ कर आप इन्डस्ट्री बनाना चाहते हैं। यह ठीक है कि यह इन्डस्ट्री होगी तो लोगों को इससे धन्धा मिलेगा, रोजगार मिलेगा और लोगों को फायदा होगा। लेकिन यह देखना जरूरी है कि यह इन्डस्ट्री अगर यहां पर नहीं लगा कर किसी दूसरी जगह दूर करें तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। इसलिए इन चीजों पर हमें ध्यान देना होगा और अगर इन चीजों पर हम ध्यान देंगे तो जो कठिनाइयां हमारे सामने आ रही हैं कि अमुक इन्डस्ट्री को ऐसी जगह पर लेंगे जहां पर लोग खेती

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

करते हैं उनकी जमीन को बरबाद करके वहां पर इन्डस्ट्री लगावें जिससे हमारा उत्पादन कम होता है और अगर वह इन्डस्ट्री किसी दूसरी जगह पर, जो वहां से थोड़ी दूर पर है, लग सकती है। तो इसके लिए कोई प्रावधान होना चाहिये। अगर हम इन्डस्ट्री को किसी और स्थान पर लगा सकते हैं तो वैसी परिस्थिति में हमको चाहिये कि हम इस प्रकार के कदम नहीं उठावें, जिससे कि लोगों को अपने खेतों और मकानों को छोड़ना पड़े और इससे उनको नुकसान हो।

दूसरी बात यह है कि जिनकी जमीन अवाप्त करते हैं, लेते हैं उनको किस प्रकार से कम्पेन्सेशन देंगे। इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। जहां तक कई जगह देखा है कि कीमती से कीमती जमीन का मुआवजा आप इस रेट से देते हैं जिसको सरकार ने प्रेस्काइब कर रखा है। इस प्रकार के कई केसेज हैं होना यह चाहिये कि जिस व्यक्ति की आप जमीन अवाप्त करते हैं, उस जमीन की कीमत किसी भी तरह से बढ़ी हो तो आपको चाहिये कि उसको मार्केट रेट से मुआवजा मिलना चाहिये। मगर होता यह है कि सरकार की तरफ से एक नियम है कि उस लगान का २० गुणा या २५ गुणा इस आधार पर आप कम्पेन्सेशन दे कर उस व्यक्ति की कीमती से कीमती जमीन अवाप्त करना चाहते हैं यह नहीं होना चाहिये। इसी प्रकार भीलवाड़ा के होस्पिटल के लिये अवाप्त की गई और कुछ किसानों की भूमि ली गई। मगर आज उनको १५ वर्ष हो गये हैं मगर अभी तक उनको कम्पेन्सेशन नहीं दिया गया है। अब सरकार ने उनको कम्पेन्सेशन देना तय किया है। ५०) रु० और ६०) रु० बीघा से देना। जब उस जमीन की मार्केट रेट २०००) बीघा है। इसलिये जिन लोगों की जमीन अवाप्त करते हैं उनको इससे अधिक नुकसान हो जाता है तो यह बात भी न्याय की दृष्टि से सही नहीं मानी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों की जमीन भीलवाड़ा में आपने अवाप्त की उसमें से कुछ लोगों को आपने १००) बीघा के हिसाब से मुआवजा दिया है और कुछ लोगों को आपने ६०) बीघा के हिसाब से मुआवजा देना तय कर दिया है जब कि उन दोनों की जमीन एक ही तरह की है। और जो भूमि अवाप्त की गई है वह आज २०००) रु० और ३०००) रु० बीघा की जमीन है और वैसी ही जमीन अड़ोस पड़ौस में २०००) और ३०००) बीघा में बिकी है। इसलिए यह रेट उस हिसाब से होनी चाहिये।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : Point of order, Sir. उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल है उसके उद्देश्यों में लिखा है कि इसको इसलिये लाने की आवश्यकता पड़ी कि एक कमेटी बनी थी कि इसको किस तरह से जल्दी निपटाया जावे और जो सुझाव थे वे रिपोर्ट में आये हैं। उन सुझावों पर यह बिल लाया गया है इसलिये वह रिपोर्ट कौनसी थी वह हमें पढ़ने को मिले ताकि हम उन सुझावों को सही रूप में परिणित किया गया है या नहीं, वह हमारी निगाह में आ जावे। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि ये जो सुझाव हैं हमारे नोटिस में लावेंगे।

श्री रामप्रसाद लढ्ढा : इसको हाउस में आने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने इस

(श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा)

मसले के लिये कुछ आदमियों की कमेटी बना कर गवर्नमेंट ऑफिसरों की एग्जामिन करने के लिये बनाई । उन्होंने इसको एग्ज़ामिन करके जो सलाह दी । यह कोई कारण नहीं है कि नया बिल लाया गया है और यह एकमात्र कारण नहीं है। इसके लिये कई और कारण हैं।

श्री विजय सिंह झाला : सुझाव क्या दिये गये । उसका संक्षिप्त विवरण भी हमारे सामने आ जाता तो हम उसके आधार पर सुझाव दे सकते थे ।

श्री राम प्रसाद लड्ढ़ा : जरूरत होगी तो रखेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष : जो आपत्ति माननीय सदस्य ने उठाई है, मंत्री महोदय ने स्पष्टीकरण दिया है यदि इस रिपोर्ट की आवश्यकता होगी तो रखेंगे लेकिन जिन कारणों से इस बिल पर अमेन्डमेन्ट लाया गया है, विभागीय तौर पर जाँच की गई थी वह बिल लाने से पहले हुई । इसलिये इस चीज को रखने की आवश्यकता नहीं है ।

८

(३ म०प०)

श्री विजयसिंह झाला : आवश्यकता तो है ही ।

श्री उपाध्यक्ष : वह रिपोर्ट, आप कह रहे हैं कि लायेंगे ।

श्री **विजयसिंह झाला** : लायेंगे कब, अभी रखें ताकि हम सुझावों के बारे में सोचें ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : तब लायेंगे जब बिल पास हो जायगा और बिल पास हो जाने के बाद वह वेस्ट पेपर बास्केट में फेंकने लायक होगी । इसलिये इसे इस समय हाउस में रखना चाहिये । स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में जब इसका हवाला है तो इसको पहले ही सदन की मेज पर रखना चाहिये था ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जिन जमीनों की अवाप्ति की जाय.......

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसका मतलब यह है कि गवर्नमेंट वह रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : मैं उत्तर के समय इस पर प्रकाश डाल दूंगा और मेरे उत्तर देने के बाद आप आवश्यक समझते हैं और उपाध्यक्ष महोदय आदेश देते हैं तो उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि भी सदन की मेज पर रख दूंगा ।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट हमारे पास नहीं है, उसके आधार पर आपको तो जवाब देने का प्रिविलेज मिल जायगा और हमें उस पर अपने सुझाव रखने का और बोलने का प्रिविलेज नहीं मिलेगा...

श्री रामप्रसाद लड्ढ़ा : इस तरह की रिपोर्ट नहीं है । यों तो आये दिन कई मसले गवर्नमेंट के सामने आते हैं तो सरकार कहती है कि इस मामले में रिपोर्ट तैयार करके दी जाय । पचासों मामले ऐसे होते हैं, हर रिपोर्ट सदन में रखना आवश्यक नहीं है । हालांकि

(रामप्रसाद लड्ढा)

यह आवश्यक नहीं है जब मैं रिप्लाई दूंगा तो रखूंगा।

श्री भैरोंसिंह : स्टेटमेंट ऑफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में उस रिपोर्ट का उल्लेख आया है ....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं इन्कार कहां कर रहा हूं, मेरे पास एक ही प्रतिलिपि है, मुझे जवाब देना है, जवाब देने के बाद प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : जवाब देने के बाद नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, गवर्नमेंट की यह टेन्डेन्सी बन गई है कि मेम्बर्स से इस प्रकार के कागजात छिपाने की कोशिश करती है। जब इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में इस रिपोर्ट का हवाला है तो जिस समय सदन में आपने यह बिल रखा उसी समय उस रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखनी चहिये थी। ऐसा नहीं करके आप हमारे अधिकारों पर एन्क्रोचमेंट करना चाहते हैं। इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखवाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में भी इस कमेटी का रेफरेंस दिया गया है, जब यह दिया गया है तो मैं समझता हूँ कि वह रिपोर्ट यहां प्रस्तुत होना ठीक रहता ताकि माननीय सदस्यों को इस विषय में और मालूम पड़ जाता। लेकिन अब क्योंकि यह बिल विचाराधीन लिया जा चुका है तो मैं समझता हूं मन्त्री महोदय संक्षेप में अथवा किसी प्रकार अवगत करावें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं अवगत भी करा दूंगा, पेश भी कर दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : अवगत कराने का प्रश्न नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, वे उस रिपोर्ट को देख कर आये हैं इसलिये उनको प्रिविलेज रहेगा उस रिपोर्ट के आधार पर जवाब देने का और चूंकि वह रिपोर्ट सदन की मेज पर नहीं रखी गई है, इसलिये हमें उस प्रिविलेज से वंचित रखा जायगा। सदन के एक पार्ट को इस प्रिविलेज का लाभ मिल रहा है और हमको यह नहीं मिल रहा है जिसका कि स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में उल्लेख किया है। स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में, जिन धाराओं का संशोधन किया जाता है, उन धाराओं के एक्स्ट्रेक्ट्स दिये जाते हैं, यह व्यवस्था इसलिये की है कि कोई माननीय सदस्य उस पर अपने सुझाव देने से इसलिये महरूम नहीं रह जाय कि ओरिजिनल एक्ट उसके पास नहीं था। जब धाराओं के एक्स्ट्रेक्ट्स लगाये जाते हैं तो जिस डोक्यूमेंट पर यह सारा बिल बेस्ड है, वह डोक्यूमेंट यहां रखना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बेस्ड नहीं है, माननीय सदस्य को गलतफहमी है।

श्री भैरोंसिंह : यह गलतफहमी का सवाल नहीं, आप गलत परम्परा डाल रहे हैं, उसके प्रोटेस्ट में उपाध्यक्ष महोदय से निवेदन कर रहा हूं कि सरकार अपनी इस प्रकार की आदत को दिन पर दिन मजबूत बनाती जा रही है। हमें इस इश्यू पर प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। उस रिपोर्ट की अगर उनके पास एक ही कापी है तो उसको सदन की मेज पर रख दें, उनकी तो पढ़ी हुई ही है।

श्री उपाध्यक्ष : उस रिपोर्ट को ले कर दें, माननीय सदस्य देख लेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सारी फाइल में है, मैं रख दूंगा।

श्री भैरोंसिंह : यहां रख दीजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं रखने से इन्कार नहीं करता।

श्री विजयसिंह झाला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आदेश दिया है कि सदन की मेज पर रखी जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं सदन की मेज पर रख कर वापस ले रहा हूं........

श्री उपाध्यक्ष : आप सदन की मेज पर रख दें।

श्री विजयसिंह झाला : यहां रख दें।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं रखी है।

श्री उपाध्यक्ष : वे निकाल रहे हैं।

श्री विजयसिंह झाला : निकाल कर रख दें, मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पेन्सेशन के बारे में निवेदन कर रहा था कि जो भूमि अवाप्त की जाय उसका कम्पेन्सेशन मार्केट वेल्यू के अनुसार दिया जाना चाहिये। भीलवाड़ा में जो लोगों से जमीनें ली गई उनका कम्पेन्सेशन साठ साठ रुपया, सौ सौ रुपया बीघा के हिसाब से दिया गया जब कि वहां पर जमीनों के तीन तीन हजार रुपया बीघा के भाव हैं। मार्केट वेल्यू के आधार पर कम्पेन्सेशन नहीं देने से लोगों को बड़ा भारी नुकसान होता है। जो उनका लीगल राइट है, जो उनका अधिकार है, उस तरीके से उनको जो पैसा मिलना चाहिये वह नहीं दिया जा कर इस प्रकार नाम मात्र का कम्पेन्सेशन दिया जाता है, वह गलत है।

इस प्रकार कई मामलों में जो जमीनें अवाप्त की गई, उनका मुआवजा या तो अब तक नहीं दिया गया है या दिया गया है तो थोड़ा दिया गया है। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो जमीन अवाप्त की जाय, उसकी रकम का भी निर्धारण करना चाहिये कि किस रेट से किस प्रकार मुआवजा चुकाया जायगा। जो जमीनें अवाप्त की जाती हैं उनके लिये इस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया है कि आवश्यक कार्यों के लिये, पब्लिक इन्ट्रेस्ट के कार्यों के लिये, इनको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है, इनकी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है और इस प्रकार इससे मालूम नहीं होता कि कौनसे आवश्यक कार्य हैं और कौनसे पब्लिक परपज के हैं और इस डेफिनेशन के अभाव में आप कहीं भी इन टर्म्स का उपयोग कर सकते हैं जिनसे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा।

अवार्ड के सम्बन्ध में अवार्ड देने की अवधि ६ महीने से घटा कर ३ महीने में देने की अवधि रखी है, यह खुशी है पर ३ महीने भी ज्यादा हैं। मेरा सुझाव है कि जहां आपने यह ३ महीने का टाइम रखा है वहां १ महीने का ही रखा जाय और इधर

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

से जमीन ले लीजिये और उधर मुआवजा चुक जाय ताकि लोगों को किसी प्रकार का हरेसमेंट नहीं हो। आज जिस प्रकार की मुआवजे की रकम चुकाई जाती है उसमें छः-छः महीने, बारह-बारह महीने लग जाते हैं लोगों को इसके लिये पांव रगड़ने पड़ते हैं, पर रकम नहीं चुकाई जाती। जो उनको देते हैं वह इधर उधर आने जाने में ही, उनका खर्च हो जाता है और लोगों को कोई फायदा नहीं मिलता। इसलिये जो इस प्रकार का डिसिज़न लें, उस पर कृपया विचार करें। मेरा सुझाव है कि एक महिने के अन्दर अवाप्ति का डिसीजन ले लेना चाहिए और जो जमीन आप अवाप्त करें, इधर हांसिल करें, उधर मुआवजा मिल जाय, तभी लोगों को संतोष हो सकेगा। आपने इस प्रकार के भूमि अवाप्त करने के प्रावधान रखे हैं जिनकी वजह से बड़ी कठिनाइयां होंगी। आपने इसमें बाग और दूसरी चीजों को भी अवाप्त करने का प्रावधान रखा है। बाग और उद्यान लगाने में २५–२५, ३०–३० वर्ष लगते हैं तब बाग तैयार होते हैं और आपने जो टेक्नीकल टर्म्स लिखे हैं आवश्यक और पब्लिक परपज तो उस आधार पर बरसों तक महनत करके उस प्रकार उद्यानों को लगाते हैं। वैसे जैसे आपने बताया जो इन्डस्ट्री लोगों को फायदा पहुँचाने वाली नहीं हैं। इस प्रकार से बागों के स्थान पर इंडस्ट्रीज को जमीन दे देते हैं तो परपज़ सर्व नहीं होता। हमारी मंशा है कि यह कृषि भूमि और जो जमीन या मकान अवाप्त करवा कर इंडस्ट्रीज को देना चाहते हैं वह इतना जरूरी नहीं है। इसमें इस प्रकार का प्रावधान दिया गया है कि जिस कंपनी को जमीन दी जाय वह बिना सरकार की स्वीकृति के दूसरी जगह ट्रांसफर न कर सकें। मैं बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ जिनमें हजारों बीघा जमीन सरकार से प्राप्त करके जिस उद्देश्य से प्राप्त की, उसके अन्दर जमीनों से उपयोग नहीं हो रहा है, कई लोगों ने बेच दी हैं, कई जगह इंडस्ट्री के बजाय खेती करने लग गए। लोगों से आप अवाप्त करें और वह इंडस्ट्री न चला कर वे ही लोग खेती के उपयोग में दूसरों को ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रकार के प्रावधान से ऐसे लोगों को अवाप्त करके दें तो कतई ऐसा नहीं होना चाहिए।

कई साल पहले जो जमीन अवाप्त की गई और मुआवजा नहीं दिया गया उनको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से और जिनके खिलाफ लोगों ने अपील की और स्टे आॅर्डर लाए उनमें भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से प्रावधान कर दिया। उन पर इसलिए कानून लागू होगा, तो यह गलत चीज है।

जिन जमीनों पर पहले कानून लागू होता था और पुराने कानून पर अब मुकदमे चल रहे हैं और पुराने कानून के आधार पर मुकदमे लड़ रहे हैं उनको भी इस कानून के तहत रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ठ से लागू करें तो यह उनके साथ अन्याय होगा और ऐसे केसेज जो पहले वाले एक्ट के खिलाफ उन्होंने केसेज लड़े और जो जमीन आपने अवाप्त नहीं करनी चाही तो यह टेक्नीकल शब्द आवश्यक और पब्लिक परपज़ लगा कर उसमें किसी प्रकार का केस आ सकता है, किसी कार्य के लिए दोनों शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे केसेज़ में रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे तो इससे लोगों को कठिनाइयां होंगी।

इसी प्रकार खड़ी हुई फसल वाली भूमि को अवाप्त करने का प्रवाधान लगाया है,

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

यह अनुचित है। जब तक फसल खड़ी हो तब तक ऐसी जमीनों को अवाप्त नहीं करना चाहिए। ऐसी व्यवस्था होने से काश्तकारों को खास तौर से बड़ी कठिनाइयां होंगी। इसलिए जो सुझाव मैंने दिए हैं, आशा है आप इन पर विचार करेंगे और इस संबंध में कुछ न कुछ प्रावधान लाने की व्यवस्था कराएंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत है उसकी कई धाराएं हैं। उनके संबंध में मैं केवल इतना निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ने अवाप्ति के संबंध में जो प्रोसीजर अब तक बना रखा है उसको सिम्पलीफाई करने का प्रयास किया है। जो अभी तक देरी के कारण कई फारमेलिटीज थी उनमें देरी होने के कारण भूमि के अधिकारी इनका क्रय-विक्रय करते थे और सरकार के सामने कई दुविधाएं होती थीं उनको रोकने के लिए सरकार ने प्रयास किया है लेकिन अभी तक जो अनुभव सरकार के सामने आया है इस एक्ट के प्रावधानों के कारण और उस संबंध में नियुक्त अधिकारियों की मनमानी के कारण जो कई कठिनाइयां सामने आई हैं, उनके संबंध में सरकार ने इस बिल में विचार नहीं किया है। आज सरकार किसी भी योजना को लेकर, नीति को लेकर किसी भी भूमि को अवाप्त करने के लिए अखबार में या अन्य साधनों से शाया करती है लेकिन जहां तक भूमि की अवाप्ति का प्रश्न है, गोया सरकार को वह भूमि उसी परपज के लिए चाहिए या नहीं या जो भूमि अवाप्त की जा रही है उससे उस व्यक्ति को कठिनाइयां आएंगी या नहीं, इस पर सरकार ने आज तक विचार नहीं किया।

सरकार के जो अवाप्ति अधिकारी हैं उनकी मर्जी पर निर्भर रहता है कि वे जिस तरह की भूमि को अवाप्त करने जा रहे हैं उसको पब्लिक इन्ट्रेस्ट के लिए प्राप्त करना उचित है या नहीं। जो मुआवजा लैंड एक्वीजीशन अधिकारी निर्धारित करते हैं, किस आधार पर करना चाहिए, कितना मुआवजा मिलना चाहिए, आज जो एक्ट में लेक्यूनाज हैं, सरकार ने इस बिल के द्वारा उन पर विचार नहीं किया है। मैं यहां कुछ इस प्रकार के दृष्टांत रखना चाहूंगा जिनके अन्दर दोनों दृष्टिकोण सामने आते हैं। एक ओर लैंड एक्वीजीशन आफिसर्स एक लैंड को एक्वायर करके मनमाने रूप से लोगों को इतना अच्छा मुआवजा दिया है जो नहीं देना चाहिये और मुआवजा प्राप्त करके वह व्यक्ति मालदार बन गया है। दूसरे प्रकार का भी दृष्टांत आता है जहां पर अधिकारी थे, जमीन को अवाप्त करके कई लोगों को भूमिहीन बना दिया, जब कि सरकार के पास ऑप्शन था कि सरकार उस भूमि को अवाप्त न करके दूसरी भूमि अवाप्त की जा सकती थी लेकिन लैंड एक्वीजीशन अधिकारियों के द्वारा आज अपनी डिस्क्रेशन का इस्तेमाल करते हैं, उस डिस्क्रेशन का इस्तेमाल करते समय हित और अहित का ध्यान उनके सामने नहीं रहता है।

कोटा के अन्दर ग्रेन मण्डी बनाई गई है। इसका बड़ा क्षेत्र है। यह किसी समय तहसील लाडपुरा के अधीन था और जिस समय तहसील लाडपुरा था वहां पर जमीनें

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सर्किल नं. २ में लोगों को एक आना स्क्वायर गज के हिसाब से एलॉट की गई हैं। नजराना लेने का प्रावधान था। नजराना लेकर सरकार भूमि मकानों के लिए एलॉट कर सकती है। आश्चर्य है कि ३०,००० स्क्वायर फीट, ५०,००० हजार स्क्वायर फीट और एक लाख फीट की जमीन कुछ लोगों को जो सरकार के अन्दर हित रखते थे, जिनका सरकार के अन्दर हित था, जिनका दल विशेष सत्ता के अन्दर मौजूद है, ऐसे व्यक्तियों को जमीनें एलॉट कीं। वह आदमी विधान सभा के सदस्य रह चुके हैं। इस सत्र से पूर्व श्री रामेश्वर दयाल सक्सेना, श्री रिखबचन्द धारीवाल। इन्होंने तहसील लाडपुरा में एक आना (स्क्वायर) गज के हिसाब से जमीन प्राप्त की और इसके बाद जब ये लम्बी चौड़ी जमीनें तहसील लाडपुरा में बनाई गई तो कोटा के अन्दर मन्डी बनाने के लिए स्पष्ट रूप से केवल उस क्षेत्र को चुना गया जहां पर उन्होंने जमीनें एक आने गज में ली थीं।

अगर सरकार ने स्क्रुटिनाइज किया होता तो इस क्षेत्र के अलावा दूसरे क्षेत्र की ओर बढ़ सकती थी। वहां मंडी डाल सकती थी लेकिन कुछ चुने हुए लोगों को मुआवजा देना था तो एक आना (स्क्वायर) गज से प्राप्त की हुई भूमि वह सारी की सारी मंडी के लिये अवाप्त की गई। आज तक किसी अधिकारी ने जांच नहीं की कि कोई तहसील लाडपुरा के अन्दर एक आना स्क्वायर गज के हिसाब से जमीन एलॉट की थी, क्या वह एलॉट की जा सकती थी ? लेकिन सर्क्यूलर नं० २ में इस प्रकार का अधिकार तहसील में मौजूद था कि वह जमीन सरकार एलॉट कर सके। इसके बाद सर्क्यूलर नं० २ में संशोधन हुए कि अगर कोई व्यक्ति नजराने पर ली हुई भूमि पर दो साल के अन्दर मकान नहीं बनाएगा तो अपने आप वह जमीन सरकार में वेस्ट होगी।

उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि १९५९–६० में यह जमीन एलॉट हुई थी बल्कि १९५७ में एलॉट की गई थी। १९६०–६२ तक उस जमीन में कोई तामीरात नहीं की गई, लेकिन सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। लैंड एक्वीजिशन ऑफिसर ने भूमि को अवाप्त करने के लिए ऑब्जेक्शन इनवाइट किये, अवार्ड मिल गया। बड़े बड़े नेताओं ने एक आना गज में जमीन एलॉट करायी थी, उनको अवार्ड मिल गया और दस आना, बारह आना और एक रुपया स्क्वायर फुट से पैसा लिया। रामेश्वर दास सक्सेना और रिखबचंद धारीवाल को लैंड एक्वीजिशन ऑफिसर्स ने अवार्ड करवा कर इस भूमि का इस प्रकार पैसा ले लिया। वे पैसे वाले बन गये, चुनाव के लिये पैसा मिल गया, कोटा के अन्दर इमारतें बना लीं। लेकिन यह सिलसिला जारी है। सरकार ने आज तक नहीं बताया कि नजराना जमीन पर लिया जाता है, वह नजराना है या कीमत है। नजराने और कीमत में कोई अन्तर है या नहीं, यह सरकार ने आज तक नहीं बताया। सरकार ने इस पर विचार नहीं किया। तहसील के पावर्स सीज कर लिये। तहसील और म्युनिसिपैलिटी का डिमार्केशन कर दिया। तहसील के मामले में म्युनिसिपैलिटी दखल नहीं देगी और म्युनिसिपैलिटी के एरिया में तहसील दखल नहीं देगी। इम्प्रूव-

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मेंट ट्रस्ट में और तहसील में अलग अलग डिमार्केशन कर दिया। एक दूसरे के मामले में दखल नहीं होगा। उसके बाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में जमीन वेस्ट हो गयी। जो जमीन एक आना गज में बेची गयी उसका इस प्रकार से पैसा बनाया और इन बड़े बड़े लोगों को अवार्ड मिल गया, उसको आज तक देखने वाला कोई नहीं। अपीलें की गई लेकिन उनको अवार्ड दे दिया गया। थोड़े दिन पहले रिखबचंद धारीवाल को अवार्ड मिल गया। जो छोटे छोटे गरीब लोग हैं आज दिन तक उनका पैसा रुका हुआ है, उनके अवार्ड डिर्टमिन नहीं किये हैं और हो गये, तो उनको पैसा नहीं दिया जा रहा है। केवल तहसील लाडपुरा की इस मंडी के लिये भूमि अवाप्त की गई थी, यदि इसका सरकार हिसाब लगाये तो एक करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यदि सरकार मास्टर प्लान बना कर सारी भूमि को अवाप्त करती और तहसील की भूमि बेचना बन्द कर देती तो इस मंडी में एक करोड़ का नुकसान हुआ वह नहीं हुआ होता। लेकिन जानबूझ कर तहसील ने और तहसीलदार से बड़े बड़े नेताओं ने मिल कर एक आना गज में मिली हुई जमीन को दस-दस आना, बारह बारह-आना और रुपया-रुपया स्क्वायर फुट के हिसाब से अवार्ड प्राप्त करके, येन केन प्रकारेण उस क्षेत्र में उस भूमि को अधिकारियों से मिल कर पैसा बना लिया। राजस्थान के उन छोटे छोटे लोगों को हड़प जाना चाहते हैं लैंड एक्वीजिशन ऑफिसर को अधिकार देकर।

उपाध्यक्षजी, इसके अलावा कोटा क्षेत्र में तहसील लाडपुरा में चम्बल से पल्ले पार चम्बल सोइल रिसर्च सेन्टर इस प्रकार से एक केन्द्र स्थापित किया गया है। इसके लिये सरकार ने लगभग ४००–५०० बीघा भूमि अवाप्त करने के लिये नोटिस जारी किये। जब नोटिसेज शाया किये गये तो चालीस पचास काश्तकारों ने, केवल मात्र जिनके पास यह ही जमीन है, जिस पर वे पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं उन्होंने सरकार के सामने, लैंड एक्वीजिशन ऑफिसर के सामने इस प्रकार का एतराज पेश किया कि हम भूमिहीन हैं, रोटी का यही एक हमारे पास जरिया है इस भूमि को अवाप्त न की जाय बल्कि उन्होंने बताया कि सरकार इस केन्द्र के लिये जमीन अवाप्त करना चाहती है वह पश्चिम की ओर न करके पूर्व की ओर कर ले। जिस जगह अवाप्त की जाने वाली है उस जगह पहले ही प्रोजनी केन्द्र एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का बना हुआ है। उसके पश्चिम की ओर यह भूमि अवाप्त की गई है। उस भूमि पर ५० काश्तकार हैं और उन्होंने कहा कि पश्चिम में अवाप्त न की जाय बल्कि पूर्व में की जाय। वहां पर ७००–८०० बीघा जमीन एक ही खातेदार की है और उसके विषय में झगड़े चल रहे हैं कि वह जमीन उस खातेदार की है या जो कब्जा किये हुए हैं वे खातेदार हैं।

एक ओर यह स्थिति है और दूसरी तरफ सरकार के सारे के सारे लोग उस बड़े खातेदार से मिले हुए हैं, उनकी निगाह उस भूमि पर अवाप्ति की है और इस पर नहीं है, जब कि उस भूमि पर पचास परिवार पेट भरते हैं। ऑब्जेक्शन किया लेकिन टर्न डाउन कर दिया। लैंड एक्वीजिशन ऑफिसर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

ने इसको महसूस नहीं किया। एक ओर पचास लोग बेकार हो जावेंगे और दूसरी ओर एक ही खातेदार की जमीन अवाप्त कर ली गई तो सरकार को मुआवजा अभी नहीं देना पड़ेगा। वास्तविक हकदार आपस में लड़ेंगे तो डिसाइड हो जावेगा कि कौन इसका मुआवजा लेने का अधिकारी है। उस रोज यह पैसा देना पड़ेगा। इसलिये कुछ दिन के लिये सरकार का पैसा भी बच जावेगा लेकिन आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने लैंड एक्वीजिशन करते समय यह ध्यान नहीं दिया कि कम से कम पचास परिवार को बेदखली से रोका जाय। जब लाल बहादुरजी ने नारा दिया था जय किसान का उस समय अधिक अन्न पैदा करने की बात थी। उस दिन उस जमीन में ज्वार के इतने बड़े बड़े पौधे मुझ से भी ऊंचे थे, वहां खड़े थे, आपके अधिकारियों ने यह कोशिश की कि उस हरी ज्वार को काट डाला जाय, उसको बेकार कर दिया जाय और सात-आठ बीघा में तो ज्वार काट भी दी। जब वे लोग मेरे पास आये। मैं बड़े बड़े अधिकारियों के पास डेपुटेशन लेकर, सारे किसानों को लेकर गया, कोटा कलेक्टर के पास गया, डिप्टी डायरेक्टर के पास गया, जोइन्ट डाइरेक्टर के पास गया उन भीड़ियों को लेकर गया। जब इस प्रकार हुआ तो उनको फसल काटने से रोका गया। फिर आपकी मनमानी के कारण, आपके अधिकारियों के कारण वे पचास परिवार बेकार हो गये। उनके पास आज एक बिस्वा जमीन नहीं है। जिस जमीन में जो खेती करते थे, जो देश के राजा थे उनको आज रुपया-सवा रुपया, डेढ रुपया में मजदूरी करनी पड़ रही है। क्या इस प्रकार के अधिकार के साथ लैंड एक्वीजिशन ऑफिसर नियुक्त किया ? उनके सामने विकल्प मौजूद है। एक तरफ एक आदमी के पास इतनी जमीन है और जो अवाप्त की जा सकती है। उसकी जमीन इसलिये अवाप्त नहीं की जा सकती कि वह लखपति है, पैसे वाला है। लेकिन दूसरी तरफ जो गरीब किसान है, पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं उनकी जमीन को अवाप्त कर लिया। यह दूसरा दृष्टान्त है जहां पर एक्वीजीशन के नाम से लोगों के साक्ष पक्षपात करते हैं, जिनसे न्याय मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल के प्रश्न को लेकर अनेक बार सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया कि नहरों के लिए जिन लोगों की जमीन को अवाप्त किया गया उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। अब सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जून तक मिल जायगा उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिन काश्तकारों की जमीन को आपके लैंड एक्वीजीशन अधिकारी ने अवाप्त किया उनको जब मुआवजा देने का सवाल आता है तो उनसे आप बेटरमेन्ट लेवी का पैसा वसूल करके बाकी का मुआवजा देंगे। वे लोग बेटरमेंट लेवी देने के लिये तैयार नहीं। वे इस मामले में सरकार से पूछना चाहते हैं। आज आप उनकी मजबूरी का फायदा उठा कर उनके मुआवजे में से बेटरमेंट लेवी लेना चाहें यह उनके साथ अन्याय है। जहां तक बेटरमेंट लेवी लेने का सवाल है वह अलग है। आज सरकार जो मुआवजा देने जा रही है उसमें से बेटरमेंट लेवी वसूल कर रही है यह उचित नहीं है।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

मैं एक ज्वलन्त केस आपके सामने रख रहा हूँ ग्राम तालेड़ा का, पंचायत तालेड़ा का, तहसील बून्दी का। वहां पर ग्रेन मंडी बनायी जा रही है उसके लिये जिस जमीन को लेने जा रहे हैं उसके अन्दर पचास काश्त कार हैं जिनकी जमीन मन्डी के लिए ली जा रही है। उनको एक प्रकार से बेकार किया जा रहा है, उससे पचास खातेदार महरूम होने वाले हैं ग्राम तालेड़ा में।

आप वहां पर मन्डी बनावें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। किसान की गाड़ियां आवें, वहां उनको मुनाफा हो, इसमें किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन इसके कारण पचास खातेदारों की जमीन हड़पने का षड़यन्त्र किया जा रहा है। उसके एवज में वहां के लोगों ने कलेक्टर को जो लैंड एक्वीजीशन अधिकारी हैं उनको सुझाया है आप जो मंडी के लिये खेती की जमीन अवाप्त कर रहे हैं उसके बजाय पंचायत समिति तालेड़ा के पीछे चार सौ-पाँच सौ बीघा जमीन बेकार पड़ी हुई है, वहां पर कुछ गड्ढे पड़े हुए हैं, उनको कुछ हजार रुपयों में ठीक करवाया जा सकता है और उस जगह ग्रेन मन्डी लगा सकते हैं लेकिन लैंड एक्वीजीशन अधिकारी और उससे सम्बन्धित अधिकारी उस स्थान पर जाकर ग्रेन मन्डी बनाने के लिये तैयार नहीं हैं जो बेकार पड़ी है।

एक तरफ पचास काश्तकारों को उजाड़ कर ग्रेन मन्डी बनाना चाहते हैं, दूसरी तरफ पांच सौ बीघा जमीन जो खराब पड़ी है उस जगह मन्डी बनाना नहीं चाहते। ग्राम तालेड़ा में पचास खातेदारों को बेरोजगार करने का षड़यन्त्र किया जा रहा है केवल इसलिये कि पंचायत समिति के प्रधान श्री रामनिवास की जमीन बिल्कुल ग्रेन मंडी के सामने आने वाली है। उसका नतीजा क्या होगा कि पचास खातेदार एक तरफ बेरोजगार होंगे उस जगह पर मन्डी बना देने से सड़क के उस पार प्रधान का खेत है उस खेत को आबादी में कनवर्ट कर दिया जायगा, वहां दुकानें बनवायी जायेंगी और एक एक दुकान से २०० रुपया माहवार किराया कमाया जायगा। यह दृष्टिकोण सामने रखकर राजनैतिक आधार पर पचास खातेदारों को उजाड़ा जा रहा है और प्रधान के फायदे के लिये वहां मन्डी बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

एक किस्सा और बताना चाहता हूं कि लैंड एक्वीजीशन में कितनी धांधलियां होती हैं। कोटा के श्री नोट श्री वैद्य कृष्ण गोपाल जी का एक किस्सा अपने ही ढंग का है। उन्होंने तहसील लाडपुरा में प्रार्थना पत्र दिया कि मैं कोटा के अन्दर एक रसायन शाला का निर्माण करना चाहता हूं। सारे जिले की वैद्यों की संस्था बनी हुई है वे लेबोरेटरी आयुर्वेद की बनाना चाहते हैं अत उसके लिये उसको दस बीघा जमीन दी जाय।

इसी प्रकार इन्हीं वैद्य कृष्णगोपालजी ने जो कांग्रेस के सदस्य हैं एक प्रार्थना पत्र और दिया कि मैं एक धनाढ्य ब्राह्मण हूं इसलिये ब्राह्मण बच्चों के लिये छात्रावास बनाना चाहता हूं अतः उसके लिये पचास बीघा जमीन दी जाय। इस तरह से १५ बीघा जमीन के लिए प्रार्थना पत्र तहसील लाडपुरा के अन्दर दिया। तहसीलदार ने

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

सिफारिश करके नजराना कायम करने के लिये दोनों प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास फोरवर्ड कर दिये । उसको दिये हुए लगभग एक साल हो गया कोई जवाब नहीं आया । वहां के तहसीलदार ने कृष्णगोपाल जी से नया प्रार्थना पत्र देने के लिये कहा । पहली एप्लीकेशन कलेक्टर के पास पेन्डिंग होते हुए दूसरा प्रार्थना पत्र १५ बीघा जमीन के लिये तहसीलदार को दे दिया और तहसीलदार ने उनसे नजराना लेकर भूमि का कब्जा दे दिया । जहां इन्तकाल दर्ज होता है वहां पर कोई परपज नहीं लिखा जाता है केवल यह लिखा होता है कि खातेदार वैद्य कृष्णगोपाल को अकेले को १५ बीघा भूमि अकेले के नाम से अलॉट हो जाती है । थोड़े समय के बाद कलेक्टर के यहां से लिखा हुआ आता है कि जो प्रार्थना-पत्र आपने रिकमंड करके भेजा है उसको नामंजूर किया जाता है इनको जमीन एलॉट नहीं की जा सकती । तहसीलदार के पास वे कागजात आकर दब जाते हैं इन्तकाल के अन्दर वैद्य कृष्णगोपाल १५ बीघा-जमीन का मालिक चला आता है । अब सरकार को आवश्यकता हुई कि वहां पर मकान बनाये, सरकार ने कार्यवाही की । उस सारी जमीन के लिए कृष्णगोपाल कहते हैं कि मैं इसका मालिक हूं । सरकार इसको लेना चाहती है तो मुझे मुआवजा दिया जाय । कोटा की अदालत के अन्दर वह मुकदमा चल रहा है उसका आठ लाख मुआवजा देना पड़ा । आपके लैन्ड एक्वीजीशन आफिसर क्या करते हैं, दूसरे विभाग आपके क्या करते हैं १५ बीघा का नजराना एक आना स्क्वायर गज के हिसाब से देकर आपसे आठ लाख रुपया मांग रहा है । कोई कार्यवाही करने वाला नहीं । आप और आपका विभाग राजस्थान के कोष को खा जाना चाहते हैं । छोटी जनता को गुमराह करके बड़े बड़े लोगों को बराबर संरक्षण दिये जा रहे हैं इसीलिये लैन्ड एक्वीजीशन एक्ट के तहत अधिकार लेना चाहते हैं । इसमें अमेन्डमेन्ट करके यह अधिकार लेना चाहते हैं एक ओर छोटे किसानों के इन्ट्रेस्ट की चिन्ता नहीं, उनको बेरोजगार बनाकर दर दर को भिखारी बनाना चाहते हैं और जागीरदार जिनके सफेद टोपी लगी हुई है जो इस कांग्रेसी शासन के संरक्षक हैं उनको पनपाना चाहते हैं ।

इसी प्रकार का एक खण्ड गावडी का भी हमारे सामने आया वहां के सरपंच ने मिलकर कई लोगों को जमीन दे डाली । आज तक उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई । लेन्ड एक्वीजीशन डिपार्टमेंट आपका सारा का सारा क्या करता है? आज उसके खिलाफ क्रिमीनल केस पेन्डिंग पड़ा हुआ है जिन जमीनों के फरजी पट्टे दे दिये गये उनका क्या हुआ ? बड़े लोग भी नोट भी वाले उसमें इनवोल्व्ड हैं जमीन को दुबारा बेचा जा रहा है सरकार की ओर से कोई रोक लगाने वाला नहीं ।

बडे बड़े शहरों का डवलपमेंट हो उसके लिये आप मास्टर प्लान क्यों नहीं तैयार करवाते हैं ? आप क्यों नहीं बनाते इसका कारण आपकी पार्टी के सदस्य जानते हैं, प्रभावशाली व्यक्ति जानते हैं अमुक शहर का डवलपमेन्ट किस प्रकार होगा । अमुक शहर में इन्डस्ट्रीज किस तरफ लगेगी , आगे शहर का प्रसार किधर होगा । साधारण व्यक्ति इन बातों को नहीं जानते । इस

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

लिये बड़े बड़े व्यक्ति जमीन को मामूली सी कीमत पर खरीद लेते हैं और समय आने पर उसका अच्छा मुआवजा लेते हैं और बेचते हैं तो भी अच्छे पैसे मिलते हैं। तो यह आपका लेकुना है इसे आप देखें। आप इस बिल को लेकर आये हैं, हम स्वागत करते हैं इसका। पर इन सारी समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करने के लिये लैंड एक्वीजीशन ऑफिसर के पॉवर और डिस्क्रेशनरी पॉवर को रोकने के लिये इसे आप सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दें ताकि वहां इस पर इन सारे पहलुओं से गम्भीरता से विचार करके इसे पारित कियाँ जा सके।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी इस पर बोलने का विचार है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका प्रस्ताव तो नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रस्ताव तो नहीं है, पर आज्ञा हो तो इस पर बोलना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव वाले हैं वे पहले बोल लें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जैसी आपकी इच्छा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिप्रसाद शर्मा !

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, भूमि अवाप्ति को लेकर विधान सभा में हमने समय समय पर किसानों के साथ होने वाली कठिनाइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, चम्बल प्रोजेक्ट एरिया को बने पांच–सात वर्ष हो गये। कानून कायदों को बलाए ताक रख कर वहां के किसानों के साथ ज्यादती की गई है।

श्री उपाध्यक्ष : थोड़ा समय का ध्यान रक्खें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : दफा चार और छः के अन्तर्गत उनको नोटिस नहीं दिये। प्रत्यक्ष देखा गया है कि किसी प्रकार की सूचना दिये बगैर, वहां से नहरें हों, सड़कें हों निकालने के लिये सरकार के आदमियों ने उनके खड़े खेत खोद डाले हैं। फसलों को नष्ट भ्रष्ट कर डाला है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब आपके पास इस तरह के कायदे-कानून हैं तो इसके क्या कारण हैं। और इसके बाद भी पांच–पांच वर्षों तक बार-बार सदन में कहने के बाद भी मुआवजा नहीं मिल रहा है। यह ठीक है कि बहुत कुछ कहने के बाद आज सरकार मुआवजे की तैयारी कर रही है। पर जैसा मेरे साथी ने कहा कि आप उसी में से बैटरमेन्ट लेवी लेने की रकम काट रहे हैं।

जितने लोग मुआवजा लेने गये उनसे आपके अधिकारियों ने कहा कि वे इस मुआवजे के पैसे में से बैटरमेन्ट लेवी की रकम काटेंगे। किसानों ने वह रुपया नहीं लिया। वापिस चले गये। आज इस बात को लेकर उधर के किसानों में भारी असन्तोष है। आपने एक तरफ तो बर्षों तक हैरान किया, उनकी खड़ी फसल काट डाली,

Page No. 89

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

बर्षों बाद मुग्रावजा देने लगे तो बैटरमेन्ट लेवी का पैसा ग्राप उसमें से भी काटने लगे। ऐसा क्यों ?

किसानों से १२५) बीघा में ग्रापने जमीनें ग्रवाप्त कीं ग्रौर जो ट्रैसपासर्स को ग्राप दे रहे हैं तो उनसे २५०) रुपया बीघा की रेट से वही जमीनों का वसूल करते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि यह दुरंगी नीति ग्रापकी किसानों के साथ क्यों है ?

इसी प्रकार बड़ी बड़ी कम्पिनयों को ग्रापने जमीनें दीं ग्रौर उनकी ग्रावश्यकताग्रों को मानकर एक्वायर करना चाहते है। इसमें भी गरीबों के साथ ज्यादती होती है। उद्योगपति ग्रनावश्यक रूप से ग्रपनी ग्रावश्यकताऐं बता कर जमीनें एक्वायर करने की तैयारी करते हैं। लाखेरी का तो प्रत्यक्ष ग्रनुभव है मुझे। कम्पनी ने एक लम्बे-चौड़े ग्राबाद एरिया को, जिसमें सिनेमा भी है, एक्वायर करना चाहा यह कह कर कि उसे मार्शल यार्ड उस जगह बनवाना है, या मिट्टी कोयले का स्टॉक करना है। काफी कार्यवाही उस पर चली। भूतपूर्व उद्योग मंत्री, श्री धारीवालजी उनके वकील थे। मामला चलता रहा। मुझे खुशी है कि डिप्टी मिनिस्टर मौजूदा श्री रामप्रसादजी लड्ढा के सामने जब वह केस ग्राया ग्रौर मौका देखने गये तो वास्तव में कम्पनी की बात को गलत मान कर उनकी एक्वीजीशन की मांग को नामन्जूर कर दिया। उन्होंने भी साफ देखा कि उसके पास ही खाली जमीन इसी काम के लिये ली जा सकती थी। पर वह नहीं ली जाकर ग्राबाद जमीन को लेना चाह रहे थे। यदि मन्त्री महोदय सही दृष्टिकोण नहीं ग्रपनाते तो बहुत लोग बरबाद होने वाले थे। तो इस तरह से इस कानून का दुरुपयोग होने की बहुत सम्भावनाएं हैं। इनको देखना चाहिये।

इसी प्रकार कापरेरा मण्डी के वास्ते कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कापरेरा में भी जमीन के केस चल रहे हैं। जहां जहां मण्डी कमेटियां बनाई गई हैं ग्रौर भूमि उनके लिये ग्रवाप्त की गई है उनमें एकान्त रूप से लिमिटेड ग्रादमियों को ग्रौर खास करके कांग्रेसी ग्रादमियों को मण्डी कमेटियों में सरकार ने रखा है। उस सेक्टर के एम. एल. ए. मौजूद हैं, फिर क्या कारण है कि उनको इन मण्डी कमेटियों से ग्रलग रखा गया है।

तो जितने भी ग्राप इस तरह के कानून-कायदे, नियम बनावें एक बात का ध्यान रखें कि गरीबों के गले न काटे जावें। ग्रौर खास तौर से भूमि ग्रवाप्त ग्रधिकारी की मनमानी ग्रौर लापरवाही के कारण प्रोजेक्ट एरिया में काफी लोगों में ग्रसन्तोष है।

ग्राज भी कहीं माईनर निकाल कर नहरें निकाल कर खड़े के खड़े खेत बरबाद कर देते हैं ग्रौर मुग्रावजा भी नहीं देते। न नोटिस ही देते हैं।

सीपेज से जमीन बरबाद हुई है। पानी भर रहा है वाटर लागिंग के कारण भूमि ग्रवाप्त ग्रधिकारी की यह ड्यूटी हो जाती है कि उनको उसका मुग्रावजा पूरा पूरा दिलावे।

सार्वजनिक परपज के बारे में धाराएं ग्रापने इसमें रखी हैं। पर मैं ग्रापको

Page No. 90

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

बताना चाहता हूं कि लाखेरी की नगर पालिका ने एक ऐसी जमीन को एक्वायर करना चाहा जिसमें बच्चों के लिए पार्क बनाने की स्कीम थी। जब कम्पनी वहां से रेल्वे लाइन निकालना चाहती थी तो १००) में एक जमीन एक किसान से एक्वायर की गई। आज खाली पड़ी है वह जमीन। कम्पनी के किसी काम में नहीं आती। नगर पालिका ने उस जमीन के अन्दर बच्चों के पार्क हेतु एक्वायर करने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा। कलेक्टर से निवेदन किया। भूमि अवाप्त अधिकारी से निवेदन किया। पर किसी ने ध्यान नहीं दिया।

नेहरूजी के नाम पर पार्क बनाने के लिये बगीचे के पास लगे हुए एक खेत के बारे में कार्यवाही की गई। म्यूनिसिपल बोर्ड ने प्रस्ताव पास किया। पर अवाप्ति अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो सार्वजनिक परपज के लिये जमीन लेने का सवाल नगरपालिका भी उठा सकती है। तो ऐसे सार्वजनिक कामों के लिये तो ढिलाई बरती जाती है, पर पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के साथ मिल कर, यह काम की है या नहीं जमीन, उसका सदुपयोग होगा या दुरुपयोग इसका कोई ध्यान न रखते हुए भी तुरन्त वहां अवाप्ति करने पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से किया तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है कानून का। तो जो कुछ भी आप करें बहुत सोच समझ कर करें। इसलिये मैंने निवेदन किया है कि इसे जनमत जानने के लिए भेज दिया जावे तो काफी सुझाव अच्छे अच्छे आपको इस पर मिल सकते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तो नहीं था, पर मैं आभारी हूँ आपका कि आपने मुझे कुछ कहने का समय दिया।

यह भूमि अवाप्ति संशोधन वैधकरण विधेयक एक महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं समझता हूँ कि जो मौजूदा कानून है जो प्रचलित कानून, प्रिवेलिंग लॉ है उसके क्षेत्र को वाइडन, विस्तृत करने के लिए यह विधेयक सरकार के द्वारा सदन के समक्ष लाया गया है। इसमें कई एक बातें ऐसी हैं कि जिनसे मैं सहमत नहीं हूं। और मै समझता हूँ कि इस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे ताकि इस परगम्भीरतापूर्वक एक बार और विचार हो सके।

यह निर्विवाद बात है कि राज्य की अमुक स्थितियों में जनहित के लिए सम्पत्ति अवाप्ति का अधिकार होना चाहिये। यह एक साधारण नार्मल चीज है।

पर जब मैंने इस विधेयक को देखा तो मेरी यह धारणा बनी कि सरकार आंखें मींच कर अत्यधिक अधिकार, इतने पॉवर, इस के द्वारा अपने लिए बटोर लेना चाहती है कि जो मेरे ख्याल से एक जनतन्त्रात्मक प्रणाली के द्वारा स्थापित सरकार के लिये न तो सम्माननीय है, और न हितकर ही है।

अब सार्वजनिक क्षेत्र के अन्दर, उदाहरणार्थ पब्लिक सेक्टर में स्थापित होने वाले जो उद्योग हैं, जो कारखाने है, जो कम्पनीज हैं उनके लिए अगर सरकार भूमि अवाप्त करेगी तो उसके अन्दर बगीचे तक

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

भी ले लिए गए हैं, एन्क्लोजर्स तक उसके अन्दर शुमार कर लिए गए हैं। यह मैं नहीं कहता कि आपको ऐसा करने के अधिकार नहीं होने चाहिए। खास-खास शक्ल में यह अधिकार होना एक नई बात नहीं है, लेकिन उसके साथ-साथ एन्क्लोजर्स हैं, बगीचे हैं यह बड़ी बहुमूल्य प्रापर्टीज की श्रेणी के अन्दर आते हैं और मेरे ख्याल में इनको साधारणतः सरकार छीन ले, अवाप्त कर ले इसके साथ में अपनी सहमति प्रकट नहीं कर सकता। अगर सरकार भूमि या सम्पत्ति अवाप्त करने के लिए अत्यधिक अधिकार तक हस्तगत करना चाहती है तो मेरे ख्याल में देश में स्थिरता नहीं रहेगी और सरकार का बतीरा जो हम देखते आये हैं उसके अनुसार भी हम इसी निर्णय पर पहुँचते हैं कि यह सरकार एक विन्डिक्टिव सरकार है। बदले की भावना सम्पत्ति लेकर के किसी भी नागरिक का अहित कर सकती है।

आज भी हमारे देश के अन्दर प्रचलित उदाहरण हैं जिसके अन्दर विरोधियों को मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन घर के अन्दर घसिया पर पुलिस के द्वारा शिकार बनाया जाता है, सात–सात और आठ-आठ गोलियां लगा कर के उनको मार दिया जाता है। ऐसी स्थिति में मैं तो हमेशा इस चीज की निन्दा करता रहूंगा कि सरकार अत्यधिक अधिकार लेकर मनमान करे तो मेरे ख्याल में हम हमारे पुनीत कर्तव्य को विरोधी पक्ष के नाते अदा नहीं करते अगर। सरकार को हम सुझाव नहीं देते, सरकार पर अंकुश नहीं लगाते इस सम्बन्ध में कि अत्यधिक अधिकार जो आप प्राप्त करने जा रहे हैं वह अच्छी प्रक्रिया नहीं है, वह बुरी प्रक्रिया है, निन्दनीय प्रक्रिया है और उसका हम विरोध अवश्य करेंगे। जो प्रावधान, उपाध्यक्ष महोदय, अधिकारी नियुक्त करके और जो किसी भी सम्पत्ति में प्रविष्ट करने के सम्बन्ध में किया गया है उसके लिए भी मैं समझता हूं कि यह एक ऐसी चीज है कि जिसको मैं आलोचनात्मक दृष्टि से देखता हूं और यह नागरिक अधिकारों का मेरे ख्याल में एक तरह से हनन भी है। मुआवजे की जो व्यवस्था की गई है वह भी मेरे ख्याल से खामियों से भरपूर है और भरपूर इस कारण है कि ऐसे जिस व्यक्ति की सम्पत्ति अवाप्त की जा रही है और अधिकारी जो मुआवजा तय करता है उसके बीच में अगर मत-मतान्तर है तो वह डिस्प्यूट, वह फिसाद, वह समस्या केवल मात्र एक कलेक्टर के सुपुर्द की जायेगी और कलेक्टर का जो भी इसके ऊपर निर्णय होगा वह आखिरी निर्णय होगा। मैं समझता हूँ कि यह फण्डामेन्टल राइट्स के भी विपरीत है। यह एक अनजस्टीफाएबिलिटी की पराकाष्ठा है, जो जस्टीफाएबल इश्यू है उसको भी आप अदालत के पर्व्यू के बाहर निकाल करके नासाबिते अदालत ऐसी समस्या को करार देते हैं, तो यह फण्डामेन्टल राइट्स की अवहेलना करेंगे और अगर मैं कहूँ कि यह एक लीगेलाइज्ड डेकोइटी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राजस्थान सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूँगा कि कुछ ही दिन पूर्व मेरी पार्टी ने तो घोर विरोध किया, हमारे भारतीय संविधान के संशोधन के अन्तर्गत जो भी प्रावधान सरकार लाई थी उसके ऊपर हमारा विरोध हुआ। यह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मामला सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया और सिलेक्ट कमेटी में रहने के पश्चात् १७ वां संशोधन और यह संशोधन मेरे ख्याल में इसकी रीति और नीति मेन फण्डामेन्टल, चीफ कैरेक्टरस्टिक्स विभिन्न या जुदा बेसिकली हो, ऐसा मैं नहीं समझता। ऐसी स्थिति में १७ वें संशोधन के अन्दर जो सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा अवाप्त की जाये तो उसकी भी जैसी आम देशों के अन्दर कई जनतन्त्रीय पद्धति पर शासित देश हैं वहां पर जो पद्धति है कि compensation should be on market value उसको बाजार भाव की कीमत के द्वारा अगर आप कम्पेन्सेशन देते हैं तो ठीक है और इस बारे में मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि १७ वें संशोधन के अन्दर जो भी मुआवजा देने का प्रावधान है उसके अनुसार अगर आप इस विधेयक में भी मुआवजे का प्रावधान करेंगे तो मेरे ख्याल में यह सेन्ट्रल एक्ट के रिपग्नेन्ट होगा नहीं, उसके अनुसार, नहीं तो मुझे यह अन्देशा है कि सेन्ट्रली इनेक्टमेंट के यह रिपग्नेन्ट होगा और सम्भवतः to the extent of repugnency it might the declared null and void. इसमें मुझे यह भी अन्देशा है कि आपकी जो यह व्यवस्था है। यह कानूनी रूप से भी अनुचित और अवैध है।

उपाध्यक्ष महोदय, जो इस विधेयक के अन्दर पब्लिक सेक्टर (सार्वजनिक क्षेत्र) और निजी क्षेत्र (प्राइवेट सेक्टर) के अन्दर भी डिस्क्रिमिनेशन जो बरती गई है वह भी मेरे ख्याल से एक ऐसी चीज है कि जिसके द्वारा मुझे यह आशंका है कि सरकार कोई चीज नेशनलाइज करना चाहती है वह सुचारु रूप से नेशनलाइज नहीं करती। अगर सुचारु रूप से नेशनलाइज करे तो मैं मानने के लिए तैयार हूं कि नेशनलाइजेशन जनता के हित में हो, लेकिन आपाधापी करके दुगुना और तिगुना खर्च करके तथाकथित नेशनलाइजेशन कागजों के ऊपर हुआ और उससे दुर्व्यवस्था बढ़ी, लोगों का उत्पीड़न बढ़ा, राजकोष के अन्दर खर्चा भी बढ़ा तो वह मेरे ख्याल में कोई नेशनलाइजेशन नहीं है, वह तो मेरे ख्याल में आपकी हठधर्मी है। तो इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लिए आपने इस बारे में प्रावधान नहीं किया और पब्लिक सेक्टर के व्यवसाय के लिए किया है वह डिस्क्रिमिनेटरी होने के कारण पब्लिक सेक्टर के लिए जो भी आपने इस संबंध में प्रावधान रखा है वह अनुचित है और उसको आप रद्द कर दें तो उचित होगा। इसमें भी जो सरकार ने अधिकार प्राप्त करने की चेष्टा की है उसकी कोई सीमा नहीं है। बिना सीमा के अधिकार सरकार जब कोई भी प्राप्त करती है तो वह जनतांत्रिक सिद्धान्त को प्रतिपादित करने वाली सरकार मैं नहीं मानता। वह एक प्रकार का डिक्टेटोरियल है और एक तरह से अधिनायकवादी प्रवृत्ति सरकार की साबित होती है। इस विधेयक के अन्दर जहां तक कि कम्पेन्सेशन का संबंध है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि ३ महीने के अन्दर ही मुआवजा तय कर दिया जाये, बजाय ६ महीने के। तो जहां तक कि कागजों के अन्दर यह प्रावधान रखा गया है मैं समझता हूं कि यह ठीक है किन्तु क्या सरकार इसको कार्य रूप में

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

परिणित कर सकेगी। मुझे इस सम्बन्ध में भी बहुत आशंका है। मेरा यह अनुभव है और बार बार सदन के अन्दर यही चर्चा आती है, माननीय सदस्य भी अभी कहने वाले थे उनमें दो के भाषण सुने, वे भी यही बात कह चुके हैं, मैं तो इस बात को दूसरे रूप में दोहराऊंगा, बात तो एक की एक ही है। आप अनुभव करेंगे कि जमीन और सड़कों के अन्दर जो जमीन दबती हैं, तालाबों के अन्दर जो जमीनें दबती हैं, भवन निर्माण के अन्दर जमीनें दबती हैं, उपाध्यक्ष महोदय, दस–दस साल हो गए उनको एक कौड़ी भी नहीं मिली है, गरीबों को, बेचारों को कम्पेन्सेशन या मुआवजा नहीं मिलता है। मैं तो समझता हूं कि अमीर जो हैं वे तो इसके अन्दर नहीं आयेंगे, वह तो रिश्वत देकर, पैसे वैसे देकर किसी तरह से बच जायेंगे लेकिन जो बेचारे मेरे जिले के आदिवासी लोग हैं, उनकी जो दुर्गति हुई है वह मैं ही जानता हूं कि उनकी किस तरह की हालत हुई है। उनका सर्वस्व अपहरण कर लिया गया है इस निष्ठुर सरकार के द्वारा और कहते हैं कि मुआवजा देंगे, देंगे, अरे बाबा आखिर कब दोगे। जब वे मर जायेंगे तब दोगे........

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : यह सरकार मर जायेगी तब देंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सरकार मरे तो भी पिण्ड छूटे। यह मरती भी नहीं है और माचा भी नहीं छोड़ती है। मैं और भी निवेदन करूं कि आपके आदिवासी क्षेत्रों के अन्दर क्या हो रहा है। आपकी तरफ बैठने वाले आदिवासी मेम्बर हैं वे तो कुछ कहेंगे नहीं, क्योंकि उनके मुंह पर सवा मन का ताला लगा हुआ है आपका व्हिप है। लोगों के घर, लोगों के खेत जंगलात की हदबन्दी में ले लिए गए हैं और वर्षों से हदबन्दी कर दी गई है, जंजीरें खींच कर हदबन्दी लगा दी है लेकिन उनको, बेचारों को कोई मुआवजा किसी तरह का नहीं दिया गया है। यहां पर बार बार कहा जाता है, मंत्री महोदयों को लिखा जाता है लेकिन उसकी दाद फरियाद सुनने वाला नहीं है। मैं इसके बारे में एक उदाहरण दूंगा। कोई दो सौ, ढाई सौ एकड़ जमीन डूंगरपुर के पास पुलिस स्टेशन के लिए, पुलिस की कवायद परेड कराने के लिए सम्पत्ति अवाप्त की गई। उसमें बेचारे एक पटेल और एक बावसार की जमीन आ गई। माननीय मथुरादासजी माथुर जो उस समय गृह मंत्री थे मैंने उनको चिट्ठी लिखी, एक बार ही नहीं दो बार चिट्ठी लिखी और दोनों ही बार उन्होंने जवाब दिया कि शीघ्रातिशीघ्र मुआवजा देने की व्यवस्था की जाएगी और अभी तक वह मामला चल रहा है, अभी तक उसको रगड़ा जा रहा है। इसमें आश्चर्य की बात तो यह है कि बावसार और पटेल जो घर के अन्दर बैठे हुए हैं, घर के आंगन में बैठे हुए हैं वे वे तो बेकार बैठे हैं और उनके खेत के अन्दर मक्का की खेती करके पुलिस भुट्टे खा रही है। उनके जो बपौती के खेत थे उनको कुछ नहीं मिल रहा है। इस तरह से उनको विस्थापित कर दिया गया है, यह पराकाष्ठा है, आपको मानवीय दृष्टिकोण से सोचना चाहिए और सरकार को इस सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिए। भला आखिरकार उन लोगों का सर्वस्व छीन लेते हैं तो उनको they should not be thrown on the

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

rocks. उनको आप बिल्कुल शरणार्थियों की माफिक कर देते हैं। फिर अगर आप उनको पन्द्रह–बीस गुना लगान का मुआवजा देंगे तो वह भी एक तरह का आंसू पोछने का सवाल ही होगा। उनका जीवन ही खत्म हो गया। आप जिसकी जमीन लें, उसको कम से कम आधी भी जमीन दें तो वह जी तो सके। लेकिन आपकी इस प्रक्रिया के द्वारा तो ख्वामख्वामा उन लोगों का मरण हो जाएगा।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, यह भी आपके द्वारा सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि यह कटु अनुभव के उपरान्त और इस कटु अनुभव के फलस्वरूप कह रहा हूं कि इसी विधेयक में कम से कम यह तो प्रावधान होना चाहिए कि यदि तीन महीने के अन्दर मुआवजा नहीं चुकाया गया तो वह अधिकारी जो सरकार के द्वारा कायम किया जाता है उसको दण्ड दिया जाएगा। लेकिन यहां तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे इस तरह का हिसाब है। गल्ती कोई करे और मारे जाते हैं बेचारे गरीब, उनको बर्षों तक मुआवजा नहीं मिलता। मेरा ख्याल है कि सरकार यह जो संशोधन लाई है और यह जो विधेयक आया है, मेरे ख्याल में यह एक फिर अत्याचार की सीढ़ी आगे बढ़ी है और अत्याचार का एक दूसरा नमूना पैदा हुआ है। और इस अत्याचार के नमूने के और भी कारण हैं, उनको भी मैं निवेदन करता हूं कि इसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया है। कोई भी कारण हो, साधारणतया अगर अच्छी मुंसिफाना मिजाज की सरकार हो तो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दिया तो अन्याय की पराकाष्ठा को दोहरा दिया। उस पर लगाया गया कि किसी समय से अनिश्चित काल तक रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लागू हो सकता है। किसी मामले की कोई भी पोजीशन हो, या कुछ भी हो, जो आपकी मर्जी आई उसी तरह से आपने इस सम्बन्ध में भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगा दिया। This is thoroughly bad in law. यह बहुत ही खेदजनक प्रक्रिया है और मैं इसका विरोध करूंगा।

इसके अतिरिक्त इस एक्ट के अन्दर जो भी दिमाग में आता है इनजूनियेंटी ऑफ माइन्ड है, बिल्कुल arming the Government with unlimited power है। यह इस विधेयक की चेष्टा है। अत्यधिक अधिकार सरकार ने देकर उसे सुसज्जित इस हद तक कर दिया कि जो कुछ भी सरकार करे वह ठीक है। यदि ऐसा ही यह विधेयक है तो यह कोई विधेयक नहीं है। यह एक प्रकार की व्यवस्था है जो अभी भी विवादग्रस्त मामले हैं, जो पेन्डिग केसेज हैं, कोर्ट्स में हैं, वे भी इस एक्ट के, इस विधेयक के पारित होने के बाद खारिज कर दिए जायेंगे और कोर्ट की जूरिस्डिक्शन के बाहर निकाल दिये जायेंगे। मुझे तो यह व्यवस्था धींगा मस्ती की व्यवस्था लगती है। आपका एक्वीजीशन का कोई प्लान नहीं है। अभी जैसा कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोई एक्वीजीशन का प्लान हो तो भी हम समझ सकते हैं कि प्लान बेसिस पर सरकार जा रही है, उससे भी नागरिकों को संकोच हो सकता है। कानून तोड़ने को आमादा होने में, वे कानून तोड़ने को आमादा न हो, तैयार नहीं हों। लेकिन यहां तो आए दिन, आधी रात में जैसे बिजली पड़ी, किसी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

की सम्पत्ति लेना चाहें तो ले लें, यह मैं समझता हूं कि एक ठीक बात नहीं है। इसमें जो सेक्शन २७ है इसको आपकी आज्ञा से केवल मात्र पढ़ कर सुना दूंगा, इससे अधिक नहीं कहना है। इस सेक्शन २७ की इबारत से साफ प्रगट हो जाता है कि सरकार की प्रवृत्ति क्या है They can do whatever they like and whatever thep do is absolutely legal.

अब इसके वर्डिंग देखिए।

"27. Validation of certain acquisitions etc —(1) Notwithstanding any judgment, decree or order of any court, every acquisition of land for a company made or purporting to have been made under Part VII of the principal Act before the commencement of this Act, shall, in so far as such acquisition is not for any of the purposes mentioned in clause (a) or clause (b) of sub-section (1) of section 40 of the principal Act, be deemed to have been made for the purpose mentioned in clause (aa) of the said sub-section and accordingly every such acquisition and any proceeding order, agreement or action in connection with such acquisition shall be, and shall be deemed always to have been, as valid as if the provisions of section 40 and 41 of the principal Act, as amended by this Act, were in force at all material times when such acquisition was made or proceecing was held or order was made or agreement was entered into or action was taken".

मेरे ख्याल में यह कार्य कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। यह तो एक डिक्टेटोरियल व्यवस्था है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह सुझाव है कि १७ वें संशोधन के अन्तर्गत जो कुछ भी मुआवजे का प्रावधान और व्यवस्था की हुई है, केन्द्र सरकार के द्वारा रखी गई है इस विधेयक के अन्दर भी राजस्थान सरकार के द्वारा रखी जाना परमावश्यक समझता हूं।

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भूमि अवाप्ति (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६६ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

जहां तक इस विधेयक को लाने का प्रश्न है, मैं इसका स्वागत करता हूं। राज्य सरकार ने यह समझ कर कि जिनकी भूमि ले ली गई है और कई वर्षों से उनको मुआवजा दिया गया है तो यह मुआवजा जिनकी भूमि ली गई है उनको भविष्य में जल्दी से जल्दी दिया जाय, इसके विना पर लाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, तहसील खानपुर में भीमसागर बंध आज से करीब २०-२५ साल पहले बना, नहरें निकाली गईं। उसकी योजना थी कि करीब १५-२० हजार एकड़ जमीन उससे पीवत होगी। नहरें बन गई हैं लेकिन आज तक भीमसागर बांध नहीं पूरा हुआ। लोगों की जमीन नहर बनाने में आ गई और आज से ८ साल पहले तक लोगों से लगान वसूल करते रहे। अभी अभी राज्य सरकार ने घोषणा की है कि बजाय २० हजार के २ हजार एकड़ की

(श्री गोविन्दसिंह)

पीवत करने वाले हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, बाकी जो नहरें बन चुकी हैं और जिनमें आप पानी नहीं देने वाले हैं तो क्या उन नहरों को समतल करा कर काश्तकारों को देंगे ? या काश्तकारों से हमेशा के लिए वह भूमि ले ली गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक मुआवजे का सवाल है वहां तहसील खानपुर में एक आदमी को १५) रु० बीघा मिला वहां जब नहर आगे जाती है तो सांगोद तहसील में एक आदमी को एक बीघा पर १००) रु० मिला। तो, उपाध्यक्ष महोदय, इस कानून के तहत यह हो सकता है कि आगे जाकर जो मुआवजा मिलेगा वह बराबर मिलेगा। कानून न होने की वजह से या कलेक्टर की वजह से जो कुछ भी धांधली की गई है कि एक तहसील में तो १५) रु० बीघा के हिसाब से मिला और दूसरी तहसील में १००) रु० बीघे के हिसाब से मिला यह गैर वाजिब था।

दूसरा प्रश्न यह है कि भवानी मन्डी में आज से १० साल पहले एक शिड्यूल्ड ट्राइब के आदमी की भूमि पर थाना बना तो भूमि अवाप्त की गई थी। थाने को बने १० साल हो गए। अभी दो साल पहले उसका लगान माफ हुआ लेकिन उसकी भूमि का कोई मुआवजा उसको अभी तक नहीं मिला। उपाध्यक्ष महोदय, भवानी मण्डी में आज जमीन की कीमत को देखते हुए क्योंकि वहां पर कपड़े की मील लग चुकी है तो जमीन की कीमत बढ़ गई है, लेकिन मेरा विश्वास है कि उस आदमी की जमीन का मुआवजा दिया जायगा वह उसका जो लगान लगता है उसके हिसाब से दिया जावेगा। आज वह भूमि वही काश्तकार लेता है या दूसरा कोई व्यापारी लेता है तो वह भूमि हजारों रुपयों की है। इस वास्ते मेरा निवेदन है कि इस तरह से भूमि ले लेते है, वह एक गरीब काश्तकार शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है उसे १० साल से मुआवजा नहीं मिला।

एक और बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, कि भवानी मंडी में आज से २० साल पहले कॉटन मिल लगाने का प्रश्न उठा था, और वहां के काश्तकारों ने सहर्ष ४०० बीघा जमीन दे दी थी। भवानी आनन्द कॉटन मील के लिए उस जमीन पर उनके कई कुए भी थे। काश्तकारों ने समझा था कि हमारे यहां भवानी मन्डी में मिल लगेगा तो हम मुआवजा नहीं चाहते हैं क्योंकि उससे भवानी मन्डी की बेहबूदी होगी। जो व्यापारी वहां पर मिल लगाना चाहता था उसके साथ शर्त यह थी कि यदि काटन मिल नहीं लगाया गया तो जमीन काश्तकारों को वापस दे दी जायगी। उपाध्यक्ष महोदय, उस व्यापारी ने आज से दो-तीन साल पहले यहां मिल न लगाकर उदयपुर में मिल लगाया है, और भवानी मन्डी में जो जमीन थी उस पर बगीचा लगा रखा है, उसका घास काटता है। हजारों रुपये बगीचे का ठेका देकर वसूल करता है। जिन काश्तकारों ने भवानी मन्डी की बेहबूदी के लिए अपनी जमीन बिना मुआवजे के दी है उनका वह मालिक बन कर बैठ गया है, और काश्तकारों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो कानून ला रहे हैं इस बात का मैं स्वागत करता हूँ कि

(श्री गोविन्दसिंह)

कम से कम जो पुरानी बातें हो गई हैं वे अब बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेंगी ।

इसमें यह बतलाया गया है कि जमीन आप ले सकते हैं पब्लिक इन्ट्रेस्ट में सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए, और पब्लिक सेक्टर के लिए, पर इसमें यह प्रावधान नहीं रखा गया है कि अगर किसी आदमी ने प्राईवेट सेक्टर में कोई जमीन ली तो कितने साल में वह भूमि काम में ले ली जायेगी, यह होना चाहिये । ऐसा न हो कि भूमि तो ले ली और १० या १५ साल जमीन पड़ी रहे । इस वास्ते मैंने खास तौर से इसको सिलेक्ट कमेटी में देने के लिए लिखा है । जमीन जो प्राईवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के लिए ले लेते हैं तो उनके लिए एक तारीख निश्चित करनी पड़ेगी कि इस समय तक काम में ले ली जायेगी, और अगर काम में नही लेते हैं तो जमीन वापिस दे दी जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, यह भी मैं बताऊंगा कि जमीन हम लेते हैं तो एक किसान है जिसके पास १०० बाघा जमीन है उसमें से अगर सड़क बनाते हैं तो इसमें से ७–८ बीघा जमीन आ जाये तो उसको उसका मुआवजा दे देंगे, लेकिन एक काश्तकार के पास केवल १० बीधा जमीन है और उस १० बीघा जमीन में से आप सड़क निकालते हैं तो क्या मुआवजा उसको देना नहीं है ? १०० बीघा में से ७–८ बीघा जमीन जो उसमें जायेगी सड़क के तो उसका मुआवजा आप दे देंगे और बाकी की जमीन पर वह खेती भी करता रहेगा । पर एक आदमी का निर्वाह केवल उसी १० बीघा भूमि पर है और अगर वह भूमि भी एक्वायर कर ली गई तो उपाध्यक्ष महोदय, उसमें और इसमें भिन्नता है । एक आदमी ऐसा है कि जिसके पास १०० बीघा जमीन है और एक आदमी १० बीघे का ही मालिक है और उसकी जमीन छीन ली जाती है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों को मुआवजा देने में भिन्नता होनी चाहिए । आप कम्पेन्सेशन नियम के अनुसार देंगे तो १०० बीघा वाले को उसी नियम से देंगे और १० बीघा वाले को भी उसी नियम में देंगे ।इसी वास्ते निवेदन करना चाहता हूँ कि १०० बीघा वाले को कम्पेन्सेशन अधिक दिया जावे, क्योंकि उसके जीवन निर्वाह का साधन था वह हमेशा के लिए खत्म हो जावेगा ।

इस कानून के तहत बगीचों को भी ले सकते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए मेरा यह निवेदन है कि एक बगीचा कम से कम ५ साल में संतरे का तैयार होता है और करीब करीब बीस साल तक वह फल देता है । एक आदमी एक बार बगीचा लगा ले तो २० साल तक उसकी यह जागीर बन गई । उसकी जमीन एक्वायर करने में आप क्या मुआवजा देंगे ? आप उस जमीन पर खर्चा हुआ उतना दे देंगे, लेकिन २० साल तक आगे जाकर उसको क्या प्राप्त होने वाला है उसका क्या होगा ? इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर एक बीघे में बगीचा लगा रखा है तो एक बीघे में ५० संतरे के पेड़ लगते हैं और कम से कम कीमत जो संतरों का ठेका होता है और उसका ३० रु० से १०० रु० तक होता है, तो अगर ५० रुपये का एक

(श्री गोविन्दसिंह)

संतरे का पेड़ की औसत मान लेंतो एक आदमी को एक बीघे के अन्दर बगीचे से ढाई हजार रुपया सालाना मिल सकता है। आप उसकी जमीन ले लेंगे उसके बाद उसको जमीन नहीं मिलेगी तो उसकी हालत क्या होगी? आप उसको मुआवजा देंगे तो मुआवजे से उसका पेट नहीं भरने वाला।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके लिए इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजने का मेरा प्रस्ताव है, वह मैंने पेश किया है।

मुआवजा जरूर देंगे लेकिन वह अलग अलग कैटेगरी का होना चाहिए। एक आदमी के पास १०० बीघा जमीन है उसकी जमीन लेते हैं और एक के पास १० बीघा जमीन है उसकी जमीन लेते हैं और एक आदमी का बगीचा लेते हैं तो इनमें मुआवजे में भिन्नता हो। इस वास्ते मेरा यह निवेदन है कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी में जाये। वहां पर आप तय करें कि किस तरह से आप मुआवजा देने वाले हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का प्रश्न है यह जरूरी बात है कि जमीन लेनी पड़ती है क्योंकि इसके बिना काम नहीं चलता है। जो माननीय सदस्य इसका विरोध करते हैं कि यह गलत है जो विधेयक लागू हो रहा है मैं इसके विरोध में मुआवजा देने की प्रणाली के हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक प्राइवेट प्रापर्टी का सवाल है तो उसमें बिल्कुल साफ लिखा है कि ७ दिन का नोटिस दिया जायगा। ७ दिन के बाद सरकारी कर्मचारी उसमें प्रवेश कर सकेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका विरोध नहीं होना चाहिए कि इनकी प्रापर्टी छीनी जा रही है। जहां तक पब्लिक इन्ट्रेस्ट का प्रश्न है, मैं समझता हूँ राज्य सरकार को ऐसे अधिकार होने चाहिए, पर जहां तक कम्पेन्सेशन का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, इसमें ६ महीने के बजाय ३ महीने की बात है तो मैं समझता हूँ कि कम्पेन्सेशन एक महीने में क्यों नहीं दे देते हैं? वह जितना जल्दी निपटेगा उतनी ही जल्दी जो व्यवस्था करनी है उसको वह कर सकेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी बिना पर मैं यह कहता हूँ कि ये ५–६ बातें हैं जो मैंने कही हैं उन पर गौर होना चाहिए। वैसे आपकी मन्शा बहुत अच्छी है, यह कानून बहुत अच्छा है, यह काश्तकारों को हैरासमेंट से बचाने वाला है, पर कुछ मुद्दे इसमें रहना निहायत जरूरी है जिनको हम तय कर सकें। इसलिए यह सिलेक्ट कमेटी में जाये तो वहां पर इन बातों पर अच्छी तरह से विचार करें और विचार करके इसको एक्जामिन किया जाय इसी कारण प्रवर समिति का प्रस्ताव मैंने किया है।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री विजयसिंह के खड़े होने पर) आप तृतीय वाचन पर बोलें तो ठीक रहेगा। (श्री मुक्तिलाल मोदी के खड़े होने पर) आप भी तृतीय वाचन पर बोलें। आप विराजिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : माननीय उपाध्यक्ष, राजस्थान लैण्ड एक्विजिशन (एमेंडमेंट एण्ड वेलिडेशन) बिल, १६६६ के सम्बन्ध में यहां पर माननीय

Page No. 99

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

सदस्यों की ओर से २ तरह के प्रस्ताव आये हैं। एक तो यह है कि इस विधेयक को जनमत जानने के हेतु प्रसारित किया जाय, और दूसरा यह है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय। मैं इन दोनों प्रस्तावों का विरोध करता हूं, क्योंकि जो मुद्दे इस विधेयक में उठाये गये हैं उन पर पहले ही काफी विचार कर लिया गया है। यह बड़े ऊंचे लेवल पर एग्जामिन किया जा चुका है, उनको इनमें निहित किया गया है इसलिए जनमत जानने हेतु अथवा प्रवर समिति के सुपुर्द करने का कोई आवश्यक कारण नहीं है, बल्कि इसके रास्ते में आने से जो हम लाभ आम जनता को, जिनकी जमीन एक्वायर होती है, देना चाहते हैं उसमें देरी करेंगे। जितना जल्दी लाभ दे सकें उतना ही हित में है।

आप सब लोग जानते हैं कि हर आदमी अपनी अचल सम्पत्ति का मालिक होता है और उसका मालिक होने की हैसियत से उसको पूरा अधिकार होता है, उसका मूलभूत अधिकार है वह अपनी सम्पत्ति को जिस तरह चाहे उपयोग में लावे, जिस तरह चाहे उसका प्रयोग करे। जब हम इस दृष्टि से विचार रखना चाहते हैं तो सावधानी से सोचना पड़ेगा। जब हमारा देश आजाद हुआ तब उस मसले पर संविधान बनाने वालों ने सोचा और एक धारा रखी जो मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूँ वह इसलिए कि इस धारा की छाया में और इसके अनुपालन में ही ये कानून बनाये गए हैं अथवा बनाये जा रहे हैं। वह धारा है ३१ (२)

"No property shall be compulsorily acquired or requisitioned, save for a public purpose and save by authority of law, which provides for compensation for the property so acquired and either fixes the amount of the compensation or specifies the principles on which, and the manner in which, the compensation is to be determined and given and no such law shall be called in question in any court on the ground that the compensation provided by that law is not adequate."

तो यह जो संविधान....

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : उपाध्यक्ष महोदय, कोरम का भी ध्यान रखें।

श्री राम प्रसाद लड्ढा : संविधान के अनुच्छेद ३१ का क्लाज (२) ऐसा क्लाज है जो हम अब तक जितने कानून देश में बना पाये हैं, मूल-भूत आधार मान कर जहां तक सम्भव हुआ है चले हैं। अब हमारे देश के आजाद होने के बाद हमने योजनाबद्ध तौर से विकास की योजनाएं बनाई हैं और उनके जरिये तरह तरह का काम काज होने लगा है और इन काम काजों में हमें यह जरूरत महसूस होगी कि जमीन जिसका मालिक दूसरा है, उसकी विकास कार्यों के लिए आवश्यकता है तो लिया जाय। एक जमाना था जब देश आजाद नहीं था, एक जमाना था जब विधान नहीं था, राजा-महाराजाओं का राज्य था तब भी जमीन ली जाती थी, चाहे विकास के लिये हो, चाहे व्यक्तिगत काम के लिये हो, चाहे व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिये हो, बिना मुआवजे के जमीन ली जाती थी। लेकिन जब राजस्थान बना और यह अनुभव हुआ कि तालाब

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

बनाने के लिये या बांध बनाने के लिये या दूसरे काम के लिये भूमि की आवश्यकता होगी लेकिन ऐसी कार्यवाही नहीं करें जो विधान के विपरीत हो। इसलिये हमने राजस्थान लैंड एक्विजिशन एक्ट पास किया वह इसलिये कि विधान के तहत एक्विजिशन आप करते है, एन्ट्री नं० ३३ ऑफ लिस्ट नं० २ जो स्टेट लिस्ट है उसमें हमें अधिकार था कि हम इसके लिये कानून बनावें इस लिये १९५३ में हमने कानून बनाया....

श्री हरिप्रसाद शर्मा : चम्बल में उसकी अवहेलना हुई या नहीं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं अभी बताता हूं। जो मुद्दे उठाये हैं उनका जवाब दूंगा केवल अपेक्षा इतनी है कि पूरी बात को सुनें। तो मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार को एन्ट्री नं० ३३ आफ लिस्ट २ के अनुसार अधिकार था और यह राजस्थान लैंड एक्विजिशन एक्ट बना। उस समय यद्यपि इंडियन लैंड एक्विजिशन एक्ट था लेकिन वह पार्ट बी स्टेट्स में एप्लाई नहीं होता था, पार्ट ए स्टेट्स में एप्लाई होता था इसलिये सन् ५३ में हमने यह कानून बनाया और सन् ५३ से अब तक जो कार्यवाही हुई उसमें कई बार हमको कटु अनुभव हुये। उन कटु अनुभवों की चर्चा यहां पहले भी सदन में कई बार हुई। यह अनुभव हुआ कि लोगों की जमीन एक्वायर कर लेते हैं और काम में नहीं लेते हैं, पड़ी रहती है। यह भी अनुभव किया कि कंपेनसेशन पूरा नहीं मिलता, यह भी अनुभव हुआ कि कंपेनसेशन टाइम पर नहीं मिलता, यह भी अनुभव हुआ कि एवार्ड टाइम पर नहीं दिया जाता है, यह भी अनुभव किया कि बिना कंपेनसेशन दिये एक्वायर करके काम काज शुरू कर दिया जाता है। यह भी अनुभव किया कि जमीन ले ली जाती है लेकिन लगान नहीं छोड़ा जाता है। इस तरह की कई प्रैक्टिकल दिक्कतें एडमिनिस्ट्रेशन के सामने भी आईं, जनता के सामने भी आईं और इसीलिये माननीय सदस्यों ने यहां पर बयान भी किया। हमने इन सब कठिनाइयों को अनुभव करके हमारे कई सीनियर आफिसर्स की कान्फ्रेन्स में चर्चा की गई और एक कमेटी बनाई यह जानने के लिये कि हम इन बातों को किस तरह से कम कर सकते हैं। १९६१ में उस कमेटी ने राय दी। उस कमेटी की सिफारिशों के विस्तार में मैं अभी नहीं जाना चाहता क्योंकि जब धाराओं के बारे में विचार व्यक्त करूंगा और जो आपत्तियां उठाई हैं उनका जवाब दूंगा, तब इन चीजों का वर्णन कर दिया जायगा। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट पर सरकार ने विचार किया, जो सुझाव आये उन पर विचार किया, समय समय पर आपत्तियां प्रकट की गईं, उन पर विचार किया। बहुत सारी चीजें एक्ट में आती हैं, बहुत सारी चीजें रूल्स में आती हैं, बहुत सारी चीजें मेन्युअल में आती हैं और बहुत सारी चीजें एग्जीक्यूटिव इन्सट्रशन से हल की जाती हैं लेकिन जिन चीजों के बारे में एक्ट या बिल में प्रावधान होना चाहिये उन बातों पर विचार किया और इसके साथ साथ जो नयी परिस्थितियां उत्पन्न हुईं उनकी वजह से और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की वजह से जो बाधाएं आने लगीं उन पर विचार किया, विस्तार से धाराओं पर बोलते समय निवेदन करूंगा। इन सब पर विचार करने के बाद, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

से विचार करने के बाद यह सोचा कि एक बिल यहां रखा जाय जिससे कठिनाइयों को किसी तरह से हल करने का प्रयत्न कर सकें और इस उद्देश्य से, इस विचार धारा से यह विधेयक आज रखा जा रहा है । इससे पहले जो हमें अधिकार थे, उनसे अधिक नहीं लिये या जो अत्याचार पहले हो रहे थे उनसे दुगन या चार गुणे करने की नीयत से नहीं लाये, बल्कि जो कठिनाई अनुभव हुई उनको दूर करने का इसमें रखा । कई माननीय सदस्यों ने एक एक करके जो प्रोविजन आये हैं उन पर अपने विचार व्यक्त किये । मैं थोड़ा संक्षेप में इसकी मूल धाराएं हैं, मूल उद्देश्य इसके पीछे है, वह प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करूं कि विरोधी दल के नेता ने अपने भाषण के आखिर में जाते जाते एक शब्द कहा कि जो गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया का एक्ट है उसके अनुकूल राजस्थान का एक्ट होना चाहिये, उसके विपरीत नहीं होना चाहिये, जैसे कि इस विधेयक के जरिये हमने ऐसा प्रावधान रखने की कोशिश की है । गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है उसके विपरीत पड़ता हो । वास्तव में ऐसी बात नहीं है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में और हमारे में केवल तीन बातों में भिन्न हैं । तीन बातों में भिन्न हैं उनको मैं अपनी राजस्थान की जनता के हक में मानता हूं, इसलिये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सुझाव अदरवाइज होते हुए भी हमारे यहां यह प्रावधान रखा हुआ है । संक्षेप में मैं इन तीन बातों की ओर ध्यान पहले आकर्षित कर दूं ताकि बाद में कई बातें उठाई जावें उनका समाधान हो जावे ।

पहला जो हमारे यहां पर डिफरेन्स है वह यह है कि हमारे सेक्शन ४ और सेक्शन ६ हैं । सेक्शन ४ में नोटिफिकेशन होता है और सेक्शन ४ में नोटिफिकेशन होने के बाद जमीन का इन्सपेक्शन, सर्वे, नक्शा बनाकर सेटिस्फेक्शन करते हैं कि आया इस जमीन की जरूरत है या नहीं । यह सेटिस्फेक्शन करने के बाद रिपोर्ट की जाती है और उसके बाद एक्विजिशन ऑफीसर सेक्शन ६ के अनुसार यह डिक्लेयर करता है कि पब्लिक परपज़ के लिये इस जमीन की आवश्यकता है..........

इस तरह से अब तक दो नोटिफिकेशन हैं जो एक सेक्सन चार का है और एक सेक्सन छः का है–दो नोटिफिकेशन इश्यू किये जाते हैं गवर्नमेंट आफ इण्डिया में भी और अपने यहां भी अब तक दो नोटिफिकेशन इस्यू किये जाते हैं । लेकिन अनुभव ने यह बताया कि पहला नोटिफिकेशन कोई महत्व नहीं रखता है क्योंकि पहला नोटिफिकेशन जमीन एक्वायर करने का डिक्लेरेशन नहीं है, पहला नोटिफिकेशन एक प्रिलिमिनरी नोटिस है कि हमें अमुक कार्य के लिए इस ज़मीन की आवश्यकता हो सकती है इसलिए हम उस जमीन को देखना चाहते हैं, मौका देखना चाहते हैं, सर्वे करना चाहते है, और पड़ौस देखना चाहते हैं, और यह सारा देख कर हम यह बात जज कर सकें कि जिस पब्लिक पर्पज़ के लिए जमीन चाहते हैं आया उसके लिए यह मौज़ू है या नहीं । अगर हम उसे मौज़ू पायेंगे तो सेक्सन ६ के तहत जाकर नोटिफिकेशन डिक्लेरेशन का दें और फिर आगे के सेक्शन हैं उनके तहत कार्यवाही हो अब राजस्थान सरकार ने यह मुनासिब समझा कि सेक्शन चार के नोटिफिकेशन की

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

जरूरत नहीं है, इस नोटिफिकेशन की जरूरत दो कारणों से नहीं है– एक तो इसलिये कि गजट में प्रकाशित होने में बहुत समय लग जाता है, तो एक तो महीनों उस गजट नोटिफिकेशन में लग जाते हैं, दूसरे उस गजट नोटिफिकेशन होने के बावजूद जो इण्टरेस्टेड पार्टियों का प्रश्न होता है– उनको इस पहले नोटिफिकेशन से जानकारी मिलती हो यह बात नहीं है। उनको जानकारी मिलती है यदि वह अखबार में आ जाय या फिर नोटिस बोर्ड पर वह चिपक जाय, तो उनको इत्तला मिल जाती है जल्दी और गजट नोटिफिकेशन से नहीं मिलती है। इसलिए हमने सेक्शन चार के जरिये यह व्यवस्था की है कि सेक्शन चार में जो नोटिफिकेशन निकालते थे वह अब नहीं निकालेंगे, यह कमेटी ने भी राय दी है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथ द्वारा) : कमेटी ने यह राय दी है कि इन्डीविजुअली उनके पास पहुंच जाय।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैं बता दूंगा अभी आपने नौ को नहीं पढा है और इस सम्बन्ध में इसीलिए आपको गलत फहमी है। मेरा निवेदन है कि गुजरात और महाराष्ट्र में भी इस प्रकार का प्रावधान है। तो अब सेक्शन चार का नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा, लेकिन नहीं निकलेगा, लेकिन नहीं निकलने के बावजूद हमने एक नया सेक्शन ४५ इसमें इन्सर्ट किया है और सेक्सन ४५ इन्सर्ट करने से व जो नोटिफिकेशन है इसके बजाय पब्लिक नोटिस जिसे कहते हैं वह निकलेगा।

"(4) A public notice required to be given under this Act shall be in writing and shall be signed and sealed by the officer giving the same. It shall be affixed at the notice board of the office of such officer and the copies of such notice shall be affixed on the notice board of the tehsil concerned and on the notice board of the Village Panchayat, if any, constituted under any law for the time being in force. Its contents, shall be made widely known in the locality in which the land proposed to be acquired is situated, by affixing copies thereof at some convenient place on or near about such land and in other conspicuous public places in the locality or by publishing the same by beat of drums or by advertisement in a newspaper having wide circulation in the locality or by any two or more of these means."

तो और, सेक्शन ९ जो रहा है उसके तहत उसको सर्विस करने और लैटर इन पोस्ट भेजने का सेक्शन ९ जो अभी एक्ट है उसमें जो कुछ है उसको बरकरार रखा है। तो अभी जो डिले करने का तरीका है जिससे डिले हो, गजट नोटिफिकेशन में डिले हो फिर भी उससे जानकारी कम हो पाती है, उसको पहले करने के मकसद को पूरा करने के लिए यह जो सेक्शन चार है इसको इस तरह से अमेंड किया था। मैं एक बात बता रहा था कि एक तो सेन्ट्रल गवर्नमेंट के कानून में यह डिफरेन्स है दूसरा यह है कि आज अगर कोई अवार्ड दिया जाता है, कलेक्टर या लैण्ड एक्वीजीशन आॅफिसर के द्वारा तो अब तक गवर्नमेंट के पास कई बार शिकायत आई है और जैसा अभी कोटा से

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि एक्वीजीशन में लोग हाई रकम असेस करवा लेते हैं लैण्ड एक्वीजीशन आफिसर से-इसकी सत्यता या असत्यता में मैं नहीं जाना चाहता लेकिन यह साफ जरूर करना चाहता हूँ कि हमने यह किया है कि अब जो डिपार्टमेंट के पक्ष में कोई अवार्ड होता है तो उस डिपार्ड-मेंट के आदमी को प्रोसीडिंग्स में आना चाहिए, उसमें उसको शामिल रहना चाहिए, उसके डिस्पोजल को एक्सपीडाइट कराने में मदद करने के लिए। तो साथ साथ अवार्ड की सूचना उसको भी हम देंगे। इस तरह गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट खुद अगर यह समझती है कि लैण्ड एक्वीजीशन ऑफिसर ने हमारे पर ज्यादा मुआवजा फिक्स कर दिया है तो रेफरेन्स अन्डर सेक्शन १८ कर सकते हैं, अगर कम्पनी समझती है तो वह भी सेक्शन १८ में रेफरेन्स कर सकती है और जिस आदमी की जमीन एक्वायर की जाती है वह अनुभव करता है कि उसकी जमीन का मुआवजा कम रख दिया है तो वह भी सेक्शन १८ में रेफरेन्स कर सकता है और इन तीनों का रेफरेन्स होगा डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स जज के पास में। डिस्ट्रिक्ट एण्ड सैशन्स जज एक जुडिशियल आदमी है। उससे कोई पक्षपात की अपेक्षा नहीं की जाती है और न ही पक्षपात होने की सम्भावना रहेगी। इस तरह का प्रावधान रखा है। इसके विपरीत सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को यह हाउस अच्छी तरह जानता है कि इस तरह अपील में जाने का रेफरेन्स के लिए कोई अधिकार नहीं है, जब कि वह अधिकार हमने रखा हैं तो हम सेन्ट्रल गवर्नमेंट से अच्छे स्तर पर इस बात को कर पाये हैं। सबसे मोटा मामला जो सदन में रखा गया वह यह है कि कम्पलसरी एक्वीजीशन करते हैं, उसके ऊपर जो एडीशनल कम्पेन्सेशन सेक्शन २३ और आनवर्ड सेक्शन में जो मार्केट वेल्यू और सारे सिद्धान्त बताये हैं, के अनुसार जो कम्पेन्सेशन बनता है उसके ओवर एण्ड अबव जो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का एक्ट है उसके अन्दर १५ पर्सेन्ट और कम्पेन्सेशन दिया जाता है, अगर कम्पलसरी एक्वीजीशन किया जाता है तो १५ पर्सेन्ट और दिया जाता है जबकि हमारे यहां पर दस पर्सेन्ट दिया जाता है। इसके बारे में चर्चा की गई है। मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कह देना चाहता हूँ कि दस पर्सेन्ट वैसे पन्द्रह पर्सेन्ट से कम नजर आता है लेकिन वास्तविकता में भारत सरकार के प्रावधान के मुकाबले में यह प्रावधान खराब नहीं है। वह किसलिए ? वह इसलिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का प्रोवीजन है, वह १५ पर्सेन्ट कम्पेन्सेशन और अथवा कम्पेन्सेशन फिक्स करने का वह है, वह जब सेक्शन ७ के नीचे डिक्लेरेशन हो जाता है, नहीं, जब सेक्शन ४ के तहत नोटिस दिया जाता है और एन्ट्री और सर्वे वगैरह के लिए नोटिस करते हैं उस रोज जो मार्केट वेल्यू है कम्पेन्सेशन असेस करते हैं और जो प्रोवाजन सेक्सन ७ और आनवर्ड सेक्शन में हैं उस पर कम्पेन्सेशन बनता है और उस पर देते हैं १५ पर्सेन्ट। लेकिन हम जो देते हैं वह सेक्शन ६ के तहत जब डिक्लेरेशन हो जाता है, और डिक्लेरेशन की तारीख को जो मार्केट वेल्यू है उस पर दस पर्सेन्ट देते हैं तो यह मान कर चलिए....

श्री विजयसिंह झाला : कितना समय होता है, नोटिस देने के बीच में कितना समय होता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अभी बता देता हूँ।

श्री विजयसिंह झाला : और उसमें कितनी कीमत बढ़ जाती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सेक्शन ६ के तहत जो डिक्लेरेशन होता है उस रोज जो मार्केट वेल्यू है उससे कम्पेन्सेशन तय होने में ज्यादा पड़ता है और उससे पहले होने में कम पडता है। सेक्शन चार में प्रिलिमिनरी नोटिस होता है, अब समय बीच में कितना होता है—यह सवाल खड़ा होता है; तो आज जो व्यवस्था है, वह अच्छी हो, खराब हो, उसमें चाहे नुक्स हों—लेकिन मेरे सामने जो केसेज़ आये हैं उनमें प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन सेक्शन ४ के तहत होने में और डिक्लेरेशन अन्डर सेक्शन ६ के बीच में ४-५ साल का अर्सा लगा है और उसके बीच में जमीन की कीमत दुगुनी तक हो गई है। इसलिए उसको जमीन की कीमत के रूप में ज्यादा मिलता है और उस पर दस पर्सेन्ट मिलता है, तो जब आप दस पर्सेन्ट उस कीमत पर देते हैं तो मोर और लैस गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के १५ पर्सेन्ट के बराबर और ज्यादातर उससे ज्यादा मिलता है। यह मैंने आपकी जानकारी के लिए कहा क्योंकि बार बार हमारे प्रोवीजन्स का गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के प्रोवीजन्स से कम्पेअर करते हैं, इसलिए मैंने यह बताने की कोशिश की।

इसके साथ में जो आप निवेदन कर रहे हैं, सेक्शन ४ के बाद में सेक्शन में जो प्रस्क्राइब्ड फॉर्म नहीं था कि किस तरह से डिक्लेरेशन होना चाहिये और जिससे कई बार लोग उसको समझ नहीं पाते ये और उसमें गल्तियां रह जाती थीं इसलिये हमने इसके लिये फोर्म प्रेस्क्राइब्ड कर दिया है और इसके साथ साथ सेक्शन ११ में ६ महीनों में अवार्ड देने की बात थी उस अवधि को भी घटा कर हमने तीन महीने कर दिये हैं और यह भी सेक्शन ११ ए नया सेक्शन करके तय कर दिया है। इसमें सेक्शन ११ और ११ ए इस बात के लिये हैं कि एवार्ड करने वाले डिपार्टमेंट जब भी यहां बहस चलती है तो उन सब इरेंगुलेरिटीज की जिम्मेदारी होती है वह सब राजस्व विभाग पर डाली जाती है। मानो जैसे राजस्व विभाग, ही मुआवजा देता हो और एक्वायर करने वाले विभाग नहीं देते। दरअसल यह बात नहीं है। दरअसल यह बात नहीं है वह इस बात से प्रमाणित होता है कि जो डिपार्टमेंट जमीन एक्वायर करना चाहता है वह जमीन एक्वायर करने के लिये एप्लाई करता है। मगर अब तक यह होता था कि वह विभाग जमीन एक्वायर करने के लिये एप्लाई करके ही दूर हो जाता था। मगर अब इस सेक्शन के द्वारा यह कर दिया गया है कि नियत दिन की सूचना उस विभाग को भी दी जावेगी और हीयरिंग होगी वह भी उस हियरिंग में साथ रहेगा और उसका जल्दी से जल्दी फैसला हो, उसके लिये कलेक्टर को सहायता दे। यह बात हमने इसमें रखी है। यह तो हमने सिम्पली अरली डिसपोजल के लिये प्रावधान बनाया है।

श्री विजयसिंह झाला : आप एक बात और बता दें। पहले ६ महीनों की अवधि का अवार्ड के लिये प्रावधान था, उसमें आपको तीन-तीन वर्ष हो सकते हैं तो

(श्री विजयसिंह भाला)

अब आपने तीन महीनों की अवधि रखी है क्या इसमें भी वही होगा ? आपके ऑफिसर्स इसको तय करेंगे तब ही होगा । आपके ऑफिसर्स तय नहीं करेंगे तब कैसे होगा ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : वह तो प्रोवेबल एक्ट या डिक्लेरेशन ऑर्डर का था । वे उसके बाद ही एक्विजिशन की कार्यवाही शुरू कर देते थे । अब इसमें डे टु डे लेकर कलेक्टर जल्दी से जल्दी फायनेलाइज करके अवार्ड दे दें या इसमें देरी हो तो उसके लिये पार्टी को इन्ट्रेस्टेड पार्टीज या डिपार्टमेंट से उनको इन्ट्रेस्ट दिलावें । इसका इनमें प्रावधान है ।

श्री विजयसिंह भाला : इन्ट्रेस्ट का प्रावधान तो पहले भी रखा हुआ है ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय उपाध्यक्ष जी महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे मुझे जो बातें कहनी हैं वे पहले कहने दें उसके बाद में माननीय सदस्यों की जो भी शंका होगी उसको जहां तक मुझसे हो सकेगा, दूर करने की कोशिश करूंगा ।

जैसा मैंने निवेदन किया, हमारे यहां पर रेल्वे एक्विजिशन एक्ट लागू था । उसमें डिपार्टमेंट तो गवर्नमेंट का ही है । गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान । यह गवर्नमेंट की डेफिनिशन है । यह गवर्नमेंट की डेफिनिशन हो जाने के बाद में जनरल क्लोजेज एक्ट के तहत गवर्नमेंट मीन्स गवर्नमेंट आफ राजस्थान एन्ड गवर्नमेंट ऑफ सेन्टर । इस तरह का प्रश्न आया । उसके बाद एक्सटेन्शन ऑफ लाज का ऑर्डर हुआ । उसमें 'गवर्नमेंट' मीन्स "गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान' है । इसके आने से हमारे लिये एक कानूनी दुविधा खड़ी हुई । वह क्या हुआ कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यूनियन लिस्ट की जितनी अन्डरटेकिंग्ज हैं, चाहे वे रेल्वे की हों, चाहे पोस्ट ऑफिस की हों या और कोई दूसरी हो । यह यूनियन परपज के लिये जमीन एक्वायर करते हैं और उनको कम्पेन्सेशन हम गवर्नमेंट की तरफ से दिलाते थे । यह कार्यवाही हम करते थे । हम यह इस तरह से सोचते थे कि 'गवर्नमेंट' मीन्स 'गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ऐण्ड गवर्नमेंट ऑफ सेन्टर' और हम जनरल क्लाजेज एक्ट की डेफिनेशन पर ही सोचते थे । जनरल क्लॉजेज की डेफिनेशन है उसमें क्लाज ३२ में लिखा है :—

"Unless there be anything repugnant in the subject or context or unless the contrary intention appears, the following expressions shall have the meaning respectively assigned to them hereby, namely ;"

इसका मतलब यह कि जो कुछ डेफिनिशन क्लॉज में थी 'गवर्नमेंट' मीन्स 'सेन्ट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट' । यह डेफिनिशन उस वक्त तक होल्ड गुड करती थी जब तक कोई और चीज उसके विपरीत नहीं हो और "Unless there be anything repugnant in the subject or context or unless the contrary intention appears.

तो यह एक चीज थी । जब उस प्रावधान के होते हुए जैसा मैंने निवेदन किया कि सबसे पहले ऐन्ट्री ऑफ स्टेट लिस्ट ३६

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(सी) और ३६ (२) में स्टेट होने से स्टेट के लिये स्टेट ही कानून बनाए और इसी तरह से एन्ट्री नं० ३३ आफ दी यूनियन लिस्ट थी और उसके अनुसार यूनियन लिस्ट वालों के लिये कानून यूनियन बना सकती थी और एन्ट्री ४३६ के तहत हम स्टेट के लिये बना सकते थे। और जब हम स्टेट के लिये बनाते थे तो गवर्नमेंट आफ राजस्थान और गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया पर लागू करें तो यह बात ठीक नहीं पड़ती थी।

उसके बाद में कान्स्टीट्यूशन में सेवन्थ अमेन्डमेंट लाया गया। सेवन्थ अमेन्डमेंट ऑफ दी कान्सटीट्यूशन हुआ उसमे एन्ट्री नं० ३३ ऑफ दी यूनियन लिस्ट और एन्ट्री नं० ३६ ऑफ दी स्टेट लिस्ट है, उन दोनों को हटा दिया और इससे यह हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया का गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया करे और राजस्थान गवर्नमेंट का राजस्थान गवर्नमेंट करे। इन दोनों एन्ट्रीज़ को हटा दिया और इन दोनों को हटा कर एक नई एन्ट्री ४२ इनसर्ट कर दी। अब यह एन्ट्री ४२ है उसको कौन करेन्ट लिस्ट में कर दिया, वह इस प्रकार है।

"42. Acquisition and requisitioning of property"

तो इस तरह सेवन्थ अमेन्डमेंट ऑफ दी कॉन्सटीट्यूशन पास होने के बाद जो १.११.५६ को पास हुआ था या इसके आस-पास की तारीख में पास हुआ है, उसके बाद में जब एन्ट्री ३३ और ३६ दोनों हट गईं और उनके स्थान पर एन्ट्री नं० ४२ आई और कोन करेन्ट लिस्ट में उसको लिया तो उसके आ जाने के बाद कानूनी स्थिति यह हुई कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट लेजिस्लेशन के बिल बना सकती है, सारे कन्ट्री के लिये बना सकती है और उसमें स्टेट को भी फील्ड बना सकती है। जैसा कि डोक्ट्राइन ऑफ ओकुपाइड फिल्ड का मतलब है। अगर एकोरडिंग टु दी डोकटराइन ऑफ ओकुपाइड फिल्ड, फिल्ड ऑफ लेजिस्लेशन में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून नहीं बनाया हो तो एन्ट्री ऑफ कोनकरेन्ट लिस्ट के आधार पर कह सकते हैं कि अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून नहीं बनाया हो तो The State Government has a right to occupy the field of legislation by an enactment. लेकिन अगर पार्लियामेंट ने बनाया हो और स्टेट गवर्नमेंट भी अपने यहां बनाना चाहे तो उसको ऐसा करने के लिये कोई रुकावट नहीं है। वह उसको डोक्ट्राइन ऑफ ओकुपाइड फिल्ड में रोकती नहीं। अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है उसके हित के लिये, तो पार्लियामेंट को अधिकार है, मगर इसके बावजूद भी स्टेट लेजिस्लेचर अपने हित के लिये बनाना चाहे तो एन्ट्री ४२ ऑफ दी यूनियन लिस्ट है उसके तहत बना सकती है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ रुकावटें रखी हैं। कॉन्स्टीट्यूशन् रुकावटें और बार रखे हैं। बार नहीं कहना चाहिये, 'बार' कहना संकुचित रहता है। स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, लेकिन उसके अन्दर है।

"Where a law made by the Legislature of a State with respect to one of the matters enumerated in the Concurrent List contains

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

any provision repugnant to the provisions of an earlier law made by Parliament or any existing law with respect to that matter, then, the law so made by the Legislature of such State shall, if it has been reserved for the consideration of the President and has received his assent, prevail in that State."

इसका मतलब यह है कि पार्लियामेंट का कानून है, उसके खिलाफ भी कानून बनाना चाहें तो बना सकते हैं, एक ही शर्त है कि प्रेसिडेन्ट की एसेंट लेनी पड़ती है। हम इस पर प्रेसिडेन्ट की एसेंट लेने जा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय समाप्त होने जा रहा है, १० मिनट बाद।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसे आज ही पास करना है, इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक यह बिल पास नहीं हो जाय तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : क्या यह सदन की मंशा है ?

(स्वीकृत)

सदन का समय जब तक आज की कार्यवाही समाप्त हो जाय, बढ़ाया जाता है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह कानूनी एनोलोजी मैंने इसलिये बताई कि अब तक यह था कि यूनियन पर्पज़ के लिये रेल्वे के लिये, गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया के और और कामों के लिये बहुत सारी जमीनें हमने एक्वायर कीं और फिर लीगल पोजिशन हमें यह मालूम हुई कि राजस्थान गवर्नमेंट को उन यूनियन परपजेज़ के लिये, रेल्वे आदि के लिये जमीनें एक्वायर करने का अधिकार नहीं और हमने जमीनें एक्वायर कीं तो दो ही परिस्थितियां हमारे सामने रह जाती हैं, एक तो यह कि आइन्दा के लिये अधिकृत हो जाय और दूसरी परिस्थिति यह कि जो हमने आज तक किया उसको वेलिडेट कर दें। यह सेक्शन ३८ लगाया है वह स्टेट गवर्नमेंट को ओथेराइज़ करता है कि यूनियन परपजेज़ के लिये, रेल्वे आदि के लिये जमीनें एक्वायर करने की क्षमता रख सकें। ३७.ए के नीचे जो एनोलोजी चलती आ रही थी उसको हल करके स्टेट गवर्नमेंट को अधिकार दिया कि वह जमीन एक्वायर कर सकती है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : २७ के संशोधन का बता दीजिये, इतना लम्बा-चौड़ा कहने की क्या आवश्यकता है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने राजस्थान के कानून की स्थिति और कानूनी परिस्थितियों से अवगत कराया कि यूनियन पर्पज़ के लिये हम जमीन एक्वायर नहीं कर सकते थे, टेलीफोन, पोस्ट, टेलिग्राफ, रेल्वे आदि दुनियां भर की प्रवृत्तियां हैं जिनके लिये हमें ही जमीन एक्वायर करनी चाहिये, हम ही कर सकते हैं, दूसरी एजेंसीज़ को वे मुकर्रर नहीं कर सकतीं....

श्री विजयसिंह झाला : प्रीवियस केसेज़ पर क्यों जाते हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सेक्शन इसलिए है कि यह विकास का युग है। यह नहीं कहा जा सकता कि गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया की कितनी योजनायें होंगी और कितनी जमीन की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होती है तो जमीन प्राप्त करना आवश्यक है, इसके लिए यह प्रावधान रखा है। यह तो प्रावधान रख दिया, आयन्दा के लिए अधिकृत हो गए कि गवर्नमेंट यूनियन परपजेज़ के लिए जमीन एक्वायर कर ले पर जो जमीनें एक्वायर कीजा चुकी हैं, उनमें रेल्वे लाइनें बन चुकी हैं, पोस्ट ऑफिसेज़ बन चुके हैं, और कई प्रकार की तामीरात हो चुकी हैं और जब किसी को कानूनी कमी का पता चले तो वह कहेगा कि मैं कम्पेन्सेशन का दावा करता हूँ, जमीन के रेस्टोरेशन का दावा करता हूँ। ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं। उन परिस्थितियों, नुकसानों, एवज़ानों और हर्जानों से बचने के लिए, नेकनीयती से पूरा मुआवजा देकर यूनियन परपज़ के लिए जमीनें ली हैं, उनको वेलिडेट किया है ३७.ए. है इसके जरिये। एक तो मामला यह है कि ३७.ए. लगाया इसी तरह से राजस्थान में लैण्ड एक्विज़िशन एक्ट की धारायें ३८, ३९, ४०, ४१ हैं, यह दफात आती हैं कि कम्पनीज़ के लिए जमीन एक्वायर करें तो किस तरह की जाय, कौन करे, किन सूरतों में हो, ये सारी बातें इन सेक्शन्स में हैं। तो थोड़ी सी जानकारी के लिए यह सेक्शन ४० है। उसे रखता हूं कि कोई भी पब्लिक परपज के लिये जमीन एक्वायर करना चाहते हैं तो प्रीवियस एन्क्वायरी होती है, कलेक्टर सेटिस्फाई होती है तभी ऑर्डर देता है :

"(1) Such consent shall not be given unless the Government be satisfied, either on the report of the Collector under section 5A, sub-section (2) or by an enquiry held as hereinafter provided"

इसमें दो बातें हैं :

"(a) that the purpose of the acquisition is to obtain land for erection of dwelling houses for workmen employed by the Company or for the provision of amenities directly connected therewith, or

(b) that such acquisition is needed for the construction of some work and that such work is likely to prove useful to the public."

ये दो सब-सेक्शन्स ४० में हैं। इन बातों पर सेटिस्फाई होने पर ही कलेक्टर कम्पनीज़ के लिए एक्वायर कर सकता है, वर्ना नहीं कर सकता। राजस्थान में और सारे हिन्दुस्तान में जमीनें एक्वायर कीं। पहले-पहल यह मामला १९६२ में सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मिस्टर अरोड़ा ने रिट पेश करके उठाया और इन प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती दी। मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ कि राजस्थान लैण्ड एक्विज़िशन एक्ट में सेक्शन ४० और आगे की सेक्शन्स हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया के एक्ट में ४०, ४१ और इससे आगे के क्लॉजेज़ हैं वे भिन्न नहीं हैं, इसलिए यह स्थिति मैं रख रहा हूँ। अरोड़ा ने रिट की, ए.७६४, यह रूलिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या होल्ड किया. यह मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूँ......

श्री विजयसिंह झाला : किस साल का है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १६६१ का ।

"The Supreme Court held that the land can be acquired for a company under section 41 (b) read with section 41 of the Act only when the work to be constructed would be directly usefull to the public, and the public would be entitled to use the work as of right for its own benefit in accordance with the terms of the agreement."

तो यह रूलिंग दी कि डाइरेक्टली पब्लिक को बेनिफिट नहीं हो तब तक जमीन उसके लिए एक्वायर नहीं की जा सकती इसलिये यह एक्विजिशन हो रहा है अल्ट्रावायर्स है । यह डिसिजन सुप्रीम कोर्ट में हुआ तो पार्लियामेंट को सोचना पड़ा, एक आर्डिनेन्स निकालना पड़ा । लैंड एक्विजिशन की ४०, ४१, ४२ एण्ड ओनवर्ड्स हैं उनमें तरमीम करके इस स्कोप को बढ़ाया । स्कोप को बढ़ाने का मतलब इतना ही है कि जो हमने बढ़ाई है, यहां पर सैक्शन ४० का एक सैक्शन लगाया है ४०.ए.ए.

"(aa) that such acquisition is needed for the construction of some building or work for a company which is engaged or is taking steps for engaging itself in any industry or work which is for a public purpose"

(५ म. प.)

यह सैक्शन ४० के अन्दर हमने एमेंडमेंट किया और उसके बाद में कान्सीक्वेंशल अमेंडमेंट नीचे की धाराओं में किया और उसके साथ साथ यह प्रोटेक्शन लिया कि जिस प्रोटेक्शन के लिए अभी लाखेरी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि बहुत से उद्योगपति जमीन अवाप्त करा लेते हैं और वह उनके काम में नहीं आती है, पड़ी रहती है और उसका दुरुपयोग करते हैं अथवा और किसी तरह से उपयोग करते हैं, यह सही है । इस तरह के उदाहरण हो सकते हैं । लाखेरी की स्थिति तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे उदाहरण संभव हैं । इसलिए इसके साथ साथ यह भी हमने किया कि हमारे रिलैवेंट सेक्शन ४१ के अन्दर इस प्रकार भी तरमीम की जाय कि इन कामों के लिए एक्वायर हो और उसके साथ साथ उससे एग्रीमेंट हो । एग्रीमेंट के अन्दर शर्त यह जोड़ दी जाय कि इतने वर्षो में इस काम के लिए इतनी जमीन का इस तरह से उपयोग होगा और इसका गलत प्रयोग होने पर सरकार को जमीन वापिस लेने का अधिकार होगा । क्योंकि एग्रीमेंट के कालम्स वगैरह नहीं थे इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होने के बाद जो संशोधन भारत सरकार ने पार्लियामेंट के जरिए अपने एक्ट में किया है । उन्हीं संशोधनों को हूबहू हमने इस कानून में प्रस्तावित किया है, हमने पोते की अक्ल नहीं लगाई, बल्कि पार्लियामेंट में जो पास हो चुका है और जो अब तक which has stood the test of scrutiny और साथ ही साथ सेक्शन ४१ के अन्दर एग्रीमेंट वगैरह का भी प्रावधान किया जिससे जरूरत से ज्यादा जमीन यूजलैस न पड़ी रहे, उसको हम चैक कर सकें, उस

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पर एक्शन ले सकें; तो इस तरह से हमने सेक्शन ४० में इस बहस को पूरा करने के लिए और एक बात हमने की। यह भी किया कि बहुत से लोग जमीन ले लेते हैं, जरूरत कम होती है, उसे प्लाट्स बनाकर या और तरीके से बेचकर नाजायज फायदा उठाना चाहें तो उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिये क्लाज ४४ ए बढ़ा दिया, जिससे सेल पर, मोर्टगेज पर, गिफ्ट पर, लीज पर या किसी भी तरह मुन्तकली पर बंदिश डाली है। तो इस तरह से ट्रांसफर्स पर बंदिश डाली है, निश्चित अवधि के अन्दर योजना को वे पूरा करें, जमीन पर उसका प्रावधान किया है और जो पहले था क्योंकि वह अल्ट्रावायर्स हो गया इसलिए संसद ने जो कानून पास किया उसके आधार पर हमने नया सेक्शन ४०, ४१ और ४४ बी बनाया। इसके साथ साथ एक सेक्शन जैसा मैंने निवेदन किया रेलवे और दूसरे पर्पजज के लिए बहुत सी जमीन हमने एक्वायर की वह अवैधानिक है। अगर हम पहले की जमीनें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं तो वापिस रेस्टोरेशन का दावा हो सकता है इसलिए उसको वैलिडेट करने की बात थी–हमने यह भी कहा कि सेक्शन ४० और ४१ के जो प्रावधान थे उनके तहत हमने किसी जमीन को एक्वायर किया उसके बाद उस पर फैक्टरीज बन गई, भवन बन गए, योजनाएं पूरी हो गईं, अब वह अवैधानिक हो गया। तो उस मामले को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं तो फिर स्थिति आती है कि कोर्ट में वह पार्टी दावा करे तो इसलिए उसको बचाने के लिए आइंदा के लिए हमने यह प्रावधान रखा है, तो पहले के केसेज को वैलिडेट करने के इरादे से यह किया।

ये मुद्दे संसद और भारत सरकार के सामने भी उठे हैं। उन्होंने भी इसकी वैधानिकता और औचित्य को स्वीकार करके कानून बनाया है। तो हमने कुछ उनके प्रावधान, कुछ नए प्रावधान और कुछ भारत सरकार के कहने पर जोड़े हैं।

अब काफी समय हो गया है। इसमें अधिक वादविवाद में न जाकर निवेदन करूंगा एक यह जो राजस्थान लैंड एक्वीजीशन अमेंडमेंट वैलिडेशन बिल है वह इन मुद्दों को हल करने के लिए बनाया है और इसके पीछे कई उद्देश्य हैं कि ये समस्याएं हल हों, देरी कम हो और दिक्कतें कम हों जो अधिकार हैं अदालतों में रेफरेंस के अंदर वे मिलें, साथ ही साथ मामले जल्दी निपटें। ये सुविधाएं जो कानून के अंतर्गत दी जानी चाहिए वे हमने दे दी हैं। बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं कि जो रूल्स बनेंगे उनके अन्दर अंदर ऐसे प्रावधान करने पड़ेंगे जिससे इस कानून का सही रूप से पालन हो सके और लोगों की दिक्कतें दूर हो सकें। इसी उद्देश्य से यह बिल पेश किया गया है। इसलिए जिन जिन माननीय सदस्यों ने इस संबंध में अपने प्रस्ताव रखे हैं प्रवर समिति को सुपुर्द करने के लिए या जनमत जानने के लिए, वे उनको वापिस लेने का कष्ट करें और इस बिल को सर्व सम्मति से पारित करें।

श्री उपाध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य अपने प्रस्ताव विथड्रा करना चाहते हैं?

श्री गोविन्दसिंह (पिड़ावा) : मैं अपना प्रस्ताव विथड्रा करना चाहता हूँ।

श्री हरि प्रसाद शर्मा (पाटन) : भूमि अवाप्ति अधिकारी जी मुआवजा दे रहे हैं वे बैटरमेंट लेवी से पड़ते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : बैटरमेंट लेवी का इस पेमेंट ऑफ कम्पेन्सेशन से सम्बन्ध नहीं है। अगर इर्रेग्यूलरिटी कोई ऑफिसर कर रहा होगा तो हम दूर करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री गिरधारालाल व्यास (आसीन्द) : भीलवाड़ा के अस्पताल की जमीन आपने एक्वायर.......

श्री रामप्रसाद लड्ढा आपने मिसाल दी उस समय की जब कि राजा-महाराजाओं का राज्य था और उस राज्य में एक्वीजीशन बिना प्रोसीजर के या कानून को एडॉप्ट किये होता था, अथवा कानून ही नहीं था। उस समय उस जमीन को लिया, अस्पताल के काम के तो लिए उसके अंदर यह किया है कि उस समय से जो २० या २५ वर्ष पहले हुआ, उस समय से लेकर आज तक जो भी उन्होंने मुआवजा तय किया हो उस पर साढे चार, मुझे याद नहीं, या ६ प्रतिशत ब्याज जुड़वाए।

श्री गिरधारीलाल व्यास : मुआवजा तो आपके कलेक्टर द्वारा दो साल पहले तय हुआ है, पहले तय नहीं हुआ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसे स्ट्रे केसेज हो सकते हैं जिनमें जमीनें लैंड एक्वीजीशन एक्ट के आने से पहले किस तरह से ले ली, मैं खुद वहां का रहने वाला हूँ। उनके साथ ज्यादती हुई या मुआवजा कम मिला, ऐसे कुछ केसेज हैं, जो पुराने समय के कानून न होने से कानूनन् या गैर-कानूनन उनके साथ इस तरह की बात हुई।

श्री विजयसिंह झाला: एक्वीजीशन जल्दी हो गई, आपके अमेंड्मेंट्स के जरिये, लेकिन अवार्ड जल्दी मिलेगा ६ महीने से लेकर तीन महीने किया है-लेकिन तीन महीने के अन्दर निपट जायगा क्योंकि ६ महीने में मुआवजा दे देना चाहिए तो उन ऑफिसर्स को पैनलाइज करने का प्रावधान क्यों नहीं रखा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : रूल मेकिंग पॉवर है, स्टैच्यूटरी प्रावधान कर रहे हैं, रूल्स के जरिए कैसे रेग्युलेट करेंगे, सारी चीजें उस समय हो जाएंगी।

श्री विजयसिंह झाला : आप एक्वीजीशन जल्दी कर लें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ठीक समय पर किया जायगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की इजाजत है कि माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव वापस लेने की अनुमति प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

इजाजत दी गई।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन वापिस लिए हुए लोगों के अलावा

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रवर समिति या जनमत जानने के लिए आए हैं उनको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित हुआ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सदन का समय तो पांच बजे समाप्त हो गया।

श्री **उपाध्यक्ष** : सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की गई।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५.११ बजे कल दिनांक १३ अप्रेल १९६६ के म० पू० ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई)

———

परिशिष्ट १

(कृपया स्थगित तारांकित प्रश्न संख्या ७४१ व ५६३ का उत्तर देखिये)

जयपुर

१. श्री गुमानसिंह
२. श्री कुलदीपसिंह
३. श्री पी० सी० हान्डा
४. श्री महेन्द्रसिंह
५. श्री केप्टेन महावीरसिंह
६. श्री केप्टेन राजमोहन शर्मा
७. श्री हरीसिंह
८. श्री एस० के० शर्मा
९. श्री एन० बी० भार्गव
१०. श्री लेफ्टीनेन्ट हरीसिंह
११. श्री मेजर जनरल भगवतीसिंह
१२. श्री केप्टेन आर० के० काला
१३. श्री योगेन्द्र दत्त
१४. श्री सेकन्ड लेफ्टीनेन्ट पालीवाल
१५. श्री सूबेदार रतनसिंह
१६. श्री हवलदार रावतसिंह
१७. श्री ए० के० पालीवाल
१८. श्री ए० के० अर्जेसिंह
१९. श्री केप्टन एस० पी० शर्मा
२०. श्री केप्टन आर० एस० शर्मा
२१. श्री लेफ्टीनेन्ट डी० एन० शर्मा
२२. श्री लेफ्टीनेन्ट मेघसिंह
२३. श्री खेमा राम
२४. श्री कल्याणसिंह
२५. श्री प्रेमकुमार हान्डा
२६. श्री मेजर जनरल भगतसिंह
२७. श्री सेकन्ड लेफ्टीनेन्ट एन० पी० मिश्रा
२८. श्री एन० आर० मोहम्मद अयूबखां
२९. श्री लेफ्टीनेन्ट कर्नल देवेन्द्र प्रकाश
३०. श्री कर्नल कल्याणसिंह
३१. श्री स्कार्वेडन लीडर एम० पी० दिक्षित
३२. श्री बसन्त प्रकाश माथुर
३३. श्री मेजर विजयसिंह

उदयपुर

३४. श्री राजेन्द्रसिंह
३५. श्री हरीसिंह नं० २६३२६०
३६. श्री छोटेखां
३७. श्री श्री देवीसिंह नं० ६७६३२६०
३८. श्री जे० आर० शर्मा ६८०२४६
३९. श्री डी० एस० झाला एस० पी० ओ०
४०. श्री मेजर एन० के० शर्मा
४१. श्री केप्टेन एम० एस० बापना
४२. श्री दशोरा जी० एल०
४३. श्री मुरारीलाल अग्रवाल
४४. श्री देवीलाल श्रीमाली
४५. श्री एच० एल० वैद
४६. श्री मेजर केशोरीसिंह

अलवर

४७. श्री प्रभूसिंह
४८. श्री सुबेदार गिरधरसिंह
४९. श्री मंगलसिंह पाईलेट ऑफिसर
५०. श्री मेजर श्योरामसिंह

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ७२८ का उत्तर देखिये)

सार्वजनिक पथ व निर्माण विभाग द्वारा कुशलगढ़ तहसील के श्रमिक ठेका सहकारी समितियों को ठेके दिये गये उनकी सूची :—

क्र० सं०	समिति का नाम	ठेका विवरण	रकम
१	२	३	४
१	कुशलगढ़ सहकारी श्रमिक ठेका समिति लि० कुशलगढ़ ।	(क) कुशलगढ़ पंचायत समिति के क्वार्टर्स के लिए ठेका दिनांक २८–५–५९ को दिया ।	३४०००–००
		(ख) कुशलगढ़ उदयागढ़ रोड़ के मध्य की पुलिया बनाने का ठेका दिनांक २०–६–६० ।	३२०००–००
२	विश्वकर्मा सहकारी श्रमिक ठेका समिति ।	(क) सहकारी हॉस्पिटल कुशलगढ़ के डाक्टर व नर्स क्वाटर्स वर्ष १९६१–६२ ।	१३०००–००
		(ख) बांसवाड़ा कुशलगढ़ रोड़ की पुलिया ६२–६३ ।	४००००–००
		(ग) एस.डी.ओ. कुशलगढ़ के क्वार्टर-ई-टाईप वर्ष ६३–६४	१३०००–००
		(घ) कुशलगढ़ में इ-आर-जी टाईप क्वार्टर्स ६४–६५ ।	१९०००–००

१	२	३	४
		(ङ) कुशलगढ़ बांसवाड़ा रोड़ सज्जनगढ़ एवं डूंगरा के बीच भूरा कुआ के पास ६४-६५।	४००००-००
	२—सज्जनगढ़ श्रमिक ठेका सहकारी समिति।	(क) विकास अधिकारी क्वाटर्स ६५-६६। व	७०००-००
		पगार अधिकारी क्वाटर्स ६५-६६।	८०००-००

शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, दिनांक १२ अप्रेल, १९६६)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१-२	शीर्षक	नवम	नवम्
५	१०	हैं।	है ?
,,	१२	थी ?	थी।
६	शीर्षक	प्रनोश्त्तर	प्रश्नोत्तर
७	शीर्ष	(श्री ध्यक्ष)	(श्री अध्यक्ष)
,,	५	श्री मथुरेश बिहारी ?	श्री मथुरेशविहारी।
,,	१३	श्री हनुमानसिंह चौधरी।	श्री हनुमानसिंह चौधरी !
११	अन्तिम से ८	जाता हैं,	जाता है
१४	शीर्षक	प्रश्नोंत्तर	प्रश्नोत्तर
१६	१५-१६	श्री अध्यक्ष: श्री मोहर सिंह।	श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।
,,	अन्तिम से ७	श्री हनुमानसिंह।	श्री हनुमानसिंह।
१८	१०	श्री हरिश्चन्द्र	श्री हरिश्चन्द्र :
२१	अन्तिम	सतितियों	समितियों
२८	अन्तिम से ६	कैटेगोराइजशन	कैटेगोराइज़ेशन
,,	अन्तिम से ५	whose in	whose in-
३०	३	चुगी है।	चुकी है ?
,,	८	डिस्पोज	डिस्पोज
,,	१७	ट्रस्ट	ट्रस्ट
,,	२०	निर्भर है।	निर्भर हैं।
३१	५	श्री श्रध्यक्ष	श्री अध्यक्ष
,,	अन्तिम से ६	पलॉट	प्लॉट
३२	२	'कालाबादल'	'कालाबादल'।
३६	१३	संवशन्ड	संक्शन्ड
३७	२२	कमिशन	कमीशन
४०	६	पुस्तककालय	पुस्तकालय
४१	१७	पने	आपने

१	२	३	४
४४	५	श्री भँवरलाल 'कालाबादल'	श्री भैरवलाल 'कालाबादल"
५३	१	समन	समय
६२	२७	तत्कालित	तात्कालिक
६३	२६	को	तो
,,	३०	अपेक्षा मिल	अपेक्षा अधिक मिल
६४	५	खुट	खट
६५	५	मालुम	मालूम
,,	८	सचाई	सिचाई
,,	२०	औ खह	और वह
,,	२१	संकी	सकी
,,	अन्तिम से १०	घोते	धोते
६६	२	वहीं	नहीं
,,	८,६	हाथ में उसको	हाथ में है उसको
,,	१६	गैप	गैब
,,	१६	दुप्काल	दुष्काल
६७	अन्तिम से १३	नोहरू	नाहरू
७१	अन्तिम से ५	गैप	गैब
७३	७	मैने	मैंने
७५	८	पंच	पंच
,,	१२	साहिये	चाहिये
,,	२२	ततीजा	नतीजा
,,	२४	स्लभ	स्लम
७६	८	महिने	महीने
,,	६	निग	निग
,,	१५	ऑडिटर	ऑडिटर
७७	१२	कामो	कामों
७८	३	कसंट्रेशन	कन्सेन्ट्रेशन
८०	अन्तिम से ५	ने रखी	ने कर रखी
८५	अन्तिम से २	अशक्ता	अशक्तता
८८	१६	यू. आई. वी.	यू. आई. बी.
६५	अन्तिम से ७	मैं	में
६७	शीर्ष	गह	गहलोत)

१	२	३	४
६८	शीर्षक	शासकीय संबंधी	सम्बन्धी शासकीय
६६ व १००	,,	शा. ववतव्य रा. भू. अवाप्ति-१२ अप्रेल, ६६- (सं. वै.) वि. का पुरःस्थापन	शासकीय वक्तव्य-१२ अप्रेल, १६६६-विधेयक का पुरःस्थापन
६६	अन्तिम से १०	अवाप्ति	अवाप्ति
,,	अन्तिम से ६	स्थापम	स्थापन
१००	अन्तिम से ११	वैधकरण	वैधकरण
१०४	शीर्षक	अधिनियस	अधिनियम
,,	१	विधेयक	(संशोधन) विधेयक
१०५	२१	के पेश	के लिये पेश
,,	२२	करेक्टर	कलेक्टर
१०६ से १२८	शीर्षक	(संशोधन)	अधिनियम (संशोधन)
१०६	८	मी	भी
,,	१६	वेल्यूएशने	वेल्यूएशन
१०७	६	मैं	में
१०८	शीर्षक	बिधेयक	विधेयक
,,	१७	क्शन	रेक्शन
,,	२०	लिमि ट्स	लिमिट्स
११०	७	निशचत	निश्चित
१११	अन्तिम से ४	मदेरना	मदेरणा
११४	१८	तंहीं	नहीं
,,	१८	प्रोपटी	प्रोपर्टी
,,	२२	कलकटर	कलेक्टर
,,	अन्तिम से ६	एंम्पायर	एम्पायर
११५	७	लेकना	लेकुना
११६	८	को	की
११७	६	प्रावाधान	प्रावधान
,,	८	कोईं	कोई
,,	१	ड्यूटी	ड्यूटी
११६	२	ओ	और
१२०	४	ओर	और
,,	८	तंहसील	तहसील-
,,	अन्तिम से १२	excluse	excuse
,,	अन्तिम से ६	ती	तो

१	२	३	४
१२१	२	दूरी	दूसरी
,,	५,७	डयूटी	ड्यूटी
,,	२०	ग्रोर	ग्रौर
,,	ग्रन्तिम से ८	भो	भी
,,	ग्रन्तिम से ४	डयूटी	ड्यूटी
,,	ग्रन्तिम से ३	नुसकान	नुकसान
,,	४	इञ्सपेटर	इन्स्पेक्टर
१२२	६	कमो	कमी
,,	१८	डयूटी	ड्यूटी
,,	२०	करेने	करने
,,	ग्रन्तिम	रामकृष्ण	राधाकृष्ण
१२३	३	वापिन	वापिस
,,	३	को	की
,,	ग्रन्तिम से ८	(संशोधन)	ग्रधिनियम (संशोधन)
१२४	३	किमा	किया
,,	१३	पृष्ट	पृष्ठ
१२५	१०	परि,	परि-
,,	ग्रन्तिम से ११	सैक्शन	सेक्शन
१२६	ग्रन्तिम से ९	ग्रस्वीकारे	ग्रस्वीकार
,,	ग्रन्तिम से ६	(संशोधन;	ग्रधिनियम (संशोधन)
,,	ग्रन्तिम से ४	प्रस्न	प्रश्न
१२७	ग्रन्तिम	कार	प्रकार
१२९	९	इसको	इसका
,,	१८	चाहूंग ।	चाहूंगा
,,	१८	"कलेक्टर-	'कलेक्टर'
,,	ग्रन्तिम से ७	२	(२)
,,	ग्रन्तिम से ४	डिसिजन्स	डिसीजन्स
,,	ग्रन्तिम से २	होल्ड	होल्ड
१३०	८	टूयूटी	ड्यूटी
,,	१५	ts	is

१	२	३	४
१३१	६	भेंसूर	मैसूर
१३२	१०	एनेकॉगस	एनेलागस .
१३३	१३	स्स्टेट्स	स्टेट्स
१३४	१०	बावेल	बाबेल
१३६	अन्तिम से १७	Any public purposes,	'Any public purpose,'
,,	अन्तिम से १६	एनी	'एनी'
१३७	अन्तिम से १५	बा सिन्दगान	बा शिन्दगान
१३७-३८	नोट	अध्यक्ष महोदय	अध्यक्ष-पीठ
१३९	७	yes,	Yes,
१४०	६	जबाब	जवाब
१४०	अन्तिम से १४	is "likely	"is likely
१४३	अन्तिम से १०	उस	इस
१४५	८	साय	साथ
१४७-१४८	शीर्षक	११	१२
१४७	शीर्ष	गोयल	गोयल
१४७	८	ससाप्ति	समाप्ति
[illegible]	अन्तिम से ७	कानन	कानून
१५१	अन्तिम से ५	ग्रोप	ग्रौर
१५५-१५६	शीर्षक	११	१२
१५७-१५८	शीर्षक	अवार्पत	अवापित
१६०	६	पसा	पैसा
१६२	८	टेक्नीकल	टेक्निकल
,,	१२	इफेक्ठ	इफेक्ट
१६५	१५	(स्व्वायर)	(स्क्वायर)
१७०	१२	साक्ष	साथ
१८१	अन्तिम से ६	मनमान	मनमाना
,,	अन्तिम से ११	घसिया पर	
१८३	,, ८	the	be
१८६	,, ११	वे	विलोप(Dlt)
१९२	१६	लिल	मिल
९३	अन्तिम से १	बाघा	बीघा
९४	शीर्षक	बै०	बै.

१	२	३	४
१९८	१७	अनच्छेद	अनुच्छेद
१९९	५	लैड	लैंड
२००	शीर्णक	व.	वं
,,	अन्तिम से १०	इन्सट्रशन	इन्स्ट्रक्शन
२०२	२,३,४	सेक्शन	सैकशन
..	अन्तिम से ५,६	मौजू	मौजूं
२०३	अन्तिम से ८	लेकिन नहीं निकलेगा,	(विलोप)
२०६	६	अंबव	अंबोव
२०८	१	गल्तिया	गल्तियां
२११	१४	उसमे	उसमें
,,	२२	कौनकरेन्ट	कॉन्करेंट
२१२	१२	पालियामेंट	पालियामेन्ट
,,	अन्तिम से ६	कान्स्टीट्यूशन	कान्स्टीट्यूशनल
२१४	शीर्षक	व.	वं.
११५	शीर्षक	११५	२१५
,,	अन्तिम से २	होती	होता
२१६	२२	यर्ना	वर्ना
२१७	शीर्षक	अवप्ति	अवाप्ति
२१९	११	बदिश	बंदिश
२२०	अन्तिम से १४	अन्दर अंदर	अन्दर
२२१	३	पड़ते हैं	पकड़ते हैं
,,	५	ले	से
,,	६	श्री गिरधारालाल	श्री गिरधारीलाल
,,	१६	के तो लिए	के लिये तो,
२२४	२ के बाद, ३ से पहले		श्री उाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तुत विधेयक पारित किया जाय।
२२५	५	स्कार्वडन	स्क्वाड्रन